हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, 21 अगस्त, 2019 को अध्यक्ष, डा0 राजीव बिंदल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, हिमाचल प्रदेश विधान सभा शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

21.08.2019/1100/बी0एस0/एच0के0-1

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मुकेश अग्निहोत्री जी क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? कृपया अपनी बात संक्षेप में रखें, हमनें प्रश्नकाल भी आरम्भ करना है।

श्री मुकेश अग्निहोत्री (हरोली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कहते हैं, "रिश्तेदार अच्छा न हो परंतु पड़ोसी अच्छा होना चाहिए" और मेरे पड़ोसी आप हैं। हमने नियम- 67 के तहत एक नोटिस दिया था उसमें आगे क्या कार्रवाई हुई इस बारे में कोई जानकारी हमें नहीं है। पिछले दो दिनों में जब हम हाउस से वाकआउट कर गए तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने पीछे से अपने मनसूबे पूरे कर लिए और अपना जवाब दे दिया। परसों इन्होंने कहा कि हम माफिया के साथ खड़े हैं और कभी कहते हैं कि हम माफिया के हमदर्दों को नहीं बख्शेंगे। कल कहा कि इनको फ्लड की चिंता नहीं, शराब की चिंता है। मुख्य मंत्री जी यह तो कुर्सी की बात है परंतु मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि कांग्रेस विधायक दल का यह संकल्प है कि हम हर तरह के माफिया के खिलाफ हैं। आप कड़े-से-कड़ा एक्शन इन माफिया के खिलाफ लीजिए। इसमें चाहे नशा माफिया है, चाहे खनन माफिया है, चाहे वन माफिया है और चाहे शराब माफिया है। जिस भी पैमाने पर आप चाहते हैं हम 21 विधायक इसमें आपके साथ हैं। परंतु आप इनके खिलाफ कोई एक्शन तो करिए। माफिया जिस ढंग से फल-फूल रहा है उस बारे में मात्र बोलने से नहीं होगा आपको उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया संक्षेप में बात कहें, अभी प्रश्न काल शुरू करना है।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने सदन में माननीय विधायक सतपाल सिंह रायजादा जी की बात रखी थी। मुख्य मंत्री जी ने उसमें इंक्वायरी आर्डर की लेकिन हम चाहते थे कि यह जांच पुलिस जांच से बाहर हो। मुख्य मंत्री जी ने इस जांच को पुलिस के पास ही रखा है भले ही इसमें पुलिस के आला अधिकारी जांच करेंगे। इसमें सबसे

महत्वपूर्ण मसला एस0पी0 का है जिसकी वजह से यह सारा प्रकरण उत्पन्न हुआ है। अब तक कोई भी फैसला एस0पी0 के बारे में मुख्य मंत्री जी ने नहीं दिया है। आप उनको बर्खास्त करें, आप उनका तबादला करें, आप उनको छुट्टी पर भेजें। हम चाहते हैं कि जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती उन्हें वहां से हटा दिया जाए। हमारा बिल्कुल साफ नजरिया है, इंक्वायरी आप शुरू कर रहे हैं और उसके कुछ टर्म्ज ऑफ रेफरेंस होंगे। वहां के एस0पी0 भी उसके दायरे में होंगे। हमारा मसला तभी हल हो सकता है जब पैडिंग इनक्वायरी में एस0पी0 वहां नहीं होंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर फैसला करें। इसके अलावा जो आप बार-बार विपक्ष को माफिया के साथ जोड़ रहे हैं इससे आपको गुरेज करना चाहिए। हम आपका सम्मान करते हैं, आपकी पोस्ट का सम्मान करते हैं। आप सदन के नेता हैं । आप किस तरह से माफिया के साथ विपक्ष के माननीय विधायकों को जोड़ते रहेंगे।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी ।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम बात कर रहे होते हैं तो विपक्ष के माननीय सदस्य यहां नहीं बैठे होते हैं और जब नहीं बैठे होते हैं तो बाहर जो बात जाती है वह सही रूप में नहीं जाती। हमारी मंशा चाहे उस संबंध में कुछ भी नहीं हो। उस रूप में बात नहीं जा पाती जिस रूप में आमने-सामने बैठ करके हम सुन पाते हैं। मुझे लगता है कि मेरी बातों को थोड़ा गलत ढंग से लिया गया।

21.08.2019/1105/डी0टी0/एच0के0-1

मैंने इस बात को बड़ा स्पष्ट किया है कि माफिया राज के खिलाफ़ हम सबको एकजुट होना चाहिए। जब हिमाचल प्रदेश में हमने ड्रग्ज़ के खिलाफ़ अभियान चलाया तो उसमें आपने भी सहमति दी कि हम भी इस अभियान में आपके साथ हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि देवभूमि में माफिया राज को खत्म करने में हमें सफलता तभी मिल पाएगी जब हम सब लोग राजनीति से ऊपर उठ कर मिल करके काम करेंगे। लेकिन मैं सदन को आश्वस्त

करना चाहता हूं कि माफिया के खिलाफ़ कार्रवाई करने का अभियान जारी रहेगा और किसी को भी ब़ख्शा नहीं जाएगा। इस अभियान में हम आपके सहयोग की उम्मीद करते है, जैसा आपने कहा भी है। यह विशेष तौर से एक मसला है, जिसके बारे में मैंने एक बार नहीं अनेक बार स्पष्ट किया है कि विधायक संस्थान का सम्मान करना हमारा दायित्व है, हम करते भी हैं और हमने किया भी है। हमने अपनी सरकार के लगभग पौने दो साल के कार्यकाल में कोई भी काम राजनैतिक प्रतिशोध की भावना से नहीं किया है। वह दौर हमने खत्म कर दिया है। हमने पहले दिन से ही कहा है कि ऐसा नहीं होगा। हम यहां पर काम करने के लिए आये हैं और हमें प्रदेश के विकास हेतु काम करना है। इस बात को लेकर संशय न तो दिल में रखने की जरूरत है और न ही दिमाग में रखने की आवश्यकता है। जहां तक आपने ऊना जिला के प्रकरण के संबंध में बात कही, उसके संदर्भ में मैं यही कहना चाहता हूं कि दिनांक 13.08.2019 को जो पंजीकृत अभियोग संख्याः 275 धारा-29(1) हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम- थाना, ऊना व अभियोग संख्याः 276, धारा-353,332,147,149 भारतीय दण्ड संहिता थाना, ऊना का अन्वेषण सी.आई.डी. की अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दिया गया है। आप लोग चाहते थे कि एस.पी. की उसमें भूमिका न रहे। हमने जब आपका पक्ष सुना तो आपकी बातों से हमें लगा कि इसमें सुनिश्चित करना चाहिए कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। जब हम जांच निष्पक्ष करने की बात करते हैं तो वह कहने से नहीं होगी, वह लगनी भी चाहिए कि जांच निष्पक्ष हो रही है। इसलिए इसमें एस.पी. की भूमिका नहीं रहेगी और हम इसकी जांच सी.आई.डी. की अपराध शाखा को सौंप रहे हैं। इसकी जांच आई.जी. लैवल के सीनियर अधिकारी द्वारा की जाएगी।

दूसरा, आपने कहा कि एस.पी. वहां होंगे तो वह जांच को प्रभावित करेंगे। यह आपकी आशंका है लेकिन हमने इन सारी चीजों की गुजांइश नहीं रखी हैं। लेकिन फिर मैं आगे बढ़ कर इस बात को कह रहा हूं कि यह परिस्थिति स्वतः ही ऐसी आई है। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि वर्तमान में पुलिस अधीक्षक, ऊना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 28 अगस्त से 04 अक्तूबर तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद, में एक अनिर्वाय प्रशीक्षण हेतु जा रहे हैं इसलिए वे वहां पर उपथित ही नहीं होंगे। इस प्रकार से

वर्तमान में जो एस0पी0 वहां पर हैं उनकी कोई भी भूमिका इसमें नहीं रहेगी। इसके अलावा कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है। आप की जो मंशा थी आपको जो लग रहा है कि जांच को प्रभावित किया जाएगा इसलिए उनकी उपथिति वहां पर नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब हमें सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाना चाहिए। आप बाहर जाते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। आप सामने रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और

21-08-2019/1110/वाई.के.-एन.जी./1

ये भ्रम भी दूर हो जाएगा की हमने क्या कहा? आपने क्या सुना और किसी ने क्या सुनाया? जब आमने-सामने बात होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अध्यक्ष महोदय मुझे केवल इतना ही कहना है। धन्यवाद।

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी धन्यवाद। दोनों पक्षों ने विषय को बड़े अच्छे से लिया है।

प्रश्न काल आरम्भ

प्रश्न संख्या - 837 (स्थगित)

श्रीमती रीता देवी (इन्दौरा)ः अध्यक्ष महोदय, मेरे इन्दौरा विधान सभा क्षेत्र में एन0एच0-21 के अन्तर्गत गाट-डम्टाल-मोटली-सूरजपुर और तोकी में किसानों को भूमि अधिग्रहण हेतु मुआवज़ा केवल 15,000/- (पन्द्रह हजार) रूपये प्रति मरला के हिसाब से दिया गया। जबकि दूसरी तरफ पंजाब के क्षेत्र में किसानों को 3,00,000/- (तीन लाख) रूपये प्रति मरला के हिसाब से मुआवज़ा दिया गया। मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि उन्हें भी पंजाब क्षेत्र के किसानों की भांति तीन लाख रूपये प्रति मरला के हिसाब से मुआवज़ा दिया जाए।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके विधान सभा क्षेत्र से पंजाब के क्षेत्र साथ-साथ लगते हैं। जिस वजह से यहां मुआवज़ा कम मिलना और पड़ोस में ज्यादा मिलना, यह चर्चा और मांग का विषय अवश्य बनेगा। स्थानीय जनता का इस विषय को लेकर बार-बार यही कहना रहता है कि हमारे पड़ोस में इतना मुआवज़ा मिलता है और हमको इतना मुआवज़ा

मिलता है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जमीन की किस्म, बंजर कदीम और गैर मुमकिन का मुआवज़ा पंजाब में जितना मिलता है वो हमारे हिमाचल प्रदेश के लगभग बराबर ही है। माननीय सदस्य जिस अंतर की बात कर रही हैं, उसकी वजह यह है कि व्यवसायिक और आवासीय भूमि का मुआवज़ा वहां पर ज्यादा है क्योंकि वहां के डिवीजनल कमीश्नर ने जुडिशियल प्रोसैस के तहत (जिसमें सरकार का सीधा दखल नहीं होता) मुआवज़ा निर्धारित किया है और इसलिए वहां पर यह राशि ज्यादा दी जाती है। हमारे यहां पर भी यह मामला चल रहा है और Arbitrator (Divisional Commissioner Kangra at Dharmshala) की अदालत में निर्णय हेतु लम्बित पड़ा है। यह मामला 29 दिसम्बर को डिवीजनल कमीशनर के यहां पर लगा है और जैसे सभी चीजें आगे बढ़ती रहेंगी और उसके बाद जो निर्णय होगा, उस हिसाब से हमारा मुआवजा देने का प्रावधान भी आगे बढ़ेगा। मैं यहां जरूर कहना चाहता हूं कि ये सारा काम सरकार ही निर्धारित करती है और यह सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है तो ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं और उन सभी प्रोसेस को कम्पलीट करने के लिए वक्त लगता है। जैसा कि मैने कहा कि वहां पर तारीख निर्धारित की गई है और उस तारीख के अनुसार इसके जल्दी ही हल होने की सम्भावना है।

प्रश्न संख्या - 1221

श्रीमती आशा कुमारी (डलहौजी): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है यह पिछले दो-सवा दो साल से यही जवाब देते आ रहे हैं। मैं इनको हमेशा ये कहती हूं कि आपका ये सीमेंट प्लांट नहीं लगेगा क्योंकि आपकी Terms & Conditions ही ऐसी हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि आपने और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भी पिछली बार कहा था कि वहां पर जो सबसे पहला मसला है वह सड़क का है। क्या उस सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण हो गया? क्या उसकी डी.पी.आर. बन गई? दूसरा, आपने जो शर्तें रखी हुई हैं उनका सरलीकरण करने की बात आपने कही थी, उसकी तरफ आपने क्या कोई एक्शन लिया? आपके टैण्डर का डोक्यूमैंट तक कोई नहीं खरीद रहा है, बिड करने की बात तो छोड़ ही दीजिए। Nobody has bought your tender document.

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या आज की तारीख में ग्लोबल टेण्डरिंग के अलावा आप एम.ओ.यू. रूट से, किसी सीमेंट के कारखाने के लिए एम.ओ.यू. साईन कर सकते हैं?

उद्योग मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य महोदया बिल्कुल सही कह रही है कि यह जवाब पिछले दो वर्षों से इसी प्रकार से चल रहा है। सरकार की यह मन्शा है कि वहां सीमेंट प्लांट लगे और वहां प्लांट लगाने के लिए हम उसकी ऑक्शन एवं बिडिंग के लिए बार-बार कह रहे हैं लेकिन कोई भी पार्टी वहां नहीं आ रही। पिछली बार भी इन्होंने कहा था कि कोई भी पार्टी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वहां कोई प्रावधान नहीं है इसलिए वहां पर लोग आने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसलिए हमने माननीय मुख्य मंत्री जी से बात की और उसके बाद यहां से लोक निर्माण विभाग को दिशा-निर्देश दे दिए गए कि आप लोगों को वहां सड़क बनानी है और आप जो सड़क के लिए कह रही हैं, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने पैसा भी स्वीकृत किया है। अब माननीय सदस्य महोदया वहां की स्थिति के बारे मे पूछ रही हैं कि वहां फॉरेस्ट क्लीयरेन्स का विषय आया है या नहीं? तो मुझे लगता है कि अभी वहां तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जो माननीय सदस्य कह रही हैं कि क्या सीमेंट का एम.ओ.यू. साईन हो सकता है तो मैं कहना चाहूंगा कि ये स्थितियां वर्ष 2015 से पहले थीं। वर्ष 2015 के बाद यह जो चूना-पत्थर खनिज हैं, इसके लिए हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले विषय पर नहीं जा सकते, इसमें ऑक्शन ही होगी, इसमें बिडिंग ही होगी। इसलिए वर्ष 2015 के बाद ऐसा ही हुआ है। आपके समय में यहां तीन बार हुआ है। सबसे पहले लारज़न एण्ड टर्बो को आपके ही समय में दिया गया, उसके बाद वर्ष 2004 में अल्ट्रा टैक को दिया और वर्ष 2007 में जे.पी. को दिया। लेकिन इनमें से किसी ने भी कुछ नहीं किया। क्योंकि जब किसी ने भी इसमें कोई गंभीरता नहीं दिखाई, तब उसके बाद वर्ष 2014 में यह कैन्सल हो गया। वर्ष 2015 में कायदे-कानून बदल गए और कायदे-कानून बदलने के बाद हम इसका एम.ओ.यू. साईन नहीं कर सकते। इसके लिए हमें ऑक्शन करनी पड़ेगी, कोई पार्टी आगे आएगी। जहां तक आपने कहा है कि इस बीच में हमने कुछ ऐसी रियायतें दी हैं जिसके कारण से इस तरफ कोई अट्रैक्ट हो। तो हमने लगातार सीमेंट कम्पनियों के साथ बात की है और

केवल एक ही विषय पर हम भारत सरकार के साथ बातचीत भी कर रहे हैं क्योंकि यह जो पूरा-का-पूरा एरिया लिया है, उसके लिए उनको कुछ अमाउन्ट देना पड़ता है और वह अमाउन्ट बहुत ज्यादा बनता है। उसके लिए सरकार विचार कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि उसका कोई-न-कोई हल निकलेगा।

श्रीमती आशा कुमारी : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि मुख्य मंत्री महोदय या सरकार ने सड़क बनाने के लिए पैसे दिए हैं तो सड़क कैसे बनेगी? उसके लिए न तो जमीन का अधिग्रहण किया गया है, न उसकी डी.पी.आर. बनी है और वह सड़क कहां से जानी है, यह भी नहीं पता। तो क्या आप आदेश देंगे या मुख्य मंत्री महोदय से लोक निर्माण विभाग को आदेश दिलवाएंगे कि पहले सड़क की डी.पी.आर. बनेगी और जमीन का अधिग्रहण होगा। क्योंकि वहां सारी प्राईवेट लैण्ड है। अगर वहां के लोग आपको जमीन देंगे तभी सड़क बनेगी। दूसरी बात यह कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि एम.ओ.यू. साईन नहीं हो सकता। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि हाल ही में इन्होंने चण्डीगढ़ में 'डालमिया' कम्पनी के साथ एक एम.ओ.यू. साईन किया है तो वह एम.ओ.यू. कैसे साईन किया?

उद्योग मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो माननीय सदस्य महोदया जो लोक निर्माण विभाग के बारे में बात कर रही हैं और कह रही हैं कि इसमें जमीन का अधिग्रहण अभी तक नहीं किया गया है या बाकी काम नहीं हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने ये आदेश जारी किए हैं कि सीमेंट के कारखाने की ऑक्शन कब हो, कौन उसको ले, कौन न ले, लेकिन वहां सड़क का प्रावधान पहले किया जाएगा। अब ये पूरी डिटेल मांग रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ चीजों के लिए तो आदेश दिए हैं। दूसरी बात जो इन्होंने कही है कि हमने 'डालमिया' के साथ एक एम.ओ.यू. साईन कर लिया और माननीय पूर्व उद्योग मंत्री जी का भी इस बारे में एक बयान आया था कि एक बन्द कमरे में यह कैसे हो गया? लेकिन इनको ध्यान होना चाहिए कि वह विषय वर्ष 2015 से पहले का है, वह एम.ओ.यू. वहां तब साईन हुआ क्योंकि उसने सारी-की-सारी टर्म्ज एण्ड कंडीशन हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ पूरी की हैं। इसमें मैं थोड़ी डिटेल बता देना चाहता हूं। प्रदेश सरकार ने दिनांक 25-3-2008 को इसमें जितने भी प्रावधान थे, उसके लिए आवेदन आमंत्रित किए थे और यह जो डालमियां सीमेंट

है, मैं यहां वर्ष 2015 की बात कर रहा हूं क्योंकि उसके बाद कायदे-कानून बदल गए, इन्होंने उससे पहले अप्लाई किया था। पहले अप्लाई करने का तरीका यह था कि जो पहले आ गया, उसको मिल सकता है, जैसे अम्बूजा, ए.सी.सीं. में हुआ है। तो इन लोगों ने पूरी प्रक्रिया के माध्यम से सारी चीजों को पूरा किया है। उसमें दिनांक 4-9-2008 को इनको प्रौसपैक्टिव लाईसेंस का अनुमोदन प्रदान किया गया था।

21/08/2019/1120/MS/AG/1

उसके बाद यह लाइसैंस तीन वर्ष के लिए दिया था। फिर दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए दिनांक 16 सितम्बर, 2013 तक इसे बढ़ाया गया था। अब इनकी ये सारी चीजें पूरी हुई हैं और जो इन्होंने सारी-की-सारी चीजें लेट की हैं उनके कारण से थोड़ा सा डिले हुआ है। पिछली सरकार के समय में इसी पैटर्न के ऊपर, माननीय पूर्व उद्योग मंत्री जी को पता होगा कि एशियन सीमैंट का एम0ओ0यू0 भी इसी प्रकार से साइन हुआ था। मेरे कहने का भाव केवल इतना है कि बन्द कमरे के अन्दर एम0ओ0यू0 साइन नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि जहां पर हम बैठे हैं, वे वहां आए और एम0ओ0यू0 साइन कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। जो-जो हमने इनको बोला था इन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ उन सारी-की-सारी टर्म्ज एण्ड कण्डीशन्ज को पूरा किया था या जैसे आपकी सरकार के समय में बोला गया था। इसी प्रकार के सेम पैटर्न के ऊपर आपने एशियन सीमैंट को स्वीकृति प्रदान की है। (..व्यवधान..) मैं वही बोल रहा हूं कि वर्ष 2015 के बाद नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके बाद कायदा-कानून बदल गया है। यह वर्ष 2015 से पहले का प्रौसेस में है।

श्री मुकेश अग्निहोत्री(हरोली): माननीय अध्यक्ष जी, जे0पी0 सीमैंट कारखाने को लेकर लगातार बिड्ज इन्वाइट की जा रही हैं और मंत्री जी कह रहे हैं कि कोई भी उसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी हाई लैवल ऑफिसर्ज की कोई टीम गठित करेंगे ताकि यह पता चल सके कि किस ढंग से लोग इसको लेने में दिलचस्पी दिखाएंगे? क्योंकि आप तो एक ढर्रे पर टैण्डर करते जा रहे हैं और उसमें कोई नहीं आ रहा है। यह स्थिति लगातार बनी हुई है और यही स्थिति हमारे समय में भी बनी हुई थी। आप भी दो साल से लगातार यही कह रहे हैं हालांकि आपने तो इसकी आधारशिला की भी बात कह दी थी। आदरणीय शांता कुमार जी ने कह दिया था कि चुनाव से पहले आधारशिला रख देंगे लेकिन आप नहीं रख पाए। हम आपको कहते थे

कि आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास इसके लिए कोई टेकर ही नहीं है। इसलिए इस प्लांट को स्टडी करने के लिए हाई लैवल पर कोई प्रयास कीजिए और ऑफिसर्ज की टीम बनाइए जो आपको गाइड करे कि इसमें दिक्कत क्या है।

दूसरे, जहां तक कहा गया कि वर्ष 2015 के बाद आप कोई भी सीमैंट कारखाना नहीं ले सकते, यह माननीय मोदी जी ने किया है कि आप एम0ओ0यू0 का रूट अब सीमैंट में नहीं लेंगे और अब सिर्फ इंटरनेशनल/ग्लोबल बिडिंग करेंगे। डालमिया ने भी 12 साल काम नहीं किया और वर्ष 2013 के बाद उन्होंने कोई एक्सटैंशन भी नहीं ली। जब एक्सटैंशन नहीं ली तो सब कुछ लैप्स हो गया। अब आप वर्ष 2019 में अगर चण्डीगढ़ में एम0ओ0यू0 साइन करेंगे तो यह चोर दरवाजा हो गया। आपको डालमिया में भी दुबारा से इंटरनेशनल बिडिंग करनी चाहिए। जो माननीय मोदी जी ने किया वह सोच-समझकर किया होगा। जिनका सबकुछ लैप्स हो गया, एक्सटैंशन भी नहीं ली और 6-7 साल के बाद ऑल ऑफ सडन आप उस कारखाने की फाइल निकालकर उसका एम0ओ0यू0 कर देते हैं तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो नीति निर्धारण की है, यह सब उसके ख़िलाफ है।

उद्योग मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने जो कहा कि इस मामले के प्रति और गम्भीरता दिखाने की जरूरत है और हाई लैवल कमेटी बनाने की जरूरत है, इसमें मैं कहना चाहता हूं कि आपके ध्यान में रहे कि मुख्य मंत्री जी ने मीटिंग लेकर विशेष तौर पर इस पर्टिकुलर विषय के ऊपर ऑफिसर्ज की ड्यूटि लगाई है कि इसे किस प्रकार से हम सिरे चढ़ा सकते हैं। **आपका सुझाव बहुत अच्छा है और इस पर और गहन चिन्तन करके और ज्यादा इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कोशिश करेंगे।** अभी जैसे आप कह रहे थे कि यह जो कायदा-कानून है, यह सुनकर पहले तो मुझे ऐसा लगा कि आप आलोचना कर रहे हैं लेकिन बाद में ऐसा लगा कि आप फेवर कर रहे हैं कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने ऐसा किया है। माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने हिन्दुस्तान में जितने भी काम किए हैं या उनके समय में हो रहे हैं, उनके लिए चोर दरवाजे बन्द हैं। ये काम खुले और अच्छे तरीके से हो रहे हैं। यह बात ठीक है कि जैसे पर्टिकुलरली इनके चम्बा जिला में यह समस्या आ रही है तो उस समस्या को दूर करने के लिए हाई लैवल कमेटी के ऊपर भी विचार कर रहे हैं तथा उस पर ज्यादा अच्छे तरीके से चिन्तन भी करेंगे।

21.08.2019/1125/जेके/एजी/1

दूसरे, आप डालमिया वाले विषय पर बोल रहे हैं, इसमें अगर मैं पूरी डिटेल पढ़ूंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। मैं इसमें इतना ही कहना चाहता हूं कि डालमिया के विषय में जो भी औपचारिकताएं हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ थीं, वे सारी-की-सारी पूरी कर ली गई हैं। डालमिया ने दिनांक 24.10.2013 को औपचारिकताएं पूर्ण कर ली थी और सरकार को यह मामला दिनांक 4.7.2015 को भेजा और इसके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन्ज़ लगाई गई थीं, वे भी पूर्ण कर ली गई हैं। मेरे कहने का भाव यह है कि यह सारा प्रोसैस पिछले लम्बे समय से चला हुआ है। जो एम0ओ0यू0 साइन हुआ है, एम0ओ0यू0 साइन करने का मतलब यह नहीं है कि उनको हमने यह दे दिया है, उसके बाद भी यदि कोई औपचारिकता रहती है, उसको भी हम लोग पूरा करेंगे।

प्रश्न संख्याः1222

श्री सुरेन्द्र शौरी (बन्जार)ः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि बन्जार विधान सभा के अन्तर्गत 15 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं और उनमें 10 पद खाली हैं। इसके अलावा बन्जार में जो एस0डी0ए0एम0ओ0 का पद है उसको डेपुटेशन पर धर्मशाला ले गए हैं। मैं, माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि डेपुटेशन को रद्द करके बन्जार में उनको लाया जाए। इसी के साथ 10 पद डॉक्टर्ज़ के भी खाली पड़े हैं। आप इसमें आश्वस्त करें कि ये पद कब तक भरे जाएंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ रहा है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधायक महोदय ने जानना चाहा है, वैसे तो विस्तार से उत्तर दे दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में ए0एम0ओ0 के 1211 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में लगभग 846 पद भरे हुए हैं, 365 पद खाली हैं। हाल ही में पिछले दिनों 82 ए0एम0ओ0 बैच वाईज़ लगाए गए और लगभग 82 डॉक्टर्ज़ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से लगाए गए। मैं, माननीय विधायक महोदय को आश्वस्त करना चाहता हूं कि रिक्रूटमैंट एक सतत् प्रक्रिया है। **आने वाले दिनों**

<u>में इस प्रक्रिया को हम पूर्ण करने वाले हैं, 82 डॉक्टर्ज़ लगे हैं, क्योंकि 108 कुल डॉक्टर्ज़ लगने हैं, तो जो इनके विधान सभा क्षेत्र में कुछेक पद खाली हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर भर दिया जाएगा। दूसरे, इन्होंने एस0डी0ए0एम0ओ0 के बारे में जानकारी लेनी चाही है तो मैं बताना चाहता हूं कि धर्मशाला में उनको कुछ समय के लिए डिप्यूट किया गया था क्योंकि वहां पर एक आयुष का प्रोजैक्ट बनाया जा रहा था अब वह प्रोजैक्ट लगभग पूर्ण होने वाला है, उसके तुरन्त बाद उनको बन्जार भेज दिया जाएगा।</u>

प्रश्न संख्याः1223

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी के ध्यान में इस प्रश्न के माध्यम से कुछ बातें लाना चाहता हूं, क्योंकि यह प्रश्न पर्यटन का है और आप पर्यटन मंत्री भी हैं और पर्यटन की ओर आपका ज्यादा ध्यान इन दिनों एम0ओ0यू0 के माध्यम से भी जा रहा है। हेलीपोर्ट का पहली बार हिमाचल प्रदेश में निर्माण हो रहा है

21.08.2019/1130/SS-DC/1

और उड़ान-2 योजना के तहत तकरीबन 28 करोड़ रुपया हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए आया है। हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 65 हेलीपैड हैं और 65 हेलीपैड हिमाचल प्रदेश के हरेक तहसील डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्ज़ में हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाह रहा हूं कि जो आप 6 हेलीपोर्ट का निर्माण करने जा रहे हैं उसमें जवाब में आया है कि सिर्फ एक हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। हेलीपोर्ट में जो सुविधाएं हैं उसके बारे में आपने जानकारी दी। आपके दो हेलीपोर्ट जो झाकड़ी और रामपुर में बनने जा रहे हैं उसमें झाकड़ी की दूरी 20 किलोमीटर है और रामपुर में भी 20 किलोमीटर की दूरी है। आप रामपुर में हेलीपोर्ट का निर्माण कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। हेलीपोर्ट वह है जहां चैक इन और चैक आउट की सर्विस प्रोवाईड होती है। जो फैसिलिटी एक एयरपोर्ट में होती है उसमें कम फैसिलिटीज़ प्रोवाईड की जाती हैं। अब हेलीपोर्ट रामपुर में भी बन रहा है और झाकड़ी में भी बन रहा है। झाकड़ी में हेलीपैड बना हुआ है। आप हेलीपोर्ट रामपुर में बनाईये। जो उड़ान-2 योजना के तहत आपको 6 हेलीपोर्ट सैंक्शंड हैं उसमें क्या आपने कोई सर्वे करवाया है कि कहां कितनी पापुलेशन होगी, कितने पसैंजर होंगे जोकि हमारे हेलीपोर्ट

को सर्व करेंगे? आप बद्दी में हेलीपोर्ट बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है। आप मंडी में बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन मेरा यह मानना है कि रामपुर में हेलीपोर्ट के अलावा अगर आप एक हेलीपोर्ट किसी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर में जोड़ने के लिए जो पैसा उड़ान-2 योजना के तहत आया है वहां लगायेंगे तो उससे उस डिस्ट्रिक्ट को भी हेलीपोर्ट की सुविधा मिलेगी और वहां के लोगों को हेलीपोर्ट के माध्यम से चंडीगढ़ से जोड़ा जा सकता है। मेरा कहना है कि जो आप बद्दी में हेलीपोर्ट बनाने जा रहे हैं, बहुत अच्छी योजना है। उसमें एक हेलीकॉप्टर की जगह दो हेलीकॉप्टर्ज़ उतरने की व्यवस्था हो। क्योंकि आपके टेंडर हो चुके हैं अगर आप उसको थोड़ा-सा रिवाइज करेंगे तो दो टेंडर की व्यवस्था की जा सकती है। शिमला में भी संजौली के पास जो हेलीपोर्ट बनाने जा रहे हैं, आपके जवाब में है कि एक हेलीकॉप्टर एक समय में उतरेगा। मेरा अनुरोध रहेगा कि आप कम-से-कम इसे थोड़ा बड़ा कीजिए क्योंकि आने वाले समय में पर्यटन की दृष्टि से हेलीपोर्ट की सर्विस हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत अधिक ज़रूरी होने जा रही है।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी ने प्रश्न भी पूछे हैं और महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये हैं। मैं इन सुझावों का स्वागत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक हेलीपैड और हेलीपोर्ट में अंतर की बात है, हेलीपैड की वहां व्यवस्था की जाती है जहां चौपर उतरता है और उसके बाद वहां पर अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। जबकि हेलीपोर्ट में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। जिसमें डिटेल्ड प्रोजैक्ट रिपोर्ट पहले बनानी पड़ती है। जिसके अनुसार Civil works i.e. Passenger Terminal Building, Pavement, Fire OPS Building, Watch Tower, UG Tank, Septic Tank, Soak Pit, Chain Linking, Fencing और उसके साथ एक गेट इत्यादि इन सारी चीज़ों की वहां मिनिमम रिक्वायरमैंट रहती है।

अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि उड़ान-2 योजना के तहत हमको 6 हेलीपोर्ट स्वीकृत हुए हैं। जिसमें एक संजौली-ढली बाईपास पर हेलीपोर्ट बनेगा। एक रामपुर में, एक नाथपा झाकड़ी में, एक जिला मंडी के कांगनीधार में, एक बद्दी और एक मनाली के सासे में हेलीपोर्ट बनना प्रस्तावित है। उसमें आपने अमाउंट का ज़िक्र किया है। मैं यही कहना चाहता हूं कि एक तो आपने इस बात को ले करके प्रश्न किया कि स्थान के चयन में कोई सर्वेक्षण की व्यवस्था हुई है?

21.08.2019/1135/केएस/डीसी/1

मैं यह कहना चाहता हूं कि पूरे देश में जब उड़ान-2 की शुरूआत हुई थी, उस समय हमें 6 हेलीपोर्ट मिले। डी.पी.आर. बनाने से पहले इस बात को लेकर एक सर्वे हुआ और उसके बाद ये 6 स्थान फर्स्ट फेज़ में चयनित हुए हैं। दूसरे, कहा गया कि एक हेलीपोर्ट में लैंडिंग का प्रोविज़न सिर्फ एक का ही है। हां, यह हमने आपको बताया है कि फिलहाल इस प्रकार की व्यवस्था है लेकिन मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मण्डी में कांगनीधार में छोटे हेलीकॉप्टर तो एक साथ तीन भी उतर सकते हैं। जब प्रधान मंत्री जी चुनाव के दिनों में वहां आए थे, तो दो बड़े हेलीकॉप्टर मिग-17 जो हिमाचल प्रदेश सरकार के पास बड़ा हेलीकॉप्टर है, वैसे दो हैलीकॉप्टर वहां पर एक साथ पहले भी लैंड किए हैं। यह अच्छा सुझाव है कि एक से ज्यादा वहां पर उतर सके लेकिन उसकी जो डी.पी.आर. बनाकर भेजी है, उसके मुताबिक ही काम होगा क्योंकि टैंडर हो चुका है, काम शुरू हो चुके हैं लेकिन इसके साथ यह सम्भावना कैसे निकाली जा सकती है, इस सारी चीज़ को भी जहां तक एग्ज़ामिन करने की जरूरत होगी, करेंगें।

अध्यक्ष महोदय, यह भी कहा गया कि पॉपुलेशन के आधार पर व्यवस्था हो, मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में हमने तय किया है, अभी तक तो हिमाचल प्रदेश में छोटे हेलीपैड ही हैं जिनकी संख्या अभी लगभग 64 है, और हमारी कोशिश है, जिस प्रकार से मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के 68 के 68 विधान सभा क्षेत्रों में हेलीपैड अपना होना चाहिए। अभी तक तो परिस्थिति यह है कि शिमला हमारी स्टेट कैपिटल है लेकिन यहां हमारा अपना हेलीपैड नहीं है। यहां एक हेलीपैड है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, अनाडेल में आर्मी ने हमें ग्राउंड दिया है लेकिन वहां पर सिर्फ चीफ मिनिस्टर की लैंडिंग की परमिशन दी है अन्यथा प्राइवेट चौपर लैंड करने के लिए आर्मी हैड क्वार्टर, वैस्टर्न कमांड से परमिशन लेनी पड़ती है। उसमें भी काफी लम्बा प्रोसैस है। कई बार यह स्थिति बन जाती है कि यहां की परमीशन नहीं मिलती फिर हमें जुब्बड़हट्टी एअरपोर्ट में लैंडिंग करवानी पड़ती है। स्टेट केपिटल की अगर हम बात करें तो यहां

राष्ट्रपति भवन के समीप कल्याणी हेलीपैड है जिसको इस्तेमाल करने की किसी को इजाज़त नहीं मिलती, राष्ट्रपति भवन से ही परमिशन मिल पाती है। लेकिन एक अच्छी शुरूआत हुई कि हिमाचल प्रदेश में संजौली में एक जगह चिन्हित करके हमने युद्ध स्तर पर काम शुरू किया। मैं उम्मीद करता हूं कि अक्तूबर, नवम्बर के महीने में उसका कार्य पूरा कर लेंगे और हमारा अपना एक हेलीपैड होगा जहां बिना परमिशन के आपको आने की अनुमति होगी।

अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति एक जगह नहीं अनेक जगह है। मण्डी पूरे प्रदेश का दूसरा बड़ा जिला है लेकिन वहां हैलीपैड नहीं है। पड्डुल के ग्राउंड में उतारते हैं वहां पर भी अगर मेला लगा होता है तो वह उतर नहीं सकता। वहां पर स्पोर्ट्स का ग्राउंड है, अगर वहां पर कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी चल रही होती है तो वहां पर उतरना सम्भव नहीं हो पाता । फिर सुन्दरनगर या पंडोह जाना पड़ता है। अत तो पंडोह का हेलीपैड टावर लाइन के कारण बंद कर दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में मण्डी में भी हमने डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर में एक हेलीपोर्ट का उड़ान-2 के तहत प्रावधान किया है।

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के जेसे 64 विधान सभा क्षेत्रों में अभी तक हेलीपैड की व्यवस्था है,चौपर जा सकता है, उतर सकता है लेकिन 11 विधान सभा क्षेत्रों में अभी तक भी हेलीपैड की व्यवस्था नहीं है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के 68 के 68 विधान सभा क्षेत्रों में यह व्यवस्था हो।

21.8.2019/1140/av/hk/1

उन विधान सभा क्षेत्रों में भी हम हेलीपैड बनायेंगे जहां अभी तक हेलीपैड नहीं है क्योंकि आज की तारीख में इसकी बहुत आवश्यकता है। कहीं पर भी कोई दुर्घटना घटती है तो उस स्थिति में इमरजैंसी के लिए कहीं नज़दीक ऐसी डेस्टिनेशन होनी चाहिए जहां पर हम इस सुविधा के माध्यम से लोगों की मदद कर सकें। अभी प्रदेश के नदौन, बड़सर और इन्दौरा विधान सभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हेलीपैड नहीं है। इन्दौरा विधान सभा क्षेत्र के लिए

30 लाख रुपये का आकलन तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त जसवां-प्रागपुर, सुलह, बन्जार, बल्ह, गगरेट, चिन्तपुरनी, कुटलैहड़ और हरोली विधान सभा क्षेत्रों में भी हेलीपैड नहीं है।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी, नाहन में भी नहीं है।

मुख्य मंत्री : आपके नाहन में तो आर्मी का हेलीपैड है। मैं यह कह रहा हूं कि जहां पर नहीं है वहां के लिए हम सुनिश्चित करें कि हेलीपैड बने। इसीलिए मैं माननीय विधायकों से बार-बार कह रहा हूं कि अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र के लगभग बीच में जहां-जहां आप सूटेबल जगह देंगे तो हम उस दिशा में आगे बढ़कर उसका निर्माण करेंगे।

अध्यक्ष : श्री सुखविन्द्र सिंह जी अपना अनुपूरक प्रश्न करेंगे और इसके बाद केवल एक सप्लीमैंटरी दी जायेगी।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री विषय को किसी और तरफ ले गये। (...व्यवधान...) आपका ध्यान कहीं भटक गया। मेरा सवाल हेलीपोर्ट से संबंधित है और मैंने तो पहले ही कह दिया था कि 65 जगह हेलीपैड बने हैं तथा हेलीपैड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी मुख्य मंत्री किसी भी स्कूल के ग्राऊंड में किसी भी समय उतर सकता है। हेलीपैड के लिए आज आपने मण्डी जोड़ा बहुत अच्छी बात की है क्योंकि वहां दो है। आपने शिमला जोड़ा, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं क्योंकि यहां पर तीन है। आप मनाली जोड़ रहे हैं तो वहां के लिए भी टूरिज्म प्वाईंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात है। (...व्यवधान...) मैं हेलीपोर्ट की बात कर रहा हूं और इसके अंतर्गत आपसे पूछना चाहता हूं कि उड़ान की आगे की जो योजना आयेगी क्या उसके अंतर्गत आप जिला मुख्यालयों को हेलीपोर्ट से जोड़ेंगे? दूसरा मैं यह पूछना चाहता हूं कि उड़ान-1 योजना के तहत क्या हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए भी कोई धनराशि उपलब्ध करवाई गई है?

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, उड़ान-2 प्रदेश सरकार की नहीं बल्कि केंद्र सरकार की योजना है। हमें तो अच्छा लगेगा कि प्रदेश में ज्यादा-से-ज्यादा हेलीपोर्ट बनें मगर एक

हेलीपोर्ट बनाने में करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। (...व्यवधान...) आप (श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु) सुन तो लीजिए। अब ऐसी परिस्थिति में जैसे आपने सुझाव दिया तो आने वाले समय में अगर इस तरह की सम्भावनाएं दिखेंगी तो हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से आज की तारीख में इसकी बहुत आवश्यकता है। हमने दूसरे प्रदेशों में जाकर भी देखा है कि वहां हेलीटैक्सी ट्रांसपोर्टेशन का बहुत अच्छा जरिया बन गया है और इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। उस दृष्टि से आने वाले समय में इस बात को सुनिश्चित करेंगे और प्रदेश के जिस-जिस जिले में इस प्रकार की सम्भावनाएं बनेंगी तो उसमें आगे बढ़कर काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहां तक आपने उड़ान-1 की बात की है तो इस योजना के तहत हेलीपोर्ट के निर्माण का प्रावधान नहीं था। वह स्कीम ही अलग थी जिसको आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने शिमला से लाँच किया था। इसके अतिरिक्त जहां तक आपने जिलों की बात है तो वैसे तो सभी जिलों में किसी-न-किसी रूप में है लेकिन फिर भी कुछ जगह जैसे कि अध्यक्ष महोदय जी ने अभी कहा कि नाहन में नहीं है। मगर नाहन में आर्मी का बहुत अच्छा हेलीपैड है और हमारा काम वहां से चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कहीं दूसरी जगह बनाया जा सकता है और कम खर्चे पर बनाया जा सकता है तो इस बात का जरूर ध्यान रखा जायेगा।

21.08.2019/1145/टी.सी.वी./एच.के.-1

कई बार हेलीपैड के लिए हम ऐसी जगह चयनित कर लेते हैं, जहां पर सड़क का निर्माण करने में ही करोड़ों रुपये खर्च हो जाते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके माध्यम से हमें शीघ्र आने जाने की सुविधा मिलती है। इसलिए इमरजेंसी, मुख्य मंत्री के प्रवास व पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु हिमाचल प्रदेश के 68 विधान सभा चुनाव क्षेत्रों में हेलीपैड बनाये जाएंगे। मैंने सभी माननीय विधायकों से आग्रह किया है कि वे इसके लिए अपने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उचित स्थान का चयन करें और हम वहां पर हेलीपैड का निर्माण करेंगे।

श्री राम लाल ठाकुर (श्री नैना देवी जी): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर में जहां हेलीकॉप्टर उतरता है, वहां पर साईं की ओर से बहुत-सारा पैसा खर्च किया जा रहा है। वहां पर इंटरनेशनल लैवल के इवेंट्स करवाने के लिए स्पोर्ट्स अथोरिटी ऑफ इंडिया ने पैसा दिया है। इसके लिए जिला मुख्यालय में और कोई जगह नहीं है और अब साईं का

प्रोजेक्ट कंप्लीशन पर है। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी जिला मुख्यालय में किसी अन्य स्थान पर हेलीपैड बनाने के आदेश देंगे? दूसरा, स्वारघाट मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में श्री नैना देवी में पड़ता है। आदरणीय वीरभद्र जी बतौर मुख्य मंत्री 2-3 बार वहां पर गये और उन्होंने स्वारघाट के पास जगह का चयन भी किया। लोक निर्माण विभाग ने वहां पर अस्थायी हेलीपैड बना दिया है और वहां पर जगह भी पर्याप्त है। यह स्थान मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र के सेंटर में पड़ता है तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी वहां पर हेलीपैड बनाने के लिए आदेश देंगे?

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के कई जिला मुख्यालयों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि वहां पर जहां भी खुली जगह उपलब्ध है, वहां हेलीकॉप्टर की लैंडिंग व टेकऑफ करने के लिए अस्थायी हेलीपैड बने हुए हैं और यही व्यवस्था बिलासपुर में भी है। वहां पर लूणू स्थान पर साईं संस्थान ने खेल का मैदान बनाया हुआ है जिसमें हेलीकॉप्टर लैंडिंग करता है। लेकिन उसमें लैंडिंग करने पर साईं संस्थान को भी आपत्ति रहेगी। जब वहां पर उनकी कोई एक्टिविटिज़ चल रही होगी तो ऐसे में वहां पर लैंडिंग करना संभव नहीं होगा। इसलिए यदि बिलासपुर मुख्यालय के नजदीक कहीं पर भी ऐसी जगह मिलती है, जहां पर चौपर लैंडिंग के लिए हेलीपैड बनाया जा सकता है तो उस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे। आपने स्वारघाट के पास जिस जगह का ज़िक्र किया है, मैं उसकी पूरी रिपोर्ट मंगवाउंगा और यदि यह स्थान हेलीपैड के लिए उपयुक्त पाया गया तो निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे।

श्री सुख राम (पांवटा सहिब)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला सिरमौर में पांवटा, शिलाई और नाहन में कोई हेलीपैड नहीं है। जबकि जिला सिरमौर में डी.आर.डी.ए., आई.आई.एम. और गुरूद्वारा पांवटा सहिब जैसे महत्वपूर्ण संस्थान हैं। प्रदेश के लिए जो 6 हेलीपोर्ट स्वीकृत हुए हैं, उनमें से 3 तो जिला शिमला के लिए ही स्वीकृत हुए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगली बार जब आप हेलीपोर्ट स्वीकृत करें तो जिला सिरमौर को भी ध्यान में

रखें क्योंकि डी.आर.डी.ए. का बहुत बड़ा प्रोजैक्ट पांवटा साहिब में लग रहा है। आई.आई.एम. धौलाकुआं में स्थापित हो रहा है और भारतवर्ष का बहुत प्रसिद्ध गुरूद्धारा पांवटा सहिब में स्थित है, जहां पर लाखों श्रद्धालू हर वर्ष आते हैं। इसलिए इनको ध्यान में रखते हुए, क्या हेलीपैड बनाने के लिए जिला सिरमौर को प्राथमिकता दी जाएगी?

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों को पूछने की आवश्यकता नहीं है, सभी माननीय सदस्यों के विधान सभा क्षेत्र के मुख्यालय में एक-एक हेलीपैड बना दिया जाएगा। मैं माननीय सदस्य श्री सुख राम चौधरी की बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं क्योंकि पांवटा साहिब में हेलीकॉप्टर स्कूल के ग्राउंड में उतारा जाता है।

21-08-2019/1150/NS/YK/1

मैं वहां पर एक बार आर्मी के हैलिकॉप्टर और दूसरी बार अपने हेलिकॉप्टर से गया हूं। मैं वहां पर तीन बार उसी जगह उतरा हूं। तीनों बार पायलट ने वहां पर उतरने के बाद रिजर्वेशन शो की है क्योंकि वहां पर चारों तरफ बहुत ऊंचे-ऊंचे पेड़ हैं। हेलीकॉप्टर को स्कूल के ग्राउंड में ऊपर से सीधा नीचे लाना पड़ता है और यह उपयुक्त नहीं है। आर्मी के हेलीकॉप्टर वालों ने एक बार इसके लिए अपनी नाराज़गी भी जाहिर की और कहा कि यह जगह हेलीकॉप्टर उतारने के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि हमें हेलीकॉप्टर ऊपर से सीधा नीचे उतारना पड़ता है। वहां पर आगे जाने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि सामने सफेदे के ऊंचे-ऊंचे पेड़ हैं। जैसा माननीय सदस्य श्री सुख राम जी ने कहा कि वहां पर आई.आई.एम. और बहुत सारे इंस्टीच्यूशन्ज़ आ गए हैं तो हम वहां पर हेलीपैड बनाना सुनिश्चित करेंगे। माननीय सदस्य आप अच्छी जगह ढूंढिए और हम आपको वहां पर हेलीपैड बना करके देंगे।

अध्यक्षः ---(व्यवधान)--- मैं एक व्यवस्था देना चाहता हूं। ---(व्यवधान)--- आप बैठिए, प्लीज। मैं खड़ा हूं और आप बोल रहे हैं।

आगे से जो भी तारांकित प्रश्न चर्चा में आएंगे उनमें प्रश्नकर्ता को दो बार अनुपूरक प्रश्न (Supplementaries) पूछने की इज़ाजत दी जाएगी । फिर उस प्रश्न पर केवल दो

माननीय सदस्यों को ही अनुपूरक प्रश्न (Supplementaries) पूछने की अनुमति मिलेगी ताकि प्रश्नकाल के दौरान ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लगाए जा सकें।

प्रश्न संख्याः 1224

श्री राकेश पठानियाः अध्यक्ष महोदय, मैंने उद्योग मंत्री जी से बड़ा क्लीयर पूछा था कि 'Will the Industry Minister please be stated that the Government will approach the Supreme Court on the issue of ban by N.G.T.'? इन्होंने इसका जवाब दिया, नहीं। अगर जवाब No है तो फिर मैंबर सेक्रेटरी को अभी तक आदेश क्यों नही दिए गए कि जो स्टोन क्रशर वाले नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनको बंद किया जाए? दूसरा, क्या वज़ह है कि आपने एक बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने आपको वापिस एन.जी.टी. में भेजा? एन.जी.टी. ने इसमें और ज्यादा रेस्ट्रिक्शन्ज़ लगा दी हैं। मैं आदरणीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपने इसमें जवाब दे दिया है कि हम आगे कोर्ट में अपील नहीं करने वाले हैं तो आप इसकी इंप्लीमैंटेशन कब तक करेंगे?

उद्योग मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री राकेश पठानिया जी ने पूछा कि क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा रही है? हमने इसका जवाब दिया कि सरकार नहीं जा रही है। ऐसा हमने इसलिए कहा है क्योंकि एडवोकेट जनरल ने हमें सलाह दी है कि आप सुप्रीम कोर्ट से पहले माननीय उच्च न्यायालय में जाईए। इसलिए पहले हम माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे क्योंकि फिर आगे जाने के लिए गुंजाइश रहती है। दूसरा, माननीय सदस्य ने जो कहा है तो हम इसके लिए कोर्ट की प्रक्रिया अपना रहे हैं और यह सारी प्रक्रिया अब फाइनल स्टेज में है।

श्री राकेश पठानियाः माननीय अध्यक्ष जी, मैं यही मंत्री जी से कह रहा हूं कि अगर सरकार ने कोर्ट में जाना है तो प्रश्न के उत्तर में नहीं मत लिखिए। On N.G.T., the matter has already gone to the Court and has come back from the Court. अध्यक्ष जी, मैंने आपसे इसके लिए समय मांगा है और आपने कहा है कि आप हमें इसके लिए अलौ करेंगे। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि अगर सरकार कोर्ट में जाएगी और उसके बाद स्टे मिलेगा तो जो लोग इलीगल तरीके से स्टोन क्रशर चला रहे हैं क्या उनको इसका फायदा मिलेगा?

उद्योग मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार कोर्ट में जाएगी। माननीय सदस्य जो इलीगल वाला विषय बोल रहे हैं तो उनको कोर्ट से किसी प्रकार का रिलीफ नहीं मिलेगा। जो स्टोन क्रशर गलत चल रहे हैं उनको हम बंद कर रहे हैं और आगे भी नहीं चलने देंगे।

श्री लखविन्द्र सिंह राणाः माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र नालागढ़ में एक क्रशर बगलैहढ़ पंचायत और दूसरा क्रशर गोंदवाला पंचायत में नदी के बीच में लगा हुआ है। जबकि एन.जी.टी. के आदेशानुसार रिवरबैड से 100 मीटर की दूरी का दायरा फिक्स किया गया है। क्या माननीय मंत्री जी इसके लिए कोई कार्रवाई अमल में लाएंगे?

21.08.2019/1155/RKS/YK-1

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री लखविन्द्र सिंह राणा जी आप प्रश्न से संबंधित सप्लीमैंटरी नहीं कर रहे हैं।

उद्योग मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राणा जी हमेशा विषय से हट कर ही बात करते हैं। जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह बात माननीय पठानिया जी ने कह दी है। जिस समय यह रिपोर्ट तैयार की गई उस समय अलग-अलग क्षेत्रों में असैसमैंट नहीं करवाई गई थी। एक-दो जगह असैसमैंट करने के उपरांत एन.जी.टी. को उत्तर प्रेषित कर दिया गया जिसके ऊपर एन.जी.टी. द्वारा आब्जैक्शन्ज लगाए गए। लेकिन कोई अवैध काम हो रहा है तो उसके बारे में हमें बताया जाए, हम उस क्रशर को बंद करवा देंगे।

श्री हर्षवर्धन चौहानः माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि वे माननीय न्यायालय में अपील करने जा रहे हैं। मैं यह बताना चाहूंगा कि एन.जी.टी. के ऑर्डर पारित होने के बाद हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे क्रशर्ज़ बंद होने जा रहे हैं। लोगों ने क्रशर्ज़ स्थापित करने में पैसा इन्वैस्ट किया है। इन क्रशर्ज़ से लोगों को रोजगार मिल रहा है और सरकार को भी आय हो रही है। वर्ष 2014 के बाद यह कानून बनाया गया कि नदी तट से 100 मीटर के दायरे में कोई स्टोन क्रशर स्थापित नहीं होगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो कानून वर्ष 2014 से पहले यानी जो क्रशर100 मीटर के भीतर

स्थापित हुए हैं उन्हें कैटेगराइज करके क्या उनके लिए भी माननीय न्यायालय में अपील फाइल की जाएगी?

उद्योग मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस नाले में सिर्फ एक महीना पानी आता है उसमें भी 100 मीटर दायरे वाली क्लॉज़ एन.जी.टी. द्वारा लगाई गई है। लेकिन जहां एक महीने पानी आता है और दूसरी जगह जहां बारह महीने पानी आता है, इन दोनों चीजों को हमनें अलग-अलग तरह से प्लीड किया है। जैसे माननीय सदस्य की चिंता है हमने इस विषय को बड़ी गंभीरता से लिया है और उसी तरीके से हम इस मामले को प्लीड कर रहे हैं।

श्री राकेश पठानियाः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही बात माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और जैसा माननीय सदस्य श्री हर्षवर्धन चौहान जी ने कहा कि यह perennial है या non-perennial? पहले तो यह perennial के लिए लागू होता था। आप कोर्ट में गए और एन.जी.टी. ने इसे वापिस रैफर किया। एन.जी.टी. ने इसके ऊपर सख्त हिदायत पास कर दी। अब इसमें non-perennial क्षेत्र भी आ गया है। आप कोर्ट में जाएंगे लेकिन इस प्रकार की इंस्ट्रक्शन्ज दी गई तो सारे ही क्रशर्ज़ बंद हो जाएंगे। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि हम इस तरीके से कोर्ट में जाएं या इस मामले को इस तरीके से सैटल करें ताकि जहां पर आवश्यकता हो वहां पर यह काम हो और जहां पर अवैध खनन हो रहा है, उसे बंद किया जाए।

उद्योग मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का अच्छा सुझाव है, हम इस पर अवश्य अमल करेंगे।

<u>प्रश्न संख्याः 1225</u>

श्री राम लाल ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सूचना इसी सत्र में उपलब्ध हो जाएगी? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि दिनांक 17.11.2018 को जितने भी स्वीकृत आदेश गए उनके बारे में जब जिलाधीश

कार्यालय से हमें सूचना प्रेषित की गई तो विधान सभा को सूचना देने में जिलाधीश कार्यालय को क्या दिक्कत आ रही है?

अध्यक्षः माननीय सदस्य, अभी डिस्कस मत करिए क्योंकि अभी इस प्रश्न का उत्तर उपलब्ध नहीं हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री जी क्या यह सूचना इसी सत्र में उपलब्ध हो जाएगी?

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न के 'क' भाग में पूछा है कि 'जिला बिलासपुर में उपायुक्त द्वारा कितनी धनराशि सड़कों और पुलों के निर्माण हेतु आबंटित की गई ; ब्योरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार दें?' माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न की एक लंबी सूचना बनती है। इन्होंने आगे 'ख' भाग में पूछा है-'दिनांक 17.11.2018 के स्वीकृत आदेश के तहत जिन कार्यों हेतु धनराशि आबंटित की गई थी उन कार्यों की डैमेज रिपोर्ट की तिथि क्या थी;

21.08.2019/1200/बी0एस0/ए0जी0-1

इनके प्राक्कलन कब तैयार किए गए, तथा कब उपायुक्त कार्यालय में जमा करवाए गए? इसके बाद भाग (ग) इसमें अलग से है जिसमें लिखा है कि क्या यह सत्य है कि बिना प्राक्कलन तैयार किए ही धनराशि जारी की गई है, यदि हां तो उसके लिए क्या आधार और मापदंड तय किए गए? यह जिला बिलासपुर से भी अधिक लम्बा प्रश्न माननीय सदस्य ने कर दिया है। लेकिन जहां तक सूचना का प्रश्न है यदि संभव होगा तो अवश्य हम उत्तर उपलब्ध करवाएंगे। परंतु इस सत्र में तो यह संभव नहीं लगता लेकिन अगले सत्र तक आपको सूचना प्रदान कर दी जाएगी। ऐसे भी सत्र का बहुत थोड़ा समय बचा है। यह प्रश्न बहुत लम्बा है इसलिए इसमें समय लगेगा।

प्रश्न काल समाप्त

<u>कागज़ात सभा पटल पर</u>

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:-

i. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं उप सचिव (निर्वाचन), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्याः 5-36/2017-ईएलएन. 1330 दिनांक 27.03.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.03.2019 को प्रकाशित।

ii. अकादमी की संविधान की धारा-21 के अन्तर्गत हिमाचल कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 (01-04.2017 से 31.03.2018) तथा वर्ष 2016-18(01-04.2016 से 31.03.2018) ।

iii.

अध्यक्ष : अब श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री जी कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे:-

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, मत्स्य अधिकारी, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्याः फिश-ए(3)-1/2014 दिनांक 01.06.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.06.2019 को प्रकाशित है की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्षः अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किए जाएंगे। श्री राकेश पठानिया, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2019-20), समिति का 15वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 68वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री राकेश पठानियाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2019-20), समिति का 15वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 68वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब श्री सुख राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2019-20), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे1

श्री सुख रामः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति, (वर्ष 2019-20), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

i. समिति का 16वां मूल प्रतिवेदन(तेरहवीं विधान सभा) जोकि महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अन्तर्गत "नारी सेवा सदन के उत्थान" की संवीक्षा पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है; और

ii. समिति का 17वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 10वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में

iii. अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है ।

अध्यक्षः अब श्री बलबीर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2019-20), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री बलबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव विकास समिति, (वर्ष 2019-20), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

i. समिति का 14वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 23वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित है; और
ii. समिति के 18वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2009-10) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 21वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष : अब श्री विक्रम सिंह जरयाल, सभापति ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2019-20), समिति का 12वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 28वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित

तथा वन विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

श्री बिक्रम सिंह जरयाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2019-20), समिति का 12वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 28वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा वन विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

<u>नियम 62 के अंतर्गत ध्यानाकषर्ण</u>

अध्यक्ष : श्री नरेन्द्र बरागटा जी नियम 62 के अंतर्गत ध्यानाकषर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जोकि बागवानी मंत्री भी हैं वे इस विषय का उत्तर देंगे।

मुख्य सचेतक (**श्री नरेन्द्र बरागटा**) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 62 के अन्तर्गत में आपकी अनुमति से प्रदेश में बागवानों को टैलीस्कोपिक कार्टन से हो रही हानि तथा यूनिवर्सल कार्टन की उपलब्धता न होने के कारण माननीय बागवानी मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं इस विषय पर आऊं,

21.08.2019/1205/डी0टी0/ए0जी0-1

हाल ही में भारी वर्षा के कारण जो प्रदेश में जान माल का नुकसान हुआ है उसके लिए मैं दुःख प्रकट करता हूं। जहां बरसात के कारण एक तरफ बागवानों का सेब तुड़ान रूक गया वहीं सेब सीजन पीक में होने के कारण बागवानों को बहुत हानि हो गई और उनका सेब होल्ड हो गया। पूरे क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण सड़कें टूट गई और कई जगह तो दो सौ से तीन सौ मीटर सड़क पूरी तरह ढह गई । लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस तरह से इस आपदा से निपटने के लिए कार्रवाई की उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। चाहे

वह कहीं का भी क्षेत्र हो और विशेषकर जिला शिमला के अन्दर जिस तरह सैंकड़ों मशींने सड़कों को दुरूस्त करने के लिए लगाई गई उससे जो सेब रूका पड़ा था वह बाज़ार में आना शुरू हो गया। इसके लिए मैं अपनी और बागवानों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय,जैसा कि आपके संज्ञान में है कि सेब प्रदेश की सबसे बड़ी आर्थिकी है। प्रतिवर्ष सेब से कभी तीन हजार करोड़, कभी चार हजार करोड़ और कभी पांच हजार करोड़ रुपये की आर्थिंकी प्रदेश को मिलती है। लेकिन दुर्भाग्य से इस इडंस्ट्री में आज बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। यदि इन समस्यों का तुरन्त समाधान नहीं किया गया तो मुझे लगता है कि सात-आठ साल के अन्दर इस इडंस्ट्री पर बहुत बड़ा खतरा मडरा जाएगा। प्रदेश की भौगोलिक दृष्टि से 48 प्रतिशत खेत में सेब की खेती की जा रही है और जितने भी फल प्रदेश में पैदा किए जाते हैं उसमें 87 प्रतिशत सेब का योगदान है। इसलिए हम सेब को अलग रख करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, सेब पर ओले पड़ने के कारण सारी फसल नष्ट हो जाती है, जिससे बागवानों की पूरे साल की मेहनत बरबाद हो जाती है। कभी स्कैब आ जाता है तो कभी पत्ते झड़ने की बीमारी हो जाती है जिस कारण अगले साल की फसल भी नष्ट हो जाती है। कभी रेट गिर जाते हैं जैसे इस वार हुआ है। अध्यक्ष महोदय आपको यह जान कर दुःख होगा कि 15 -20 दिन पहले बीस किलो की पेटी का रेट तीन या चार हजार रूपये था वे अब चार और पांच सौ रूपये में आ गया है। इस तरह की समस्या बागवानों को आ रही है। बरसात में सड़कें अवरूद्ध होने के कारण सेब मंडी तक पहुंचाने में लेट हो जाता है जिस कारण कीमतो में भी दिन रात का फ़र्क आ जाता है। डीजल के रेट बढ़ने के कारण भाड़े में वृद्धि हो रही है लेकिन यह अन्तर्राष्ट्रीय मार्किट पर निर्भर करता है और उसमें प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर सकती। इस वक्त सेब पर सबसे बड़ा संकट आढ़ती और बिचोलिओं द्वारा किए जा रहे शोषण का है। मुझे प्रदेश सरकार और माननीय बागवानी मंत्री जी का धन्यवाद करना है क्योंकि

आपने इस साल बहुत बड़े- बड़े कदम बागवानों की सुविधा हेतु उठाएं हैं। मुझे आशा है कि उसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। बाज़ार में जब सी0 ग्रेड का सेब जाता है तो उसके कारण ग्लट आ जाता है और उसके कारण मण्डी नीचे आ जाती है। पूर्व में रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एप्पल ग्रोइंग एरिया में एक प्रोसैंसिग प्लांट की योजना बनाई थी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का और बागवानी मंत्री जी का आभारी हूं जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इस योजना पर जल्दी काम शुरू होगा और

21-08-2019/1210/डी.सी.-एन.जी./1

अगर अपर हिमाचल और जो एप्पल ग्रोईंग ऐरिया में प्रोसेसिंग प्लांट लगता है तो उससे मार्केटिंग की बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है। इससे भाड़ा भी बचेगा और साथ ही घरद्वार पर किसानों-बागवानों को सुविधा मिलेगी। सेब सीज़न में जाम की समस्या बहुत अधिक हो जाती है। यहां सेब का सीज़न शुरू होता है और सभी लोग जाम की समस्या से परेशान होने लगते हैं। हम सब को इसके लिए बहुत सारे कदम उठाने की आवश्यक्ता है। परन्तु मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता क्योंकि हमारे पास बहुत ही अनुभवी मंत्री हैं जो इस विषय पर काम कर रहे हैं। जैसा की मैंने आंकडे दिए और जिस प्रकार सेब का ऐरिया बढ़ रहा है उसके लिए उतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। उनकी तरफ भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और मैं इसके लिए आपको अभी सुझाव भी देने वाला हूं। जैसा कि मेरा आज का विषय है, "बागवानों को टैलीस्कोपिक कार्टन से हो रही हानि तथा यूनिवर्सल कार्टन की समय पर आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति पर माननीय सदन विचार करे" तो मुझे प्रसन्नता है कि इस माननीय सदन में शायद ही कोई सदस्य है जो कृषि और बागवानी से नहीं जुड़ा होगा। इसी कारण हिमाचल प्रदेश बागवानी और सेब के कारण जाना जाता है। माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी का मैं बहुत आभारी हैं,जिन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र के कोटखाई में एक कार्टन की फैक्टरी लगाई थी। उस के वहां पर लगने से बहुत अच्छा काम हुआ, जिससे लकड़ी भी बची और न ही जंगल कटे। इसके लिए माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है, इसके लिए मैं भी इनका समर्थन करता हूं। इससे आम लोगों के बीच में

यह धारणा बनी कि पेड़ बचेंगे तो हम बचेंगे और प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। कार्टन की फैक्टरी लगना एक अच्छा कदम था लेकिन इसमें एक गड़बड़ हो गई। आढ़तियों, लदानियों और लोडरों ने बागवानों को गुमराह करना शुरू कर दिया कि , it is not a single piece but इसमें दो पीस है एक इन्नर और एक आउटर । मैं देख रहा हूं कि माननीय सदन में दोनों ओर पहली कतार के बैंचों पर जो लोग विराजमान हैं और ये खुशी की बात है कि एक तरफ पूर्व मुख्य मंत्री और एक तरफ वर्तमान के मुख्य मंत्री, एक तरफ बागवानी मंत्री और श्री गोविन्द जी , यह सारी टीम सेब उत्पादक है। मुझे ज्यादा explain करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर हो क्या रहा है कि बागवानों को यह सिखाया गया है कि बाहर का जो हिस्सा है उसे थोड़ा उपर उठाओ और उसमें सेब ज्यादा भरो, जिसमें उनके मजे लग गए और इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे बागवानों को हो रहा है। इस कारण छोटे बागवान नष्ट हो रहे हैं और उनकी बागवानी सस्टेन नहीं कर पा रही है। मुझे लगता है कि अगर हमने इसमें तुरंत कोई कदम नहीं उठाया तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मुझे याद है वर्ष 2012 भारतीय जनता पार्टी के वक्त में हमने इसके लिए कुछ कदम उठाए थे। यह आपके रिकार्ड में भी होगा कि इसके लिए पांच बैठकें की गई और हमने प्रदेश के सारे स्टेक होल्डर्स को इक्कठा किया। जो हमारे बागवानी मंत्री है वह खुद बागवान है। कुल्लु में हम देखते हैं कि वहां 10 किलो का ही डिब्बा चलता है। शिमला एप्पल और किन्नौर एप्पल जिनके बाक्स 20 किलो के होते हैं उसके लिए भी चर्चा हुई। हमने cargoter manufacturers, fruit growers associations, technocrats and experts की पांच बैठकें बुलाई। मुझे प्रसन्नता है कि कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती विद्या स्टोक्स स्वयं तत्कालीन मुख्य मंत्री के पास गई और कहा कि धूमल जी आप कृपा करके इसमें हस्तक्षेप कीजिए क्योंकि इसमें बहुत नुकसान हो रहा है। उन्होंने दलगत राजनीति से उपर उठकर के कुछ निर्णय लिए और हमने यह प्रयास किया कि हम ग्रोअर के बीच में जाएंगे, उनसे बात करेंगे और उसके बाद इसे लागू करने की ओर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद सरकार चली गई और कांग्रेस पार्टी की सरकार आई। मुझे बताया गया कि कांग्रेस पार्टी ने भी उस कदम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और वर्ष 2014 में एक अध्यादेश लाया गया।

जिसके बाद हमें भी प्रसन्नता हुई और मैने उस वक्त की सरकार को बधाई दी कि हमने बागवानों को बचाने के लिए जो एकइनीशिएटिव लिया था उस पर आगे बढ़ते हुए आपने भी कार्य किया है। मैं आपके ध्यान में एक तथ्य लाना चाहता हूं कि जो प्रैक्टिस इस समय चल रही है उससे यदि चार हजार करोड़ रूपये की आर्थिकी है तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि जो कार्टन इस समय उपयोग हो रहा उससे बागवानो पर लगभग एक हजार करोड़ रूपये की चपत लग रही है। यह बहुत बड़ी राशि है, चार हजार करोड़ में से एक हजार करोड़ रूपये साईफन ऑफ हो जाए तो कितना बड़ा आर्थिकी का नुकसान हो सकता है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसमें हमने देखा की ये सब टैलीस्कोपी के ड्रोबैक्स के कारण हैं। जैसा कि मैंने कहा यह नेचर में टैलीस्कोपिक है और इसमें बागवानों को लिबर्टी मिल जाती है ।

21/08/2019/1215/RG/DC/1

अध्यक्ष महोदय, आप हैरान होंगे कि 8-8 किलो नहीं बल्कि 10-10 किलो उसमें ऐक्स्ट्रा सेब लगाया जा रहा है, बीस की जगह तीस किलो भरा जा रहा है और अभी मैंने सुना कि लोगों ने 38 किलो तक भरना शुरू कर दिया है। यानि यह तो हद हो रही है और इस पर तुरन्त रोक लगाने की आवश्यकता है। वे कौन हैं, आढ़तिए, कमीशन एजेन्ट्स और वे लोडर, जिनका इस प्रदेश से कोई लेना-देना नहीं है। प्रदेश के हितों की रक्षा करना तो छोड़िए, वे तो भक्षक बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो ग्रोवर्ज को लिबर्टी मिल रही है, इसके कारण से यह सब गड़बड़ हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, उस समय हमने एक सर्वेक्षण कराया था, उसमें चण्डीगढ़ की मार्केट एवं शिमला की मार्केट में यह पाया गया कि उस समय वर्ष 2012 में 70 प्रतिशत सचमुच में ओवरलोडिंग हो रही है। अब बताइए 70 प्रतिशत ओवरलोडिंग हो रही है, कुछ एरिया हैं जैसे कोटगढ़ का एरिया है या अन्य कुछ एरिया हैं, वे अभी भी 20 किलो भरते हैं। मैं यह बात ध्यान में लाना चाहता हूं। यह सब ओवर-फिलिंग के कारण हो रही है या ओवर ग्रेडिंग के कारण हो रही है और उसमें एक-एक या दो-दो ऐक्स्ट्रा लेयर लगाई जाती हैं, जोकि गलत तरीका है और ट्रे भी गलत यूज की जाती है। जिसके कारण बहुत बड़ा

नुकसान हो रहा है। हम जो अभी कार्टन यूज कर रहे हैं, इसमें ओवर-फिलिंग हो रही है जिससे क्वालिटी भी सफर हो रही है। क्योंकि जब एक बॉक्स बीस किलो के लिए बना है अगर उसमें 35 किलो भर दिया जाएगा तो नीचे की लेयर बिल्कुल खराब हो जाएगी। उससे हमारी सेब की इमेज बहुत खराब हो रही है, जिसको तुरन्त रोकने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार आपको जानकार हैरानी होगी कि कंज्युमर इसको री-साईक्लिंग करता रहता है और उसी प्रैक्टिस में यह फिर दुबारा आ जाता है। इससे बहुत नुकसान हो रहा है। जो अन्तर्राष्ट्रीय मानक है, उसके मुताबिक जब फ्रूट में मैच्योरिटी आ जाए तभी उसको तोड़ना चाहिए, लेकिन वे इसलिए उसको जल्दी-जल्दी तोड़ लेते हैं कि उसमें ज्यादा से वेट भी लगा लेते हैं और जल्दी तोड़ भी देते हैं जिससे अगले वर्ष भी उसका नुकसान होता है। ग्रेडिंग और पैकिंग हमारी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की होनी चाहिए जो नहीं हो रही है। लेकिन एक अच्छी बात यह हुई है कि लोगों ने छोटे-छोटे ग्रेडिंग एवं पैकिंग सेन्टर्ज लगाए हैं, उससे ग्रेडिंग में सुधार तो हुआ है लेकिन इसमें अभी भी बहुत स्कोप है। इसके अतिरिक्त जो प्रो-हारवेस्ट मैनेजमेंट है, उसमें क्वालिटी बिल्कुल नहीं है, उसका नुकसान हो रहा है। सी.ए. स्टोर्ज या दूसरे जो स्टोर्ज हैं, उसके लिए अभी तक जो फलों का क्षेत्र है चाहे वह चम्बा, सिरमौर, मण्डी, किन्नौर, कुल्लू, शिमला या सोलन का है, यानि कि इस समय लगभग 9-10 जिलों में हमारा सेब उत्पादन हो रहा है, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता, इसलिए इस मामले में तुरन्त हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा कि जो ऑर्डिनेन्स कांग्रेस सरकार ने लाया, मुझे पता नहीं क्योंकि यहां बिल लाना बहुत जरूरी है। मंत्री महोदय से मेरा करबद्ध निवेदन है और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से भी इसमें हस्तक्षेप चाहूंगा और इनसे मेरा यह निवेदन है कि हमारे अनुभवी मंत्री हैं और मुझे पूरी आशा है कि यदि इसको कानूनी रूप देना पड़े तो देना चाहिए। इसको कम्पलसरी कर देना चाहिए। इसमें अभी जो डबल है, उसको सिंगल करिए और इसको हम स्टेण्डर्ड यूनिवर्सल कार्टन के नाम से बोलते हैं। इसका जो फैब्रिक होगा वह भी अच्छा और पक्का होना चाहिए। वैसे इसमें बहुत ऐक्सरसाईज हुई है। आप कृपा करके ऐक्सपर्ट्स को बुलाइए। इसमें कई साईज लार्ज, स्माल एवं मीडियम हैं। उसके लिए पहले लकड़ी के बॉक्स अलग-अलग थे लेकिन अब थोड़ा सा चेन्ज हुआ है। जो अन्तर्राष्ट्रीय मानक है, आप अडानी के यहां देखिए, उनका यूनिवर्सल कार्टन है और वह मार्केट में प्रिजेन्ट हो सकता है। इसी प्रकार से जो बाहर से सेब आता है चाहे अमरीका, यूरोप, चाईना आदि से आ रहा

है, उनकी आप पैकिंग देखिए, कहीं भी इस तरह की प्रैक्टिस नहीं है जो हमारे देश में है और यह जम्मू-कश्मीर, उत्तराखण्ड और विशेषकर हिमाचल प्रदेश में है। इसके अतिरिक्त मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी का एक और बात के लिए धन्यवाद करना है कि इन्होंने कुछ प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों के साथ हार्टिकल्चर के बारे में मीटिंग भी की है, उसमें भी इस मुद्दे का हल निकालना चाहिए

21/08/2019/1220/MS/AG/1

ताकि एक तरह की ग्रेडिंग/पैकिंग हम सब कर सकें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि हमने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में उतरना है तो हमें कुछ सटीक कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो हम बहुत लेट हो जाएंगे।

मैं आज एक बात और कहना चाहता हूं। अभी तक यह बहाना होता था कि बाहर से सेब आ रहा है इसलिए कस्टम ड्यूटि बढ़ाओ। इस बारे में खूब शोर-शराबा भी होता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अगर इस बारे में किसी ने कोशिश की तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की, जिन्होंने 20% कस्टम ड्यूटि को 50% किया और इसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। ऐसा प्रधानमंत्री धन्य है जिन्होंने सेब और हमारे प्रदेश के बारे में सोचा। अगर उसके बाद किसी ने ऐसी कोशिश की है तो आज के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने की है। मुझे इस बात की खुशी है कि कस्टम ड्यूटि को बढ़ाए बगैर उन्होंने अमरीका का सेब बन्द कर दिया जो पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा पावरफुल देश है। इसी तरह से चाइना का सेब भी आना बन्द कर दिया। अब क्या बहाना है? मैं अपेक्षा कर रहा था कि इस बात के लिए विपक्ष की ओर से भी टेबल थपथपाई जातीं क्योंकि उस तरफ भी कई सेब उत्पादक हैं लेकिन वहां से एक भी ताली नहीं बजी। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बात के लिए जगत सिंह नेगी जी हमें और आपको दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा। आपका किन्नौर का सेब तो कमाल का है और उसका कोई मुकाबला भी नहीं है। किन्नौर के सेब की बहुत अच्छी क्वालिटी है और वहां के लोग बहुत मेहनत करते हैं। मैं हाल ही में किन्नौर गया था और भाई साहब(श्री जगत सिंह नेगी जी की ओर इशारा करते हुए)को नमस्ते करने गया था लेकिन आप वहां मुझे मिले ही नहीं। मैं यह बताना चाहता हूं कि जो चाइना से सेब यहां आना अब बन्द हो गया है, उसका हमारे देश और प्रदेश को बहुत लाभ होगा। इसी तरह से अमरीका से सेब आना

बन्द हो गया है और अगस्त माह की रिपोर्ट के अनुसार अमरीका से अगस्त माह में जो 70 % यहां आता था, वह आना बन्द हो गया है। इसके लिए मैं दुबारा से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का और हमारे मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने और बागवानी मंत्री जी ने दिल्ली में जाकर इस विषय को उठाया था तथा उसके परिणाम सामने आ गए हैं। अन्त में कुल्लू जिला के लिए जो हाफ पेटी भेजते है (..घण्टी..)अध्यक्ष जी, मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मंत्री जी, मैं चाहूंगा कि इस बारे में आप अपनी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक पूरे प्रदेश के लिए बुलाइए और उस बैठक में स्टेक होल्डर्ज और विशेषज्ञों को बुलाइए। इसमें भूमिका बनी हुई है क्योंकि मैंने स्वयं इसमें इंटरवीन किया है और सारे लोग इसके लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार भी हैं। आज सुबह भी जब लोगों को पता लगा कि कार्टन से संबंधित कोई विषय सदन में लगा है तो सब अग्रिम बधाइयां दे रहे थे।

हमारे पूर्व मुख्य मंत्री स्वयं एक अच्छे बागवान हैं और सेब के क्षेत्र में आपने बहुत काम किया है और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। आपने हमारे सेब उत्पादकों के लिए लड़ाई लड़ी है लेकिन पता नहीं किन कारणों की वजह से आप यहां इस बारे में बिल नहीं ला सके, मुझे इस बात की हैरानी भी है। आदरणीय वीरभद्र सिंह जी जैसा स्ट्रगल करने वाला मुख्य मंत्री अपने खेतों को बचाने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठा सका, इसमें मुझे लगता है कि आपको किसी ने मिसगाइड कर दिया होगा या हो सकता है कि कोई कानून की पेचीदगी रही होगी लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और महेन्द्र सिंह ठाकुर जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कोशिश यह रहे कि इसी सत्र में इस बारे में बिल इस सदन में आए और उसको हम यहां से सर्वसम्मति से पारित भी करें ताकि कोई भी लोडर और बीच का बिचौलिया इसमें बीच में न आए। इससे हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को अलग से एक इन्सेंटिव मिलेगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और बागवानी मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस बार बागवानों को समय पर कार्टन मिले हैं और साथ ही सेब को भरने के लिए इक्विपमैंट भी मिले हैं। लेकिन मुझे एक बात की चिन्ता है कि सेब के रेट गिर रहे हैं। उसका एक कारण युनिवर्सल कार्टन का इन्ट्रोड्यूस नहीं होना है। इसके साथ ही जो प्रोसैसिंग प्लांट है उसको जल्दी लगाने का आपने मुझसे वायदा किया है और इसी सीट से वायदा किया है तथा मैंने भी इसी सीट से इस हेतु आपसे निवेदन किया था। उसकी अब क्या स्थिति होगी, उस बारे में आप ज्यादा जानते हैं।

मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि दुनिया में सेब के 180 बाई-प्रोडक्ट बनते हैं। अगर हम उनको बाई-फरकेट करेंगे, अगर हम उनको बाई-प्रोडक्ट बनाएंगे तो आर्थिकी में बहुत बड़ा फायदा होगा और इससे देश और प्रदेश के नौजवानों को भी लाभ होगा।

कुछ रूट स्टॉक हमने फ्रांस और अमरीका से मंगवाए थे और उनकी वजह से उस समय मेरी बड़ी आलोचना हुई थी कि यह रूट स्टॉक यहां फेल हो जाएगा। मुझे आज यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वह रूट स्टॉक फेल नहीं हुआ बल्कि हमारे बिलासपुर, ऊना और ऐसी ही जलवायु वाले क्षेत्रों में बल्कि मेरे शिमला जिला व मण्डी में वह स्पर वरायटी का सेब आज 4000-4500 रुपये पर-पेटी के हिसाब से बिक रहा है यानी उससे हमारे प्रदेश के बागवानों को लाभ हो रहा है।

21.08.2019/1225/जेके/एचके/1

हमने आज से 20 साल पहले यह काम शुरु किया था लेकिन हम इसमें पिछड़ गए क्योंकि हम थोड़े से स्लो हो गए हैं, इस सेब को बचाएं, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। यह बहुत बड़ी इण्डस्ट्री है। मैं यहां पर दोबारा से कह रहा हूं कि सेब के वगैर हॉर्टिकल्चर को समझना मुर्खता होगी। अगर कोई यह सोचता है कि सेब को साइड करो क्योंकि नीचे हमारा सिट्रस फ्रूट है, श्री राकेश पठानिया जी को ध्यान होगा, हमने युनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा रीज़नल सेन्टर हमीरपुर में दिया। आपके वहां एक बहुत बड़ा प्लांट दिया। पांच प्लांट हमने और लगाए। हमारा जो सिट्रस फ्रूट है, आम है और हमारी अन्य प्रजातियां हैं, उनकी ओर भी ध्यान दीजिए, सब-ट्रॉपिकल एरिया में भी ध्यान दीजिए लेकिन सब-ट्रॉपिकल एरियाज़ में रामपुर भी आता है, रोहड़ू भी आता है, चौपाल भी आता है और हमारा ग्रामीण क्षेत्र भी आता है। यह जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजैक्ट है क्योंकि यह भी सब ओर गया है। माननीय मंत्री जी ने शायद इसके बारे में सोचा होगा। हमारे आप स्ट्राँग मिनिस्टर हैं, अनुभवी हैं और हमारे बड़े भाई हैं, आपके हमारे साथ बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं। आप सेब उत्पादक भी हैं। एक रूट स्टॉक को मैंने और इन्होंने इनके बागीचे में जा कर एक्सपैरिमैंट किया था। मैंने इनके बागीचे में जा कर अपने हाथ से खुद कलम भी की थी। मुझे आशा है

कि उसके फल अब आने शुरु हो गए होंगे। बागवानी मंत्री जी खुद सेब पैदा करते हैं इसलिए आप समस्याओं से अवगत हैं। इसकी एक सीमा निर्धारित कर दें। इसलिए मैंने यह मामला पहले सैशन में ही उठाया है। ऐसा न हो कि ऑर्डिनेंस हो जाए जैसे कि कांग्रेस सरकार ने किया था। जो मैंने फेज़ शुरू किया था, वह उसी के आधार पर किया था लेकिन हैरानी की बात है वह बिल नहीं आया। मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री, श्री जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में और माननीय मंत्री जी की अगुवाई में बिल जल्दी आ जाए, जिसको हम पास करें ताकि अगले साल के लिए जो ये हेराफेरी होती है वह बन्द हो, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की आज्ञा दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री इस चर्चा का उत्तर देंगे।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, हमारे वरिष्ठ सदस्य, श्री नरेन्द्र बरागटा जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पूरे प्रदेश, विशेषकर जो सेब बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहां पर समस्या का कैसे समाधान हो, इस विषय को सरकार के सम्मुख रखा है।

हिमाचल प्रदेश का जिला शिमला, मण्डी जिला का ऊपर का क्षेत्र, चम्बा जिला का कुछ क्षेत्र, सिरमौर जिला का कुछ क्षेत्र, जिला किन्नौर और जिला लाहौल-स्पिति का क्षेत्र, इन जिलों में बड़े स्तर पर वहां का किसान सेब की बागवानी कर रहा है। श्री नरेन्द्र बरागटा जी खुद बागवान हैं। ये बड़े बागवान हैं और मैं छोटा सा बागवान हूं और 4-5 हजार सेब की पेटी मेरे बागीचे से भी निकलती है। श्री नरेन्द्र बरागटा जी की 10-12 हजार पेटी निकलती है इसलिए हम इनको बड़े बागवान कहते हैं। इन्होंने यहां पर कहा कि बागवानों के साथ क्या-क्या होता है। इन्होंने यहां पर विश्व बैंक परियोजना के बारे में भी जिक्र किया है। मैं यहां पर विश्व बैंक परियोजना का जिक्र इस करके नहीं करना चाहता क्योंकि कल ही नियम-101 के अन्तर्गत श्री राकेश पठानिया जी का संकल्प लगा है, मैं उसमें उसका जवाब दूंगा। लेकिन बागवानी इस प्रदेश के किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए है।

जैसे हमारे प्रधान मंत्री जी और हमारे मुख्य मंत्री जी की एक सोच है कि कैसे इस बढ़ती बेरोजगारी को हम दूर कर सकते हैं,

21.08.2019/1230/SS-YK/1

उस दृष्टि में आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने किसानों की आमदन दुगुना करने के लिए पूरे राष्ट्र की राज्य सरकारों से एक आह्वान किया है। उस आह्वान के अंतर्गत हम भी प्रयास कर रहे हैं और उसमें हमें माननीय मुख्य मंत्री जी का मार्गदर्शन मिल रहा है। बरागटा जी, सेब आच्छादित क्षेत्र बहुत कम है। पूरे प्रदेश की अगर हम भौगोलिक परिस्थिति देखें तो हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा क्षेत्र, जोकि सब-ट्रोपिकल जोन में आता है, उसमें 70-72 साल बीतने के बावजूद जिस प्रकार का प्रयास होना चाहिए था वह प्रयास आज तक नहीं हुआ है। हम कैसे ट्रोपिकल एरिया और सब-ट्रोपिकल एरिया को एक-समान लाएं, उस दृष्टि से हमने अपने डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में आदरणीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में प्रयास किये हैं। 1134 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट हमारे से पहले 2016 का आया हुआ है। जो हमारा सब-ट्रोपिकल का सबसे बड़ा क्षेत्र है उसके लिए एक बागवानी का प्रोजैक्ट 1688 करोड़ रुपये का ए0डी0बी0 से लाया हुआ है। उस ए0डी0बी0 के प्रोजैक्ट में ए0डी0बी0 का मिशन आया। उस मिशन ने जब फाइनल किया तो मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में इसी विधानसभा के मुख्य कक्ष में एक बैठक हुई थी। मिशन ने सुझाव दिया कि आपके पास दो प्रोजैक्टस हैं। एक प्रोजैक्ट 1688 करोड़ रुपये का सब-ट्रोपिकल एरिया के लिए है। किसी भी क्षेत्र में अगर बागवानी को बढ़ाना है तो जब तक वहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं की जायेगी, उस वक्त तक आप बागवानी को हाथ नहीं डाल सकते। तो दूसरा प्रोजैक्ट हमारा आई0पी0एच0 का प्रोजैक्ट था जोकि 4791 करोड़ रुपये का है। वह प्रोजैक्ट था कि कैसे हम इस प्रदेश के किसानों की आमदन को दुगुना कर सकते हैं। ए0डी0बी0 मिशन ने कहा कि दोनों प्रोजैक्टों का लक्ष्य एक ही है कि किसानों की आमदन को बढ़ाना है तो क्यों न इन दोनों प्रोजैक्टों को इकट्ठा कर दिया जाए। माननीय मुख्य मंत्री जी की सहमति के उपरांत उस प्रोजैक्ट का नाम दोनों प्रोजैक्टों को जोड़ करके "शिवा" दिया गया। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि उस प्रोजैक्ट में 17 क्लस्टर पायलट प्रोजैक्ट के रूप में जिला कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, सिरमौर और सोलन के शामिल किये गए हैं। उसके लिए उन्होंने एश्योर किया हुआ है कि एक सौ करोड़ रुपया तुरन्त आपको रिलीज करने वाले हैं। मित्रों, जहां

तक सेब का प्रश्न है, जब उसका कोई भी पौधा लगाया जाता है तो अगर किसान उस पौधे को अपने बच्चों की तरह नहीं पालेगा तो वह पौधा आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे मां बच्चे को दूध पिलाती है और जब वह थोड़ा बड़ा होता है तो खाना खिलाना शुरू करती है। फिर उसे स्कूल भेजती है और जब वह बड़ा हो जाता है तो एक अच्छा नागरिक बनता है। उसी प्रकार से फलदार पौधे भी इस बात की उम्मीद रखते हैं कि मेरा मालिक अगर हर दिन मेरे पास न आ सके तो कम-से-कम 15 दिन में एक बार आकर नज़दीक से छू भी ले तो वह पौधा आगे बढ़ता है। बागवान द्वारा बहुत संघर्ष किया जाता है। संघर्ष करती बार जब पौधा बड़ा होता है तो कई दिक्कतें आती हैं। अब तो दूसरे पौधे चल पड़े हैं लेकिन एक समय ऐसा था कि हमारे सीडलिंग प्लांट होते थे। सीडलिंग प्लांट 15 साल के बाद फल देना शुरू करते थे। जब 15 साल के बाद फल देना शुरू करते थे तो माननीय अध्यक्ष जी उस वक्त यह होता था कि कइयों को कॉलर रोट लग जाती थी। कइयों को रूट रोट लग जाती थी। कई पौधों को कैंकर लग जाता था और कई अन्य बीमारियां उन पौधों को लग जाती थीं। जिस किसान ने बागवानी करनी शुरू की होती थी, जब उसका 15 और 20 साल पुराना पौधा सूख जाता था तो उसके दिल पर क्या गुजरती थी, अंदाजा लगाया जा सकता है। सरकारें पहले भी रही हैं। सभी सरकारों ने प्रयास किये हैं। ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में किसी ने प्रयास नहीं किया है। सभी सरकारों ने प्रयास किया है और

21.08.2019/1235/केएस/वाइके/1

उस प्रयास के फलस्वरूप आज हमारे हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्र बागवानी के लिए, विशेषकर सेब के लिए केवल हिमाचल या देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता है। हम आदरणीय प्रधान मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी के धन्यवादी हैं, मैंने इनसे अर्ज की कि बाहर से आने वाले सेब पर अगर आयात शुल्क बढ़ाया जाए तो हिमाचल का सेब अच्छे रेट से बिकेगा। मुख्य मंत्री जी ने प्रधान मंत्री जी से बात की और प्रधान मंत्री जी ने अमरीका, चाइना व बाहर से आने वाले सेब पर आयात शुल्क बढ़ा दिया।

अध्यक्ष महोदय, इस बार इतना सेब है जितनी कि किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जब फ्लावरिंग हुई थी, उस वक्त बहुत बारीश हुई थी और फ्लावरिंग के समय अगर वर्षा हो

जाए तो फिर सैटिंग के चान्सिज़ कम होते हैं लेकिन उसके बावजूद इस बार इतनी सैटिंग हुई और इतना सेब है जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता और यह बहुत अच्छी बात है। हमारे किसान/बागवानों की इससे आर्थिकी मज़बूत होगी।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और कही गई कि यहां बहुत ज्यादा ओला पड़ता है। निश्चित तौर पर जिस फल पर ओला पड़ जाएगा, उससे उसकी कीमत कम से कम 75 प्रतिशत घट जाती है। क्योंकि जिस फल का साइज़ लार्ज होना था, वह केवल मात्र स्मॉल में ही सिकुड़ जाता है और जब मार्किट में सेब जाता है उस वक्त अगर एक पेटी की कीमत 2500 रुपये प्रति पेटी होती है, वह घटकर 1500 में आ जाती है। ऐसी स्थिति में केवल मात्र 25 परसेंट कीमत मिलती है। इसलिए मैं अपने मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करुंगा कि इन्होंने किसानों और विशेषकर बागवानों की इस समस्या को समझा। ये खुद बागवान हैं, इन्होंने कहा कि आप बागवानी मंत्री हैं, आप इस पर चिंतन करिए। कम से कम हम एंटी हेलनैट के ऊपर विशेष ध्यान दें। पिछले तीन-चार सालों में एंटी हेलनैट के लिए जो सबसिडी मिलनी चाहिए थी, मैं पीछे चौपाल गया था, माननीय विधायक श्री बलवीर वर्मा जी भी मेरे साथ थे, वहां लोग कहने लगे कि हमें वर्ष 2013 से वर्ष 2016 का सबसिडी का अमाउंट भी नहीं मिला है। हमने कहा कि मालूम नहीं कि इतना अमाउंट आपको मिल पाएगा या नहीं क्योंकि आप आज यह बात हमारे ध्यान में ला रहे हैं लेकिन जिस एंटी हेलनैट के लिए कभी तीन या पांच करोड़ का अमाउंट रखा जाता था, मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उस राशि को बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 20 करोड़ रुपये किया। बहुत ज्यादा बागवानों ने इस हेलनैट का इस बार प्रयोग किया है बल्कि लास्ट में तो ऐसी स्थिति आ गई कि बागवान कह रहे थे, कि हमें कहीं से नैट मुहैया करवाइए।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा और भी समस्याएं हैं ।जैसे कहा गया कि हम एम.आई.एस. के अंतर्गत सेब खरीदते हैं और जो एम.आई.एस. के अंतर्गत हम सेब खरीदते हैं, वह सेब दूर-दराज के क्षेत्रों में बोरियों में इकट्ठा हो कर सड़कों पर आता है।

कई जगह खच्चरों से आता है, कई जगह आदमी ढो कर लाते हैं और फिर सड़क के किनारे जो कलैक्शन सैंटर पर इकट्ठा होता है, वहां पर भी देखा जाता है कि गाड़ी का भार हो गया या नहीं। जब गाड़ी का भार हो जाएगा फिर सेब को परवाणू या जडोल भेजा जाएगा। हमारे पास दो बड़े प्रोसैसिंग युनिट्स हैं। दोनों प्रोसैसिंग युनिट्स की इतनी ज्यादा क्षमता नहीं है कि जितना इस बार एम.आई.एस. का सेब इकट्ठा होगा, उसको दोनों युनिट्स प्रोसैस कर पाएंगें। मैं सदन को अवगत करवाना चाहूंगा कि सेब की मार्किट को सबसे ज्यादा इफैक्ट करता है जो एम.आई.एस. का सेब परवाणू में जाता है,

21.8.2019/1240/av/ag/1

परवाणू में जाकर के हमारी प्रोसैसिंग युनिट कहती है कि हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है तो उसको जब हम ओपन मार्किट में बेचते हैं तो वह सेब 2.28 रुपये प्रति किलोग्राम बिकता है। हमने इस बार कहा है कि एच0पी0एम0सी0 के अधिकारी, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमैंट के अधिकारी, मंत्री इत्यादि हम सभी उस ऑक्शन में जाया करेंगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर 30 ऐसी मिनी प्रोसैसिंग युनिट्स हैं जिनको सरकार ने 50 प्रतिशत सब्सिडी पर लोन दिया हुआ है और उन्होंने 5-5 करोड़ रुपये की सब्सिडी खाई है। उन्होंने जब अपनी प्रोजैक्ट रिपोर्ट दी थी तो उसमें डाला है कि हम एक-एक महीने में इतना-इतना माल प्रोसैस करेंगे। हमने इस बार उनकी बैठक बुलाई और मैंने उनको कहा कि आपको हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोन दिया है, कुछ को भारत सरकार ने भी लोन दिया है। मैंने कहा कि आपको जो लोन दिया है और उसके अंतर्गत आपको जो सब्सिडी दी गई है वह इसीलिए दी गई है कि रॉ-मटीरियल आपको हिमाचल प्रदेश से उठाना है। वे हमारा रॉ-मटीरियल ही नहीं उठाते थे। कभी जम्मू-कश्मीर से सेब लेना, कभी पंजाब से कुछ लेना और उसको लेकर के अपना प्रोसैसिंग का काम करना। हमने उनको कहा है कि आपने लोन लेते वक्त जो अपनी-अपनी प्रोजैक्ट रिपोर्ट दी हुई है हम उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश के कॉलैक्शन सैंटर में रॉ-मटीरियल देंगे। वहां कॉलैक्शन सैंटर से माल उठाओ और उसको प्रोसैस करो ताकि एक लम्बे प्रोसैस से बचा जा सके। मान लो खिड़की में दस दिन सेब पड़ा रहने के

बाद वहां से गाड़ी चलेगी और उसके पश्चात् पांच दिन परवाणू खड़ी रहने के बाद फिर वह अनलोड होगी तो उसमें केवल चौथा हिस्सा बचता है, तीन हिस्से तो बरबाद हो जाते हैं इसलिए हम इस पर भी काम करने जा रहे हैं। हम पराला में भी एक बड़ी प्रोसैसिंग युनिट लगाना चाह रहे हैं ताकि वहां का एम0आई0एस0 में जो सेब आयेगा उसमें से मैक्सिमम पराला में ही प्रोसैस हो जाए। इससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी कम हो जायेगा। हम इससे भी आगे बढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए हम प्राइवेट सैक्टर को भी इनवाईट कर रहे हैं। प्राइवेट सैक्टर में यदि कोई अपनी प्रोसैसिंग युनिट लगाना चाहता है तो उसके लिए सब्सिडी का भी प्रावधान है। अगर वे छोटी-छोटी प्रोसैसिंग युनिट लगाते हैं तो इससे ज्यादा फायदा होगा। मान लो किन्नौर से परवाणू के लिए एम0आई0एस0 का सेब चलता है तो उसका तो कुछ नहीं बचेगा। कई बार सड़कें भी अवरुद्ध हो जाती है इसलिए हम इस पर काम करने जा रहे हैं कि छोटी-छोटी प्रोसैसिंग युनिट्स लगाई जाएं। उन छोटी-छोटी युनिट्स में जो पल्प निकलेगा उसको प्योरिफाई करने के बाद एच0पी0एम0सी0 उस प्रोजैक्ट को आगे बेचेगी। इसके अतिरिक्त ऐसे बागवान जिनके 10-10, 15-15 हजार पेटियां निकलती हैं उनके लिए भी हमारे पास एक योजना है। ऐसे बागवान जिनके बागीचे के साथ अपना पैकिंग हाउस है उस पैकिंग हाउस के साथ अगर वे अपना कोल्ड स्टोर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी 15 लाख रुपये का प्रोविज़न है जिसमें 7-50 लाख रुपये प्रदेश सरकार देगी तथा शेष 7-50 लाख रुपये की राशि बागवान खुद खर्च करेगा। उस कोल्ड स्टोर में एक महीने के लिए कम-से-कम 30 मीट्रिक टन माल स्टोर हो सकता है। जब मार्किट में फ्लड आ जाए तो उस वक्त माल को वहां पर स्टोर कर सकते हैं और मार्किट ठीक हो जाने पर उस माल को बाहर निकाला जा सकता है। वर्ल्ड बैंक के प्रोजैक्ट पर मैं कल डिस्कशन करूंगा। उसमें बहुत प्रोविज़न है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लिए दो प्रोजैक्ट आए हुए हैं। वे दोनों फॉरन फंडिंग प्रोजैक्ट्स हैं और फॉरन फंडिंग प्रोजैक्ट में ओवरलैपिंग नहीं मानते। ऐसा न हो कि एक तरफ ए0डी0बी0 सब-ट्रोपिकल के लिए पैसा दे रहा है तथा दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा है। एक क्षेत्र ऐसा है कि वह कई प्रोजैक्ट्स के तहत लाभान्वित हो रहा है तो उस पर उनकी विशेष नज़र रहती है इसलिए

हमने दोनों प्रोजैक्ट्स का एरिया अलग-अलग कर दिया है। अब मैं मूल विषय की ओर आता हूं। मैं आपसे सहमत हूं क्योंकि हमारा जो टैलीस्कोपिक कार्टन है; माननीय मुख्य मंत्री जी मुझे एक दिन कह रहे थे कि ठाकुर जी मुझे पत्रकार पूछ रहे थे कि कार्टन में क्या गड़बड़ है। मैं सोचने लगा कि हमने तो आज तक कोई गड़बड़ नहीं की है। मैंने फिर उस बारे में पता किया और हमारे पत्रकार मित्र मेरे पास भी आए।

21.08.2019/1245/टी.सी.वी./ए.जी.-1

उन्होंने कहा कि यह जो हमारा टेलीस्कोपिक कार्टन है, ये दो लिफ़ाफे हैं, एक इनर वाला है और दूसरा आउटर वाला। पहले इनर वाले को भर देते हैं, फिर बाहर से आउटर वाला लगा देते हैं और उसको ऊपर-ऊपर उठाते रहते हैं। उसको इतना ऊपर उठा देते हैं कि कई बार तो 20 किलोग्राम की पेटी में 34 किलोग्राम सेब डाल देते हैं। वैसे भी उसमें 28 किलोग्राम से कम सेब तो आता ही नहीं है। जबकि एक समय था, जब लकड़ी के बॉक्स बनते थे, उस समय 16 इंच का बॉक्स स्मॉल व एक्ट्रा लॉर्ज की पैकिंग के लिए प्रयोग किया जाता था। 17 इंच का बॉक्स मीडियम साइज़ के लिए और 18 इंच का बॉक्स लॉर्ज साइज़ के सेब की पैकिंग के लिए प्रयोग होता था। लेकिन वर्ष 1981-82 में लकड़ी के ऊपर प्रतिबंध लगा और उसके पश्चात वैसे तो यूनिवर्सल कार्टन प्रयोग किया जाता था लेकिन जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, वे नया-नया लकुना निकाल लेते हैं, ताकि किसनों व बागवानों को फायदा न हो। इसलिए उन्होंने इस टेलीस्कोपिक कार्टन की खोज की। हम आपसे सहमत हैं, जैसे जम्मू कश्मीर से पेटियों में सेब आता है लेकिन उनकी पेटियों का व़जन 15 किलोग्राम होता है, वह 16 किलोग्राम नहीं हो सकता और न ही 14 किलोग्राम हो सकता है। यह बहुत बड़ी विडम्बना है कि हमारा बागवान कड़ी मेहनत करके सेब तैयार करता है और जब मार्केट में भेजता है तो वहां पर उसका शोषण होता है, ऐसा मैंने खुद भी महसूस किया है। एक पेटी जिसमें 20 किलोग्राम सेब आना चाहिए, जब उसको टेलीस्कोपिक कार्टन में डालते हैं तो उसमें 28 से 34 किलोग्राम सेब आता है। अगर हम इसकी एवरेज़ निकाले तो एक पेटी में लगभग 11 किलोग्राम सेब एक्स्ट्रा जाता है अर्थात 2 पेटियों में

उनकी एक पेटी मुफ्त में आ जाती है। मार्केट में आढ़ती और लदानी साथ-साथ बैठे होते हैं, आढ़ती बोली लगाता है और जब लदानी अंगुठी खड़ी करता है तो माल बिक जाता है। इसके बाद लदानी पेटियों की जांच करता है कि इस लॉट में जो पेटियां हैं उनमें कितनी लेयर्ज़ हैं? क्या ये 6 या 7 लेयर्ज़ में हैं क्योंकि 20 किलोग्राम सेब 4 लेयर्ज़ में तो हो नहीं सकता। इसलिए लदानी उसके पैसे दे देता है और अपने बड़े-बड़े स्टोर्ज़ में उन सेब की पेटियों को भेज देता है और वहां पर एक्ट्रा लेयर्ज़ को निकाल देता है। बाकी जो पेटी के बराबर की लेयर्ज़ हैं उनको बेच दिया जाता है। इससे जो फायदा होता है, वह लदानी को होता है। 11 किलोग्राम की आधी पेटी का मतलब है कि जो पेटी 2400 रुपये में बिकी, उसमें 1200 रुपये का नुकसान और जो 1200 रुपये में बिकी उसमें 600 रुपये का नुकसान बागवान को हुआ। जिस बागवान की 5000 हजार पेटियां होती है, उसका कितना नुकसान होगा? इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। आपकी बात बहुत जायज़ है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि इससे हमारे बागवानों का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। इसमें कांग्रेस पार्टी के समय में भी प्रयास किए गए थे।

21-08-2019/1250/NS/DC/1

कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में हिमाचल प्रदेश कृषि एवं उद्यान उत्पाद विपणन एक्ट के लिए वर्ष 2005 में अध्यादेश लाया गया और वर्ष 2014 में संशोधन किया गया था। लेकिन बिल अनुमोदन हेतु विधान सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। मैंने आज सुबह माननीय मुख्य मंत्री जी से यह विषय डिस्कस किया है और इसके लिए इनका मार्गदर्शन भी चाहा है। आजकल सेब का सीज़न चला हुआ है और इस दौरान हम कोई ऐसा फैसला नहीं ले सकते हैं जिससे कोई दिक्कत आ जाए। माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुझे कहा है कि आप इसके ऊपर चिंतन करें और जैसे ही सेब सीज़न खत्म होता है आप बागवानों से मिल करके मीटिंग करें। हम इस पर बागवानों की राय के मुताबिक फैसला करेंगे और इसे कैबिनेट में लाएंगे। अगले विधान सभा सत्र में जो भी सर्वसम्मति से फैसला होगा और माननीय मुख्य मंत्री और पूरा सदन जो चाहेगा वही करेंगे। हम माननीय सदन की सहमति के बिना कोई काम नहीं करेंगे तथा इसमें सबकी सहमति लेना आवश्यक है। हम जल्दबाज़ी में कोई फैसला नहीं करेंगे। हम इस सत्र में इस बिल को जल्दबाज़ी में नहीं

लाएंगे। पहले ही काफी बरसात हुई है जिसकी वज़ह से बागवानों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और कई जगहों का सेब रुक गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने लोक निर्माण विभाग को कड़े निर्देश दिए हैं और लोक निर्माण विभाग रात-दिन लगा करके सड़कों को खोलने का काम कर रहा है। कुछ स्थानों पर ज्यादा वर्षा हुई है। जैसे सुबह माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह वर्मा जी कह रहे थे कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चौपाल में इतनी ज्यादा वर्षा हुई है कि वहां पर पानी की सारी स्कीमें और सड़कें बंद पड़ी हैं। वहां पर एम0आई0एस0 का सेब है और जो कोलेक्शन सैंटर्ज़ हैं वहां पर कर्मचारी सेब लेने से मना कर रहे हैं। वे ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको सरकार ने रखा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने सड़कें खोलने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं और इस हिसाब से इसके लिए ज्यादा-से-ज्यादा दो दिन का समय लगेगा। आजकल मशीनों का युग है, मैन पॉवर का काम नहीं है। इस पर कोई फैसला करने से पहले हमें कई बातें सुनिश्चित करनी पड़ेगी। सेब के लिए लगभग 5 करोड़ पेटी लग रही है। मैं भी यूनिवर्सल कार्टन के लिए चंडीगढ़ गया था। मैंने एक जगह यूनिवर्सल कार्टन देखा और उनसे इसका रेट पूछा तो उन्होंने मुझे इसका रेट 45 रुपये बताया। उनका छोटा ही काम था। मुझे लगता है कि जब हम बल्क में इस कार्टन को लेंगे तो यह लगभग 40 रुपये में पड़ेगा। जबकि टेलीस्कोपिक कार्टन 45 या 46 रुपये में पड़ता है। अगर इसमें 20 किलोग्राम की जगह 34 किलोग्राम डालेंगे तो 7 ट्रे लगेंगी और 20 किलोग्राम में 4 ट्रे लगेंगी। एक ट्रे 5 रुपये में मिलती है तो 4 ट्रे का मतलब हुआ 20 रुपये और 7 ट्रे के 35 रुपये लगेंगे। मैंने सारा कैल्कुलेट करने के उपरांत पाया कि हर प्रकार से हमारी सेविंग होगी। हमें यह काम जल्दी करना पड़ेगा और इसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो कंपनियां टेलीस्कोपिक कार्टन बनाती हैं हम उनको कहेंगे कि अगली बार टेलीस्कोपिक कार्टन नहीं चलेंगे बल्कि यूनिवर्सल कार्टन चलेंगे। मैं माननीय बरागटा जी का बहुत धन्यवादी हूं। ये इस विभाग के मंत्री रहे हैं और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हम भी इस अच्छे काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जहां आपको लगे कि इसमें हमारी तरफ से कोई कमी या कोताही हुई है तो आप निश्चित तौर पर इसे मेरे ध्यान में लाएं कि यहां पर यह ठीक नहीं हो रहा है। मैं एंटी हेलनेट की ओर सदन का ध्यान लाना चाहता हूं। कुछ समय पहले माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है।

21.08.2019/1255/RKS/AG-1

इजरायल के नेट की क्वालिटी कुछ ओर है। जो बढ़िया नेट है उसके धागे की थिकनैस 0.28 MM है लेकिन जो नेट यहां आती है उसके धागे की थिकनैस 0.16 या 0.18 MM है जिसे 36 या 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बेचा जाता है। बागवान को यह पता नहीं होता कि इसकी थिकनैस 0.16, 0.18 या 0.28 MM है। अभी हाल ही में एक डैमोनस्ट्रेशन दिया गया जिसमें 0.28 MM नेट 23 रुपये में दी जाने की बात कही गई जोकि FOR 23 रुपये शिमला में दी जाएगी। इसमें कैरिज और जी.एस.टी. का अलग से प्रावधान होगा । इसके क्रय से बहुत बड़ी सेविंग होने जा रही है जिसका फ़ायदा हम प्रदेश के बागवानों को देंगे। इसका फ़ायदा किसी बिचौलिये या धनासेठ को क्यों दिया जाए? इसका सीधा फायदा हमारे बागवान को मिलना चाहिए। मेरे पास सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग है और मैं Flexi Tank बनाने का ज़िक्र भी करना चाहता हूं। अगर हिमाचल प्रदेश के किसी क्षेत्र में 25 हजार लीटर का टैंक बनाना हो तो उसे बनाने में लगभग 3 लाख रुपये खर्च होते हैं। लेकिन उस कंपनी का कहना है कि इतनी क्षमता का Flexi Tank हम 20 हजार रुपये में यहां FOR देंगे जिसकी 10 साल की गारंटी/वारंटी होगी । यह सारी चीजें माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यानार्थ हैं और हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हम किस तरह से जल संग्रहण करें उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। यह रूफ टॉप हार्वेस्टिंग के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। जो प्रदेश हित में बढ़िया होगा हम उसे करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं माननीय बरागटा जी को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि बागवानों के हितों की रक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है, हमारा धर्म है और उस धर्म और कर्त्तव्य को हम हर हाल में पूरा करेंगे। धन्यवाद।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र बरागटा जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री नरेन्द्र बरागटा(जुब्बल-कोटखाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तृत जवाब दिया है जिसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। मैं एक बात आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपको स्टेकहोल्डर्ज़ को लाना पड़ेगा। स्टेकहोल्डर्ज़ यानी उत्पादकों को भी बुलाना पड़ेगा। सके लिए हमने पूर्व में बहुत मेहनत की थी और इसे करने में हमें एक साल का समय लग गया था। हमने एक लाख यूनिवर्सल कार्टन मार्किट में उपलब्ध करवाये लेकिन उन्हें लोगों ने नहीं खरीदा इसलिए मैंने इस विषय को नियम-62 के अंतर्गत माननीय सदन में उठाया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में इसके लिए अधूरे प्रयत्न किए गए। वर्ष 2015 तक तो ये कोशिश करते रहे लेकिन जब चुनाव की तारीख नज़दीक आई तो इन्हें लगा कि चुनाव में पता नहीं क्या होगा? लेकिन मैं इस पहलू पर नहीं जाना चाहता हूं। आप ठीक कह रहे हैं कि आपको Cargoter को बुलाना पड़ेगा जिन्होंने मैन्यूफैक्चर करना है क्योंकि उनको टाइम देना पड़ेगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह इसी सत्र में होना चाहिए लेकिन यह हमें समय रहते करना पड़ेगा। अगर हम अगले वित्त वर्ष में चले गए तो

21.08.2019/1300/बी0एस0/ए0जी01

तब तक आपको मुश्किल हो जाएगी और हमारा एक वर्ष फिर से खराब हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो इसका प्रारूप है और जो अधिनियम लाना है, जो भी औपचारिकताएं इसमें पूरी करनी हैं चाहे वे स्टेक होल्डर्ज से हों, चाहे कारगोटर से हों या ग्रोवर से हों उन्हें आप पूरी कर लें। इसमें एक्सपर्ट की आप अपनी अध्यक्षता में जब भी बैठक बुलाना चाहें बुला सकते हैं। चाहे वह जिलावार हो उसमें मानीय मुख्य मंत्री जी भी सम्मिलित हो जाएं तो एक Competency building exercise हो जाती है। मैं इसके लिए आपका धन्यवादी हूं कि आप ग्रोवर की बात को सुन रहे हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में न केवल सेब उत्पादको की बात को सुना जा रहा है, बल्कि ये खुद किसान भी हैं । आदरणीय मोदी जी ने किसानों व बागवानों की आय को दोगुना करने का बहुत बड़ा प्रण लिया है। यह एक बहुत बड़ा प्रयास होगा, क्योंकि जो पैसा अभी

किसी और जगह जा रहा है वह वापिस आएगा और उससे हमारी आर्थिकी भी मजबूत होगी। इससे किसानों और बागवानों को बहुत बड़ा लाभ होगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजनावकास के लिए 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

21.08.2019/1405/डी0टी0/वाई0के0/-1

माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत 02:05 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई।

अध्यक्ष : श्री हर्षवर्धन चौहान जी का नियम -130 के अन्तर्गत पूर्व में एक नोटिस प्राप्त हुआ है और इसी विषय में श्री सुरेन्द्र शौरी और श्री विनोद कुमार के नोटिस भी प्राप्त हुए हैं। यह दोनों माननीय सदस्य भी इस नोटिस के अंतर्गत भाग ले सकेंगे। अब श्री हर्षवर्धन चौहान जी अपना विषय प्रस्तुत करेंगे।

श्री हर्षवर्धन चौहान (शिलाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम- 130 के तहत मैंने इस सदन में नोटिस दिया है- 'प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर यह सदन विचार करे'।

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय रोड ही है। जैसा कि हम जानते हैं यहां पर रेल संसाधन बहुत कम हैं। हमारा वाई एयर ट्रांस्पोर्टेशन और जल परिवहन न के बराबर है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश लोग रोड़ के माध्यम से ही सफर करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 80 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते है उनका मोड ऑफ ट्रांस्पोर्टेशन सरकारी बसों या प्राईवेट बसों के माध्यम से होता है। कई लोग अन्य वाहनों के माध्यम से भी सफर करते हैं। अध्यक्ष महोदय, वक्त के साथ लोगों का आना -जाना निरन्तर बढ़ रहा है। लेकिन उस हिसाब से पब्लिक ट्रांस्पोर्ट, नहीं बढ़ा है। हम जहां भी जाते हैं सरकारी , प्राईवेट बसिज़ ओवर लोडिड होती है और एक्सीडैंट होने का कारण ओवर लोडिंग ही है। हम देखते हैं कि सुबह-शाम लोग ऑफिस, छात्र /छात्राएं कॉलेज, स्कूल बसों के माध्यम से आते-जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर हार्ड एरिया में जिन सड़कों पर सरकारी या प्राईवेट बसिज़ नहीं चलती हैं वहां लोग पिकअप और कमांडर के माध्यम से

सफर करते हैं। एक-एक पिकअप और कमांडर में 20 -20, 30-30 लोग निरंन्तर सफर करते हैं। बहुत सारे एक्सीडैंट्स इन कमांडर और पिकअप के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय ,प्रदेश में बहुत सड़कें बनी हैं। पिछले 10-15 सालों में अगर नजर दौड़ाएं तो प्रदेश में सड़कों का जाल बहुत तेजी से बिछा है। लगभग हर पंचायत सड़कों से जुड़ी है मगर हमारा पब्लिक ट्रांस्पोर्टेशन उस हिसाब से नहीं बढ़ा है।

21-08-2019/1410/वाई.के.-एन.जी./1

प्रदेश में जब भी दुर्घटनाएं होती हैं उसमें कैजुअल्टि रेट बहुत हाई रहता है। अभी हाल ही में बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई, जैसे बन्जार में बस दुर्घटना हुई, उसमें 82 लोग सवार थे, 42 लोगों की मृत्यु हुई और लगभग 35 लोग घायल हुए। उससे पूर्व स्कूल बसों की भी दुर्घटनाएं हुई, जैसे 1 जुलाई को खलीनी में स्कूल बस का एक्सिडेंट हुआ जिसमें 3 बच्चों सहित ड्राइवर की भी मृत्यु हुई। जनवरी, 2019 में संगड़ाह के पास डी.ए.वी.एन. ददाहू स्कूल की बस का एक्सिडेंट हुआ जो बच्चों को रेणुका की ओर ले जा रही थी, उसमें 6 बच्चों सहित ड्राइवर की मृत्यु हुई। 25 नवम्बर, 2018 को ददाहू से नाहन आ रही बस का जलाल पुल से नदी में गिर कर एक्सिडेंट हुआ, जिसमें 9 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 5 लोग घायल हुए। इस प्रकार एक बहुत लम्बी सूची है जिसे मैं यहां पर नहीं पढ़ना चाहूंगा। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, हम सरकार से जानना चाहते हैं। इन दुर्घटनाओं के कई कारण हो सकते हैं और वर्तमान सरकार इसके लिए दोषी है, ऐसा नहीं है, परन्तु सरकार द्वारा उचित और कड़े कदम उठाएं जाएं और इन दुर्घटनाओं को रोकने के प्रयास किया जाए तो मेरा मानना है कि इन्हें कम जरूर किया जा सकता है। दुर्घटना होने का कारण ड्राइवर की गलती हो सकता है, सड़कों की हालत हो सकती है और भी अन्य कई कारण हो सकते हैं। हम देखते हैं कि कई बार सड़क किनारे डंगा बैठने से भी दुर्घटना हो जाती है। बसों में ओवर लोडिंग होना भी दुर्घटनाओं का बहुत बड़ा कारण है। मकेनिकल फाल्ट से भी दुर्घटना हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो आंकड़ा है उसमें पिछले 1-1.5 साल में 15-20 एक्सिडेंट एच0आर0टी0सी0 और निजी बसों के हुए हैं। यदि हम ध्यान दें तो इसमें अधिकांश निजी बसों के एक्सिडेंट हुए हैं और यह इसलिए हुए क्योंकि एच0आर0टी0सी0 नए रूटस पर बसों को provide नहीं कर पा रही है।

मैं एक प्रश्न का उत्तर देख रहा था और जिसमें आपने जवाब दिया कि जब से आपकी सरकार आई आपने एच0आर0टी0सी0 के लिए कोई भी नई बस नहीं खरीदी। आपने केवल शिमला के लिए 50 इलैक्ट्रीकल बसें खरीदी और उसमें से भी केवल 30 बसें ही आ पाई हैं। एच0आर0टी0सी0 के पास बसों का बेडा जो इस समय मौजूद है वह पूर्व की कांग्रेस सरकार की देन है। आपके सामने एक प्रश्न था कि हिमाचल प्रदेश में पिछले पांच सालों में कितनी बसें खरीदी गई? तो उसमें आपका जवाब था की हिमाचल प्रदेश में पिछले पांच सालों में 2102 बसें खरीदी गई और जो भी बसें हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं वह पूर्व की सरकार के द्वारा खरीदी गई है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप नई बसें क्यों नहीं खरीद रहे हो? समय के साथ-साथ पुरानी बसें कन्डम हो रही हैं और जिससे बसों की संख्या दिन प्रतिदिन घट रही हैं परन्तु आप नई बसें नहीं खरीद रहे।

अध्यक्ष महोदय, एच0आर0टी0सी0 का स्टाफ बहुत अच्छा है, ड्राइवर्ज़ भी बहुत अच्छे हैं परन्तु एच0आर0टी0सी0 में स्टाफ की कमी है, आपके पास कंडक्टर्ज़ नहीं है, ड्राइवर्ज़ नहीं है। अख़बारों के माध्यम से जो जानकारी हमें मिली उसके अनुसार ड्राइवर्ज़ की भर्ती की गई परन्तु उसमें आपने ऐसे व्यक्तियों को सिलेक्ट कर दिया जो interview में फेल थे और ड्राइविंग टेस्ट भी पास नहीं कर पाए। अगर आप ऐसे ही व्यक्तियों को भर्ती करेंगे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

तो दुर्घटनाओं का बढ़ना स्वभाविक है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी बरसात का मौसम है और बरसात के कारण सड़कों को भारी नुकसान हुआ है। अभी भी कई स्थानों पर सड़के बन्द पड़ी हुई हैं। इन सड़कों को ठीक करना सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि वह सड़कों के रख-रखाव के लिए लोक निर्माण विभाग को वांछित धनराशि जारी करे ताकि सड़कों की हालत को शीघ्र सुधारा जा सके। आपने ब्लैक स्पोट्स चिन्हित किए हुए हैं और

21/08/2019/1415/RG/AG/1

ब्लैक-स्पॉट्स को ठीक करने के लिए पैसा भी समय-समय पर दिया जाता है। मगर अमूमन हम कई जगह देखते हैं कि ब्लैक-स्पॉट्स को ठीक करने के लिए टैण्डर हो गया, कोई सौ या दो सौ मीटर का स्ट्रैच होगा, उसे ठीक करना है या उसको चौड़ा करना है, तो वह ठेकेदार क्या करता है कि सौफ्ट स्ट्राटा में ही क्वांटिटी पूरी कर देगा। मैंने स्वयं कई बार इसका विरोध किया है और कहा कि यह जो सड़क तंग है, इसको तो काटो, मोड़ से अगले वाले हिस्से को आप काट रहे हो। तो वह कहता हे कि क्वांटिटी पूरी हो गई। अब क्वांटिटी जब सौफ्ट स्ट्राटा में ही पूरी कर देंगे, तो रेट तो आपका एक जैसा है, अब सोफ्ट एरिया में ही वह ठेकेदार क्वांटिटी पूरी कर देगा और वह काम पूरा हो गया। तो इस तरह की चीजें भी देखने में आई हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करुंगा कि जहां वास्तव में ब्लैक-स्पॉट्स को ठीक करने की जरूरत है, उनको ठीक ढंग से इंप्रूव किया जाए ताकि दुर्घटनाएं न हों।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा ओवर लोडिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी जब बंजार में दुर्घटना हुई, उसके बाद प्रदेश में सरकार ने आदेश दिए कि ओवर लोडिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और बस में जितनी सीटें होंगी, उतने ही लोग बैठेंगे। मगर यह आदेश कुछ दिन चला और छात्रों एवं यात्रियों ने हा-हाकार मचा दिया। लोगों ने कन्डक्टर्ज एवं ड्राईवर के साथ लड़ना शुरू कर दिया। अब लोगों को सुविधा प्राप्त नहीं होगी और एक ही बस एक क्षेत्र में जाएगी, तो लोगों ने तो जाना है। उसके बाद सरकार ने अपने आदेश में तरमीम करके 25 प्रतिशत ओवर लोडिंग की अनुमति दे दी। अब यही दो पहलू हैं। यदि ज्यादा ओवर लोडिंग होगी तो दुर्घटनाएं होंगी, अगर आप कानून का पालन करेंगे, तो आप

जनता की मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इसके लिए एक रास्ता निकाले और लोगों को सुविधाएं प्रदान की जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, बसों की फ्लीट को भी इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। बसें कंडैम हो जाती हैं और प्राईवेट बसों को हम देखते हैं कि उनकी हालत बहुत खराब हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपका चम्बा का भी एक कठिन क्षेत्र है या सिरमौर का क्षेत्र बहुत कठिन क्षेत्र है। हम देखते हैं कि प्राईवेट बसों की हालत खराब है। हालांकि समय-समय पर उनकी पासिंग होती है लेकिन हम जानते हैं कि बसों और गाड़ियों की पासिंग किस तरह से की जाती है। इसलिए इसको भी सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। कई जगह तो प्राईवेट बसें ऐसी हैं कि एच.आर.टी.सी. की कन्डैम बसें खरीदकर उनमें रंग-रोगन करके चलाया जाता है। इसलिए सरकार को इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। एम.वी.आई. इसको कड़ाई से लागू करे और यदि बस फिट है तभी उसको सड़क पर चलाया जाए अन्यथा उसको न चलाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि एच.आर.टी.सी. के बेड़े को स्ट्रैन्थन किया जाए। माननीय मंत्री यहां बैठे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि अब एक फैशन हो गया है कि एच.आर.टी.सी. के टाइमिंग प्राईवेट लोगों के हिसाब से उनको सूट करने के लिए चेन्ज किए जा रहे हैं। मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में एक बस है, चौकीमड़वाल-पॉवटा और एक बस पुट्टापाव-पॉवटा है, लेकिन उस रूट पर एक ही बस चलती है। मगर जो वह मेन रोड में जुड़ती है तो जो प्राईवेट ऑपरेटर दूसरी साईड से मेन रोड पर आ रहा है, उसको सुविधा देने के लिए उस बस को जल्दी चलाया जा रहा है, आधे घण्टे जल्दी चलाया जा रहा है।

उपाध्यक्ष : कृपया बीच में बातें न करें।

श्री हर्षवर्धन चौहान : चाहे खाली बस आ रही है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप प्राईवेट ऑपरेटर्ज को फायदा पहुंचाने के लिए एच.आर.टी.सी. को नुकसान न पहुंचाएं। मैंने तो सिर्फ यह एक घटना आपको बताई है, परन्तु प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर ऐसा कार्य आपके आर.टी.ओ. के माध्यम से हो रहा है। यह बात ठीक है कि आर.टी.ओ. आपके विभाग के अधिकारी नहीं हैं और वे एच.आर.टी.सी. का इन्ट्रस्ट वॉच नहीं करते, वे

हमारे एच.ए.एस. आफिसर्ज हैं और उनकी प्राईवेट ऑपरेटर्ज के साथ बहुत गहरी सांठगांठ होती है। इसलिए मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि इस ओर भी वे ध्यान दें और एच.आर.टी.सी. के टाइमिंग को प्राथमिकता देनी चाहिए और टाइमिंग भी जनता की सुविधा के अनुसार देनी चाहिए। नाहन में जो आर.एम. हैं, जब मैंने ऑबजैक्शन किया और उसको पूछा तो उसने कहा कि आर.टी.ओ. ने तो हमें पूछा ही नहीं और एच.आर.टी.सी. की समय-सारिणी उन्होंने चेंज कर दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा स्टाफ की बहुत कमी है। स्टाफ की भर्ती आप करें।

उपाध्यक्ष : यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चला हुआ है, इसलिए कृपया बीच में बात न करें।

श्री हर्षवर्धन चौहान : आपने लगभग 150 ड्राईवर्ज की भर्ती की है। अभी तो वह खत्म हुई है और अभी आप 550 ड्राईवर्ज की और भर्ती करने जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि आप कन्डेक्टर्ज की वन टाईम रिक्रूटमेंट करिए, आप 1000-1500 की सूची बनाकर रखो और आपको जैसे-जैसे जरूरत पड़े, उसके मुताबिक लें ।

21/08/2019/1420/MS/AG/1

अभी आप हर जिले से 5000 लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर उनको तारादेवी में बुलाते हैं और फिर ड्राइवरों के टैस्ट का सैकिण्ड प्रोसैस शुरू कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए क्योंकि लोगों का आने-जाने में बहुत खर्चा होता है।

उपाध्यक्ष जी, बसों के अलावा बॉर्डर एरियाज़ में पिकअप, मोटर साईकिल और अन्य छोटी गाड़ियों के भी बहुत ज्यादा एक्सीडैंट्स हो रहे हैं। विशेष तौर पर मोटर साईकिल के हिमाचल प्रदेश में 20 से 50 एक्सीडैंट्स प्रतिदिन हो रहे हैं। हमारे पांवटा के क्षेत्र में कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन कोई एक्सीडैंट न हो। अभी नालागढ़ वाले विधायक भी कह रहे थे कि मेरे चुनाव क्षेत्र में भी गाड़ियों के प्रतिदिन बहुत एक्सीडैंट्स हो रहे हैं। इसलिए जो मोटर व्हिकल एक्ट है उसको आज कड़ाई से लागू करवाने की जरूरत है। हालांकि अब मोटर व्हिकल एक्ट को भारत सरकार ने सख्त किया है और अब गाड़ी चलाते हुए मोबाइल सुनने पर, सीट बैल्ट न लगाने पर और शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पैनल्टी लगाई जाती है। उपाध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री जी इस समय सदन में मौजूद नहीं हैं लेकिन मैं

आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से और पुलिस से भी निवेदन करूंगा कि मोटर व्हिकल एक्ट को सख्ती से लागू करें ताकि एक्सीडैंट्स की संख्या कम हो।

उपाध्यक्ष जी, मैंने बहुत सारे इशूज आपके माध्यम से सदन के ध्यान में लाए हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि मुख्य मंत्री जी जब हमारे जिला सिरमौर में आए थे तो उन्होंने पांवटा में एक सब-डिपो खोलने की घोषणा की थी लेकिन वह अभी तक नहीं खुला है। माननीय सदस्य सुख राम जी इस बारे में नहीं बोल पाएंगे, मगर मेरा पांवटा ऐसा एरिया है जो कम-से-कम चार विधान सभा क्षेत्रों को कैटर करता है। हमें इस बात से भी हैरानी होती है कि कई जिलों में एच0आर0टी0सी0 के तीन-तीन और चार-चार डिपो हैं और हमारे जिला सिरमौर में केवल एक डिपो है। जब एलॉटमैंट ऑफ बसिज़ होती हैं तो वह डिपो के आधार पर होती है और हमारे हिस्से में बसों की एलॉटमैंट का आंकड़ा कम रहता है। इस ओर भी उपाध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

इसी तरह से एच0आर0टी0सी0 के बेड़े को भी इम्प्रूव करने की जरूरत है तथा दुर्घटनाओं को कम करने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष जी, जब कहीं कोई एक्सीडैंट होता है तो उसकी जांच के ऑर्डर होते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि जांच में कौन दोषी पाया गया और किसका क्या कुसूर था। हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि कहां-कहां एक्सीडैंट्स हुए थे, एक्सीडैंट्स किन कारणों से हुए और क्या एक्शन लिया गया? उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अभी इस चर्चा में 12 माननीय सदस्य बोलने को बाकी हैं। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि समय का ध्यान रखते हुए 5 से 10 मिनट के अंदर अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र शौरी(बन्जार)ः माननीय उपाध्यक्ष जी, नियम-130 के अंतर्गत जो प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करे, बारे प्रस्ताव यहां लाया गया है, मैं भी इस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष जी, हम सब हिमाचल के लोग गाड़ियों में ही सफर करते हैं और हम देख रहे हैं कि हमारा दुर्घटनाओं का आंकड़ा प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है। वैसे इन दुर्घटनाओं

को कैसे रोका जाए इस पर सरकार समय-समय पर विचार करती रहती है लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस पर और गम्भीरता-पूर्वक प्रयास करने चाहिए ताकि दुर्घटनाएं कम-से-कम हों।

मेरे चुनाव क्षेत्र बन्जार में दो महीने पहले 20 जून, 2019 को एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी जिसमें लगभग 46 लोग मारे गए और 35 लोग घायल हुए। मुझे लगता है कि अधिकतर दुर्घटनाएं चालकों की गलती के कारण प्रदेश के अंदर होती हैं जिनमें से अधिकतर शराब पीकर गाड़ी चलाने, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल सुनने और ओवर लोडिंग के कारण होती हैं। इनको रोकने के लिए हमें सख्ती करनी चाहिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारी अधिकतर छोटी सड़कें हैं।

21.08.2019/1425/जेके/डीसी/1

हमें कुछ नया प्रयोग करना चाहिए, प्रदेश के अन्दर टूरिस्ट भी बहुत आता है और बहुत सारी घटनाएं टूरिस्ट्स की भी घटती हैं। यहां पर एक ऐसा ऐप लाँच करें, जिसमें रोड़ से सम्बन्धित सारी जानकारियां हों। उसमें बताया जाए कि सड़क कहां खराब है, लैंड स्लाइडिंग प्वाइंट कहां पर हैं, नैरो प्लेसिज़ कहां हैं, इसके बारे में उसमें लगातार अपडेट होते रहें। सरकार इस ऐप को प्रमोट करें। समय पर लोगों को पता चले कि रोड़ कब बन्द हुआ और कब खुला इसमें ताज़ा जानकारी हो। जहां पर अच्छी नैटवर्क क्वालिटी है वहां पर यह ऐप रोड़ सेंसर की तरह उपयोग में लाई जाए। मैं आपको अपनी एक सड़क का उदाहरण देता हूं। उस सड़क में अक्सर एक्सिडैंट होते हैं। उसी सड़क पर 20 जून का हादसा भी हुआ था। जो आनी से औट का मार्ग है, जलोड़ी-जोत से जीभी का जो पोर्शन है वहां एकदम से सीधी चढ़ाई है। उतरती बार एकदम से सीधी उतराई है। ड्राईवर की गलती के कारण हादसा हो जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि आगे कैसा रोड़ है, इसलिए उस ऐप के अन्दर स्पीड लीमिट भी हो ताकि ड्राईवर को पहले पता हो कि मुझे इस सड़क के अन्दर किस गति से चलना है। इस तरह से हम दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्ज़ ले सकते हैं। मैंने यह व्यवहारिक रूप से भी देखा कि प्रदेश के

अन्दर जब कोई बड़ा हादसा होता है तो सब लोग स्पॉट पर एकदम से चले जाते हैं और सबकी मानसिकता यह रहती है कि जल्दी-से-जल्दी घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। मुझे लगता है कि जिस तरह से स्कूलों के अन्दर सुरक्षा सप्ताह से हम जागरुक करते हैं, रोड़ सेफ्टी के विषय में एक-एक जानकारी बच्चों को देते हैं, उसी तरह से गांव में ग्राम सभाओं में या प्रत्येक मीटिंग में इस तरह के इनिशिएटिव्ज़ लें। जब कोई हादसा घटता है तो मानसिक आघात ज्यादा न हो, उसको हम कैसे सेफ हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं, इस दृष्टि से भी हमें विचार करना चाहिए।

हम लोग जल्दी-जल्दी में घायल को उठाने का काम करते हैं और बहुत सारी कैजुअल्टीज़ उस कारण से भी होती हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जब कभी हम सड़क निकालते हैं तो वहां पर क्रैश बैरियर की बहुत आवश्यकता रहती है। मुझे लगता है कि फोरैस्ट डिपार्टमैंट प्लांटेशन बहुत अच्छे से करता है और हर वर्ष लाखों की तादाद में पौधे लगाते हैं। क्यों न प्रदेश के अन्दर एक इस तरह का इनिशिएटिव लिया जाए कि जो पहाड़ियों के बीच सड़कें बनी हैं, वहां पर एक लेयर के हिसाब से वृक्षारोपण करें। आने वाले समय में सड़कों में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह काफी लाभदायक हो सकता है। जो नई सड़कें बनती हैं वहां तुरन्त सड़कों के किनारे, जहां पर हमें लगे कि यह दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र है, यहां से गाड़ियां नीचे गिर सकती हैं, वहां पर पहले क्रैश बैरियर लगाने की हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए लेकिन उसके साथ-साथ वहां पर वृक्षारोपण भी करें। यदि वृक्षारोपण रोड़ साइड में हों तो फोरैस्ट के अधिकारियों को भी उनको देखने में आसानी रहेगी और इस तरह से वहां पर सरवाइवल रेट भी अच्छा रहेगा। सेफ्टी की दृष्टि से भी यह योजना सड़कों की दुर्घटनाओं को रोक सकती है, इस तरह से हमें इसमें नए इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है। बहुत सारी दुर्घटनाएं ओवरलोडिंग के कारण होती हैं। मुझे लगता है कि सरकार ने इस दिशा में प्रयास भी किया है। जिस तरह से शिमला शहर में हमारी छोटी टैक्सियां चलती हैं या छोटे टैम्पों-ट्रेवलर चलते हैं, उस तरह बसों की कमी दूर करने के लिए हर जिला स्तर पर,

उप-मंडल स्तर पर ऐसे रूटस सिलैक्ट किये जाएं जहां पर ज्यादा ओवर लोडिंग होती है तो वहां पर बेरोजगार युवाओं को परमिट दिये जाएं ताकि हम ओवर लोडिंग से बच सकें। इसके साथ-साथ हमने देखा कि प्रदेश के अंदर बहुत सारी दुर्घटनाएं मेले-त्यौहारों में होती हैं। हमें मालूम है कि गांव के छोटे मेले पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं। लोग वहां जाते हैं, शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद गाड़ी चलाने से दुर्घटना हो जाती है। उस समय भी पुलिस प्रशासन को चाहिए कि जिन जगहों पर छोटे-छोटे मेले आयोजित किये जाएं वहां निगरानी रखे। वहां पर सख्ती रखे ताकि इस तरह की दुर्घटनाएं न हों। उस तरह से यह विषय बहुत गम्भीर है। मुझे लगता है कि जो हम रोड पास करते हैं उसके लिए रोड पास करने वाली कमेटी है। कहीं नये रोड बनते हैं तो वे पॉलिटिकल प्रैशर में पास न करें। जहां पर गाड़ी चल सकती है वही रोड पास होना चाहिए। जब तक रोड ठीक से तैयार नहीं होता तब तक वह रोड पास नहीं होना चाहिए। सड़क दुर्घटनाएं कम हों, उस नाते और भी बहुत सारी बातें ध्यान में आती हैं। कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारी जगह हम 20-25 वर्षों से देख रहे हैं कि सड़क के आगे लिखा होता है कि अंधा मोड़ है। उसके बावजूद हमें चाहिए कि अंधा मोड़ कैसे सीधा हो, उसमें कोई कटिंग होनी है या कोई रिटेनिंग वॉल लगनी है उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि जहां पर हमें लगता है कि दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र हैं उसको कम किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि शब्दों की पुनरावृत्ति न करें जैसे कि रोड खराब है, डाउन में जा रही है, पेड़ लगाने चाहिएं इत्यादि। सिर्फ नया आइडिया हो तो वह रखें। अब मैं चर्चा में भाग लेने के लिए माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार जी को आमंत्रित करता हूं। आपका विषय भी इसी में ले लिया है क्योंकि आपका भी सेम ही विषय है। --(व्यवधान)-- नियम-130 में आपका भी विषय लगा है, उसको इसी में ले लिया है। आपका इश्यु सेम ही है। माननीय सदस्य, विनोद जी, आप उदास होकर न कहें। आप उठें प्लीज़। --(व्यवधान)-- क्या आपने नहीं बोलना है? नियम-130 में आपका सेम तरह का विषय लगा हुआ है और इसको माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक ही में क्लब कर दिया है। जैसे आपका विषय हिमाचल पथ परिवहन निगम की कार्यप्रणाली और वित्तीय स्थिति बारे है। दोनों का विषय सेम है। इसीलिये मैंने सब माननीय सदस्यों को पहले ही बोल दिया था कि इसका मतलब एक ही है। यदि माननीय सदस्य तैयार नहीं हैं तो मैं किसी अन्य माननीय सदस्य चर्चा हेतु बुला लेता हूं।

श्री विनोद कुमार (नाचन)ः उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके नैक्स्ट बोलूंगा।

उपाध्यक्षः ठीक है, अब माननीय सदस्य, श्री राकेश जम्वाल जी चर्चा में भाग लेंगे। कृपया बीच में न बोलें।

श्री राकेश जम्वाल (सुन्दरनगर)ः माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य, श्री हर्षवर्धन चौहान जी ने नियम-130 के तहत प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर माननीय सदन में प्रस्ताव रखा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है। यहां की भौगोलिक परिस्थितियां और सड़कों के निर्माण में जिस प्रकार से यहां पर दिक्कतें आती हैं और उनका निर्माण जिस प्रकार से होता है उसको हम सब भलीभांति जानते हैं। सड़कों के निर्माण के समय में पी0डब्ल्यू0डी0 जब किसी सड़क की डी0पी0आर0 बनाता है तो कई प्रकार की दिक्कतें उस सड़क को बनाने में आती हैं। बहुत से लोगों की जमीनें बीच में आती हैं जिसके कारण से उसकी अलाइनमैंट चेंज हो जाती है और कई बार उस सड़क का ग्रेड खराब हो जाता है। यह भी एक कारण है जिसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं। पी0डब्ल्यू0डी0 सड़क बनाती बार इन सारे विषयों का ध्यान रखे तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि सड़क ठीक बने, उसका ग्रेड ठीक हो और उसकी डी0पी0आर0 ठीक बने।

और जैसा आदरणीय शौरी जी ने भी कहा कि हमारी अधिकतर आबादी गांव में रहती है। गांव में लोगों के आने-जाने के साधन बसें हैं। जब हमारे गांव से लोग शहर में आते हैं और अपनी खरीददारी करने के बाद जब शाम को अंतिम बस उस गांव के लिए जाती है, उसमें ओवरलोडिंग होती है। यह भी दुर्घटना का एक मुख्य कारण है। इसके साथ-साथ जहां हमारी एच.आर.टी.सी./ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, जिसकी सुविधा हमारे गांव के लोगों को मिलती है, उसमें भी ओवरलोडिंग के कारण एक्सिडैंट के बहुत ज्यादा मामले ध्यान में आते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बसों के अलावा और एक्सिडैंट्स भी सड़कों पर होते हैं जैसे बाइक का एक्सिडैंट होता है। हमारी युवा पीढ़ी, युवावस्था में जब बिना हेल्मेट के बाइक चलाती है, उनका जब एक्सिडैंट होता है तो हैड इंजरी हो जाती है जिसके कारण अनेकों युवाओं की मौत हो जाती है। पुलिस विभाग इसमें सख्ती बरतें। बिना हेल्मेट के कोई भी बाइक वाला सड़क पर बाइक न चलाए। हिमाचल प्रदेश में पंजाब से बहुत से बाइक सवार मणिकरण के लिए बाइकों पर एक ग्रुप के रूप में तेजी से चलते हैं। जिसके कारण भी एक्सिडैंट होता है। उसमें उनकी भी मृत्यु होती है और जिन गाड़ियों के साथ वे टकराते हैं, उनका भी नुकसान होता है। उसमें पुलिस को सख्ती बरतने की जरूरत है। पंजाब से जितने लोग कुल्लू-मणिकरण के लिए आते हैं, 25-25, 30-30 बाइकें इकट्ठी चलती हैं और बिना हेल्मेट के तथा तीन-तीन लोग एक बाइक पर सवारी करते हैं। उस पर भी हमको सख्ती बरतने की जरूरत है ताकि एक्सिडैंट न हों।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इसके अलावा आजकल हमारी सड़कों पर फोरलेन का निर्माण कार्य चला है। कहीं पर स्लाइड हो जाता है तो एक तरफ के पोर्शन को बंद कर दिया जाता है और जब बाहर से हमारा कोई टूरिस्ट तेज स्पीड से आता है, उसको ध्यान नहीं होता कि आगे दूसरी तरफ का रोड़ बंद है, आमने-सामने से गाड़िया टकरा जाती हैं। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए कुछ न कुछ ठोस नीति

बननी चाहिए। माननीय हर्षवर्धन जी ने भी कहा कि यहां पर लगभग एक-डेढ़ साल से अनेकों एक्सिडैंट हुए हैं। मुझे लगता है कि एक्सिडैंट एक-डेढ़ साल से नहीं इससे पहले भी बड़े-बड़े एक्सिडैंट इस प्रदेश में हुए हैं। हम चाहते हैं कि एक्सिडैंट रुके क्योंकि उसके कारण हमारे बहुत से नौजवान बाइक सवार मारे जाते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, यहां पर ड्राइविंग टैस्ट के बारे में भी कहा गया कि एच.आर.टी.सी. में जो ड्राइवर्ज़ की भर्ती होती है, उसमें भी अनियमितताएं बरती जाती है और ऐसे-ऐसे लोग ड्राइविंग टैस्ट में पास हो जाते हैं जो अपीयर ही नहीं हुए होते। मुझे लगता है कि जब ड्राइविंग टैस्ट होता है तो उसकी प्रॉपर विडियोग्राफी आज से नहीं, पहले से ही होती रही है। जो नौजवान वहां पर ड्राइविंग टैस्ट देने के लिए आता है, एच.आर.टी.सी. विभाग प्रॉपर तरीके से भर्ती के नियमों को देखते हुए जब भी टैस्ट वहां पर लिया जाता है, उसकी प्रॉपर विडियोग्राफी भी होती है1 एच.आर.टी.सी. के ड्राइवरों के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन होता है। ओवर टाइम लिया जाता है क्योंकि जैसे कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में ड्राइवर्ज़ और कंडक्टर्ज़ की बहुत ज्यादा कमी है। इसको देखते हुए वर्तमान सरकार ने ड्राइवर्ज़ की भर्तियां अभी शुरू की हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में एच.आर.टी.सी. की बसें चलाने में उसको बहुत आसानी होगी। ब्लैक स्पॉट का भी जिक्र किया गया कि पी.डब्ल्यू.डी. विभाग मात्र ठेकेदारों को लाभ देने के लिए ब्लैक स्पॉट आइडैंटिफाई करता है ।

21.8.2019/1440/av/yk/1

इसलिए मात्र ठेकेदार को लाभ देने के लिए ब्लैक स्पॉट न आइडैंटिफाई किए जाएं। ऐसे ब्लैक स्पोट्स जहां पर लगता है कि दुर्घटना के चांसिज़ हैं उनको आईडैंटिफाई करके लोक निर्माण विभाग ठीक करने का प्रयास करे। इसके अतिरिक्त इसमें भारत सरकार के मंत्रालय के अंतर्गत माननीय नितिन गडकरी जी ने भी अनेकों सुधार किए हैं। हम देखते हैं कि जब हिमाचल का कोई व्यक्ति चंडीगढ़ जाता है तो चंडीगढ़ पहुंचने से पहले ही ड्राइवर सीट बैल्ट पहन लेता है क्योंकि उसको पता होता है कि आगे चालान होने वाला है। इसी

तरह से चंडीगढ़ से वापिस आते वक्त जैसे ही कीर्तपुर पहुंचते हैं तो बैल्ट उतार दी जाती है। हमारे लोग दिमागी तौर पर तैयार होते हैं कि अगर चंडीगढ़ में बैल्ट नहीं लगायेंगे तो चालान होगा। हमारे लोगों के मन में एक ऐसी धारणा बन गई है कि चंडीगढ़ ऐंटर करते ही हमारा चालान होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हिमाचल में भी ऐसा सख्त कानून बने जिसको लेकर हमारे लोगों के मन में यह बात बैठ जाए कि अगर हम बिना बैल्ट, ओवर स्पीड या शराब पीकर गाड़ी चलायेंगे तो ड्राइवर या किसी भी गाड़ी चलाने वाले को सजा मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में दुर्घटना का एक और कारण बर्फबारी भी है क्योंकि बर्फ के दिनों में भी यहां बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। हमारा प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है और बरसात के दिनों में लगभग सारे प्रदेश की सड़कें खराब हो जाती हैं जिसके कारण अनेकों दुर्घटनाएं होती हैं। मगर ये प्राकृतिक आपदाएं हैं और इसमें कुछ नहीं कर सकते मगर सड़कों का सुधार ठीक तरीके से हो; इस तरफ लोक निर्माण विभाग भी विशेष ध्यान दें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री विनोद कुमार (नाचन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अंतर्गत हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य श्री हर्षवर्धन चौहान जी प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर प्रस्ताव लेकर आए हैं। मैं भी इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं।

यह बात सही है कि सड़क दुर्घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हैं। मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे माननीय विधायकों ने इस विषय को लेकर अपना-अपना पक्ष रखा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो दुर्घटनाएं हिमाचल प्रदेश में घट रही हैं उनके पीछे सबसे बड़ा कारण यह लगता है कि जितने भी ड्राइवर चाहे सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं या निजी वाहनों का एक्सिडैंट होता है उसमें मैक्सिमम ड्राइवर नशा किए होते हैं। हमने

ऐसी एक नहीं अनेकों घटनाएं देखी हैं। इस तरह की घटनाओं को लेकर जब भी बात आती है तो मैक्सिमम यही पाया जाता है कि ड्राइवर ने शराब पी थी जिसके कारण गाड़ी का एक्सिडैंट हुआ। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐक्सिडैंट गाड़ी चलाते-चलाते फोन सुनने के कारण भी होते हैं। हम जब हिमाचल प्रदेश की सड़कों की बात करते हैं तो उसमें यह बात सही है कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और पहाड़ी राज्य होने के नाते यहां की सड़कों को मेंटेन करना थोड़ा-सा मुश्किल है और इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां भारी बरसात के चलते मैक्सिमम मार सड़कों के ऊपर पड़ती है जिसका खामियाज़ा सभी ट्रासपोर्ट्ज को भुगतना पड़ता है। सरकार उन सड़कों को ठीक करने हेतु कार्य शुरू करती है लेकिन

21.08.2019/1445/टी.सी.वी./वाई.के.-1

तब तक सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है और बर्फ के कारण भी बहुत-सी सड़कें प्रभावित होती हैं। हमने देखा है कि प्रदेश में ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए ब्लैक स्पॉट के माध्यम से सड़कों की बहुत ज्यादा कटिंग की जाती है। लेकिन सड़कों की ब्लैक स्पॉट्स के नाम पर कटिंग उन्हीं मोड़ों पर होनी चाहिए, जहां पर अधिक दुर्घटनायें होती हैं। मुझे उम्मीद हैं कि भविष्य में इसमें सुधार होगा। हमने यह भी देखा है कि हमारे नौज़वान साथी बिना हेलमेट के ड्राइव करते हैं और जब उनको पुलिस पकड़ी है तो सबसे पहले विधायक का नाम आता है। हर नौज़वान अपने चुने हुए प्रतिनिधि से बात करना चाहता है ताकि उनका चलाना न हो सकें। हम चाहेंगे कि सरकार कोई ऐसी नीति बनायें ताकि उनका चालान होने पर उनको न बख्शा जाये। इससे आने वाले समय में नौज़वान हेलमेट पहनकर भी चलेंगे और दुर्घटनायें भी कम होंगे। यदि दुर्घटनायें होंगीं भी तो कम-से-कम कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होगी।

इसके अलावा जो ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, वैसे तो सरकार ने इसके लिए किसी यंत्र (लिकर डिटैक्टर) की व्यवस्था की है, उसके माध्यम से पता चल जाता है कि किस ड्राइवर ने कितनी प्रतिशत शराब पी है। लेकिन उसमें यह भी ऐड किया जाये कि

जो भी ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाएगा, उसको 2-4 महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा ताकि आने वाले समय के लिए उसको सबक मिल सकें और इस तरह की व्यवस्था से दूसरे लोगों को भी लाभ होगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब दो मिनट में माननीय सदस्य श्री राकेश पठानिया जी अपना विषय रखेंगे।

श्री राकेश पठानिया(नुरपूर)ः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम-130 के तहत माननीय सदस्य, श्री हर्षवर्धन चौहान जी ने जो विषय यहां उठाया है, मैं आपको बधाई भी देता हूं और इसका समर्थन भी करता हूं। मैं 2-3 प्वाइंट्स पर बोलना चाहता हूं। ये बातें जो हम कई सालों से इस माननीय सदन के अंदर और बाहर सुन रहे हैं, क्या इन बातों पर कोई अमल भी होगा? ब्लैक स्पॉट्स-ब्लैक स्पॉट्स सुनते हुए हमें कई सालें हो गई हैं। मैं चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी इन ब्लैक स्पॉट्स को पब्लिश करेंगे? क्या इसको पब्लिक डॉमिन में लेकर आएंगे कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर कितने ब्लैक स्पॉट्स हैं? Have you identified all the black spots? इनको आइडैंटिफाई करके क्या आप उनको पब्लिक में पब्लिश करेंगे और एक साल के बाद आप पब्लिक को बताएंगे कि कितने ब्लैक स्पॉट्स रिमूव कर दिये हैं और कितने शेष रह गये हैं? Will you please kindly do the needful? मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा। मैंने इस विषय पर चर्चा नहीं करनी थी लेकिन जैसे दुर्घटनाओं की बात आती है, मुझे नुरपूर के उन 27 बच्चों की लाशें याद आती है, जिनको हमने एक्सीडैंट्स के बाद उठाया था and it is one of the biggest tragedy in my life. I have seen that bus accident.

21-08-2019/1450/NS/YK/1

जहां इतने छोटे-छोटे बच्चों की हमने लाशें निकाली थी। यह एक ऐसा दृश्य है कि मेरे मरने तक यह दृश्य मेरे दिल से साफ होने वाला नहीं है। मैं सड़कों के किनारे कुछ ऐसे डंगे देखता हूं कि ये डंगे हर साल लगते हैं और एक ही ठेकेदार लगाता है। मैं जानना चाहता हूं कि यह क्या प्रथा है? नूरपुर से कोटला रोड और कोटला से धर्मशाला रोड में 7-8 डंगे ऐसे

हैं जिनमें से आजकल 3 डंगे गिरे हुए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ये डंगे हर साल गिरते हैं और वही ठेकेदार इन डंगों को लगाते हैं। क्या यह आपस में कोई कोकस है? आपस में कोकस के साथ पैसे तो कमा लिए पर जो लोग मर रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या सरकार इस बारे में सख्ती से कोई स्टेप उठाएगी?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा स्ट्रे कैटल्ज़ हैं। कम-से-कम तीन नौज़वान 20 साल से कम उम्र के स्ट्रे कैटल के साथ दुर्घटनाओं में मर चुके हैं। स्ट्रे कैटल के बारे में सुन-सुन कर हमारे कान पक गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या आप इसके लिए कोई कानून इस माननीय सदन में लाएंगे कि forcefully it will become a Law; that all the cattles have to be vacated from the roads. क्या इनको सड़कों से बिल्कुल हटा दिया जाएगा और सड़कों को बिल्कुल कैटल फ्री कर दिया जाएगा? क्या ऐसी प्रपोज़ल सरकार के पास है? अगर है तो कृपया करके बताएं because these cattles have not become stray cattles but they have become death bottlenecks. ये हमारे प्रदेश के अंदर डैथ बोटलनेक्स बन गई हैं। रात को जहां से भी निकलो तो ये कमांडो फोर्स के रूप में इकट्ठे होते हैं। 25 से 30 एक जगह ही इकट्ठे हो जाएंगे और जैसे कमांडो रेड मारते हैं वैसे ही किसी खेत में जाते हैं तथा उस खेत को बर्बाद कर देते हैं, सुबह फिर सड़क पर बैठ जाते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं ठेकेदारों वाले ईश्यू पर आ रहा हूं। पिछले साल ठेकेदार जिस डंगे का काम करते हैं अगले साल वही डंगे गिर जाते हैं। आपने सड़कों में अच्छी बिचुमिन डाली, चार बारिशें हुईं और बिचुमिन उखड़ गई। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या सिस्टम है कि हर साल बिचुमिन डाली जाती है और बारिश में उखड़ जाती है? जहां पर गड्ढे होते हैं वहीं पर दुर्घटनाएं होती हैं। अभी तो अगस्त माह चल रहा है और by the end of September जब तक बारिशें खत्म होंगी, वही स्टेट्स आ जाएगा जो चार महीने पहले था। We will come back to from where we started. हमें अच्छी सड़कों का सुख केवल दो महीने के लिए मिलता है। Only two months in a year we get good roads. उसके बाद बारिश आती है तो सड़कें उखड़ जाती हैं और गड्ढे पड़ जाते हैं। इसमें थोड़ी-थोड़ी मिट्टी और बज़री डाल करके पैच भर दिया जाता है and the result is again square one. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ये दो-तीन ईश्यूज़ हैं। I am again thankful to Shri Harshwardhan Chauhan Ji, for bringing this issue. इन ईश्यूज़ के

बारे में माननीय मंत्री जी आप हमें केवल एड्रैस न करें बल्कि पूरे प्रदेश को एड्रैस करें और आप हमें बताएं कि आपने ब्लैक स्पॉट्स, स्ट्रे कैटल्ज़ और ऐसे ठेकेदारों के बारे में क्या सोच रखा है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित जो प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री हर्षवर्धन चौहान जी ले करके आए हैं, मैं उस पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सदस्यों ने बहुत सारी बातें रखी हैं और मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं केवल सरकार और माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पिछले डेढ़ साल से ज्यादा का समय आपकी सरकार को बने हुए हो गया है। आपने इन सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं? जब भी कोई दुर्घटना घटित होती है तो अखबारों के माध्यम से आपके बड़े-बड़े ब्यान आते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और दूसरे दिन दोबारा ऐक्सीडैंट हो जाता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने दुर्घटना रोकने के लिए क्या ठोस नीति बनाई है? मेरे अनुसार बहुत सारे विभाग जैसे लोक निर्माण विभाग, पुलिस विभाग और आबकारी एवं कराधान विभाग इन दुर्घटनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। अगर इसका उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं देते तो ज्यादा बेहतर रहता। क्योंकि बहुत सारे विभाग माननीय परिवहन मंत्री के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं।

21.08.2019/1455/RKS/AG-1

इसमें सबसे अहम रोल पुलिस विभाग का है। पश्चिमी देशों में यातयात कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि वहां पर बहुत कम दुर्घटनाएं होती है। कानून तो हमने भी बहुत सख्त बनाया है। यदि कोई शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उसे 25 हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा या फिर 6 महीने या 10 महीने की जेल भी हो सकती है। लेकिन इस कानून के बनने के बाद पूरे प्रदेश में जिला किन्नौर में ही एक व्यक्ति शराब पीकर पकड़ा गया। उसे जज साहब ने 6 दिन के लिए जेल में डाल दिया। जो हम स्वास परीक्षक यंत्र की बात कर रहे हैं जिससे यह पता लगाया जाता है कि किसने कितनी मात्रा में शराब पी है या

नहीं पी है यह चीज़ किन्नौर में आज से पांच साल पहले शुरू की गई थी। इसके लिए पुलिस विभाग को LADA से 3 लाख रुपये का फंड उपलब्ध करवाया गया और ड्रंकन ड्राइविंग को रोकने के लिए जगह-जगह नाके लगवाए गए। लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि सरकार बदल गई और ये नाके ज़िला किन्नौर में कम हो गए। इन नाकों के कम होने से दुर्घटनाएं बढ़नी शुरू हो गई। उस वक्त माननीय परिवहन मंत्री जी भी किन्नौर आए थे और इन्होंने यह सब कुछ देखा है। जिला किन्नौर में शादियों के समय एक वर्ष में 80-90 लोग मृत्यु के शिकार हो जाते थे। लेकिन जब जगह-जगह नाके लगाए गए और स्वास परीक्षक यंत्र से लोगों को चैक किया गया तो इसके परिणाम बहुत अच्छे आए। यह चीज़ जरूरी है और इसके लिए पुलिस विभाग को सख्ती से आदेश देने चाहिए। जो शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले को 25 हजार रुपये जुर्माना या सजा देने की बात है उससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। पुलिस वाले आपको 25 हजार रुपये की बजाय 10 हजार रुपये में छोड़ देंगे। इसलिए हमें सबसे पहले पुलिस सिस्टम को ठीक करना होगा। दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में स्पीड गवर्नर्स लगाने की आवश्यकता है। माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस हेतु कई बार आदेश पारित किए हैं परंतु पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई स्पीड गवर्नर्स नहीं लगाए जा रहे हैं। गाड़ियों में सी.सी.टी.वी. कैमराज़ होने चाहिए ताकि ओवरलोडिंग का पता लगाया जा सके। ड्राइवर मोबाइल में वीडियो देख रहा होता है या कोई ओडियो सुन रहा होता है जोकि इन दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण है। माननीय सदस्यों ने इस विषय पर बहुत अच्छी बातें कही हैं लेकिन मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं आपसे एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि आप थल में तो कोई काम कर नहीं पाए परंतु आप जल में काम करने के लिए उतर गए। पहले आप थल की नीति बनाइए फिर जल में जाइए। क्योंकि जल में तो और ज्यादा ख़तरा है और वहां कोई बचाने नहीं आएगा इसलिए आपको इस पर ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है। जब तक आप ठोस नीति नहीं बनाएंगे और कोई ठोस कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आर.टी.ओ. द्वारा जिन कंडम गाड़ियों को पास किया जा रहा है उसके लिए हजारों, करोड़ों रुपये की रिश्वत ली जा रही है। जब तक आप रिश्वतखोरी को नहीं रोकेंगे

तब तक यह काम नहीं हो सकता। आपने कहा था कि स्कूल की बसों में ओवरलोडिंग नहीं होगी। आप शिमला की किसी भी सड़क में खड़े हो जाइए भेड़-बकरियों की तरह बच्चों को गाड़ियों में लाद कर ले जाया जा रहा है। इसके लिए कोई चालान नहीं हो रहा है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि 20-20 साल पुरानी बसों को एम.आई. पास कर रहा है। जब तक आप इसके ऊपर अंकुश नहीं लगाएंगे तब तक इस चीज़ का कोई समाधान नहीं होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह उम्मीद करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री इस विषय पर विस्तृत जवाब दें और दूसरा जल के बजाय थल में नीति बनाएं ताकि दुर्घटनाएं कम हो। धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री होशयार सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

Shri Hoshyar Singh (Dehra): Respected Deputy Speaker, Sir, thank you for allowing me to discuss the serious issue of accidents under Rule 130 moved by Shri Harshwardhan Chauhan Ji. यदि आप वर्ष 2009 से वर्ष 2018 तक पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड चैक करें तो हिमाचल प्रदेश में 31 हजार सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें 11,561 लोगों की मृत्यु हुई हैं तथा 54 हजार लोग चोटिल हुए हैं। यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं है बल्कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। मेरे चुनाव क्षेत्र में पिछले तीन सालों में 100 दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें 54 लोगों की मृत्यु हुई हैं और 113 लोग चोटिल हुए हैं। इस तरह

यह जो दुर्घटनाओं का दौर है यह थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह लगातार हर वर्ष, हर महीने बढ़ता जा रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? यहां पर माननीय सदस्यों ने बहुत से कारण बताए हैं परंतु यदि मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात करूं तो चिंतपूर्णी में जो यात्री होशियारपुर और पंजाब से साइकिलों, मोटर साइकिलों, ट्रैक्टरों, ट्रकों व बड़े-बड़े रेहड़ों पर आते हैं। जब उनके द्वारा हमारे बैरियर्ज /आर0टी0ओ0 बैरियर्ज को पुलिस के सामने क्रोस किया जाता है तो उन्हें उस वक्त नहीं रोका जाता। हिमाचल प्रदेश में ये गाड़ियां ज्वालाजी, चामुण्डाजी, बाबा बालक नाथ जी और चिंतपूर्णी, हर मंदिर में नवरात्रों के समय

में आते हैं। आप कभी भी वहां जा करके यह सब नजारा देख सकते हैं। इसमें अधिकतर ड्राइवर अनट्रेन्ड होते हैं और वे यहां चलने वाले लोगों को भी दुर्घटना का शिकार बनाते हैं। ये लोग प्लेन इलाकों से आते हैं और इन्हें पहाड़ी इलाकों का ज्यादा अनुभव नहीं होता। यदि आप देखें तो pilgrim death सबसे ज्यादा हुई हैं। आज दिन तक पुलिस विभाग ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। जबकि बोर्डर पर ही ऐसे वाहनों को रोक लेना चाहिए। दूसरा कारण जैसा माननीय सदस्य, श्री राकेश पठानिया जी ने बताया कि आवारा पशु भी दुर्घटना का कारण बनते हैं। आवारा पशु ज्यादातर रात को नेशनल हाइवे पर बैठते हैं और वे दिखाई भी नहीं देते, जो काले रंग का पशु है वह तो कतई नहीं दिखता। stray animals on the highway के कारण भी एक्सीडेन्ट्स होते हैं। इन जानवरों के लिए हाइवे वाले बोलते हैं कि इन्हें हटाना वन विभाग का काम है और वन विभाग वाले बोलते हैं कि इन्हें हटाने का काम हाइवे वालों का है। ये दोनों विभाग फैसला करें कि आवारा पशुओं को कौन हटाएगा। जंगली जानवर वन विभाग के हैं लेकिन आवारा पशु वन विभाग के नहीं हैं। शायद यही इनकी परिभाषा में लिखा गया है। इनके गार्डज बाकी जगह पहुंच जाएंगे लेकिन आवारा पशुओं को देख करके आंख मूंद लेते हैं। इस पर अवश्य सरकार को गौर करना चाहिए और सख्त कानून बनाना चाहिए।

यहां पर ब्लैक स्पोट की भी बात हुई परंतु इसकी परिभाषा है क्या? जब 20 फुट लंबी बस किसी मोड़ से मुड़ती है तो उस मोड़ की चौड़ाई क्या होनी चाहिए? लोक निर्माण विभाग, नेशनल हाइवे या स्टेट हाइवे के पास इसके क्या मापदंड हैं? जब दो बसें किसी एक मोड़ पर मुड़ती हैं तो उस मोड़ की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, इस बारे में माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें। तब निर्णय होना चाहिए कि ब्लैक स्पोट क्या होता है। What is the definition of black sport?

इसके अलावा ओवर लोडिड गाड़ियों की बात है, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आप बताएं कि हमारे प्रदेश में कितने कांटे भार तोलने के लिए लगाए गए हैं, और यह कहां-कहां लगाए गए हैं? जिससे आप इसे चैक कर सकते हैं। इस बारे में भी माननीय

मंत्री जी थोड़ी जानकारी सदन को दें। दुर्घटनाओं के कारणों में लैंड स्लाइड व धुंध भी कारण हैं। Influence of liquor, drugs, alcohol तो चैक हो जाता है परंतु ड्रग्ज चैक करने के लिए क्या साधन हैं? Old and outdated buses यह भी दुर्घटना का कारण हैं।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, वही बातें दोहराई जा रही है यदि आपके पास इस बारे में काई नए सुझाव हैं तो उस पर बात करें।

श्री होशयार सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में इसमें चार सुझाव देना चाहूंगा, जितनी भी हिमाचल प्रदेश की संड़के हैं उनकी चौड़ाई 16 फुट होनी चाहिए ताकि दो गाड़ियां आसानी से पास हो सके। हमारी कई जगह पर मात्र 9 फुट की सड़के हैं जहां पर दो गाड़ियां पास नहीं होती हैं। जब एक गाड़ी आती है तो दूसरी को कच्ची जगह में उतारना पड़ता है। Anti crash barriers should be installed in all the sharp curves. जो भी गाड़िया प्रदेश से बाहर से आती हैं before entering the State that vehicle should be checked properly at the barrier. उन वाहनों की पासिंग समय पर हुई है या नहीं हुई है इन बातों की ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिए।

21.08.2019/1505/डी0टी0/डी0सी0/-1

बिना हेलिमेट के व्यक्तियों पर भारी से भारी जुर्माना लगाना जरूरी है। सड़कों पर सफेद रेडियम पट्टी भी होनी चाहिए। अगर सड़कों पर देखें तो आधी से ज्यादा सड़को में कोई सफेद रेडियम पट्टी नहीं है। रात को सड़क नजर नही आती है कि सड़क का किनारा कहां है, वह एक मेजर कारण है। सड़कों के किनारों पर सफेद रेडियम पट्टी लगाना बहुत जरूरी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : धन्यवाद, होशयार सिंह जी । जैसा मैंने पूर्व में कहा है कि यदि माननीय सदस्य कोई नया सुझाव सदन में रखेंगे तो उसका अवश्य लाभ होगा अन्यथा पुरानी बातें

दोहराने से सदन का समय बर्बाद होगा। अब माननीय सदस्य श्री बलबीर वर्मा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री बलबीर सिंह **वर्मा** (**चौपाल**) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के तहत हमारे माननीय सदस्य श्री हर्षवर्धन चौहान जी ने जो प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव लाया है, इसके बारे में माननीय सदस्यों ने बहुत ही विस्तार से यहां पर चर्चा की है। मैं आपके ध्यान में और माननीय मंत्री जी के ध्यान में कुछ जरूरी बातें लाना चाहता हूं। यह जो दुर्घटनाएं हुई हैं यह सिर्फ परिवहन विभाग की बजह से नही हैं इसमें लोक निर्माण विभाग भी है, पुलिस विभाग भी है। तीन विभाग अगर हिमाचल प्रदेश के अन्दर बड़ी ईमानदारी और वफादारी से अपना काम करें तो दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के अन्दर जैसे एच0आर0टी0सी0 में चालक भर्ती करते हैं उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। यदि कोई चालक अपना लाइसैंस बनाता है और जैसे ही वह लाइट से हैवी लाइसैंस बन जाता है तो दूसरे ही दिन वह बस में बैठ जाता है। मैं माननीय सदन के ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूं कि कुछ साल पहले ठियोग में एक बहुत बड़ी घटना घटी। प्राइवेट बस में 59 मौतें एक साथ हुई। जब उस चालक के लाइसैंस की जांच की गई तो उसके पास एल0एम0वी0 लाइसैंस भी नहीं था, हैवी तो दूर की बात है।

बहुत सारे ऐसे प्राइवेट बसों में और विशेष कर जो टैपों ट्रैवल चलाते हैं, इनमें जितने भी चालक हैं ये एल0एम0वी0 वाले हैं। इनको यात्रा वाहनों की ज्यादा जानकारी भी नहीं होती है और न कोई अनुभव है। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि जितने भी प्राइवेट बसों के ड्राइवर हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। उसके बाद उन्हें हैवी बसें चलाने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए।

दूसरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि माननीय मंत्री महोदय के पास परिवहन विभाग है और माननीय मुख्य मंत्री जी के पास पी.डब्ल्यू.डी. है। लेकिन अधिकारी एक ही है जिनके पास ये दानों महकमें हैं। किसी भी रोड के जब टैंडर लगते हैं

चाहे वह पी.एम.जी.एस.वाई. में हो या चाहे नाबार्ड है, चाहे कोई भी रोड है, चाहे मुख्य मंत्री ग्रामीण सड़क योजना है उनमें कांट्रैक्टर जहां हार्ड एरिया होता है वहां कटिंग नहीं करते और जहां सोफ्ट एरिया है वहां कटिंग कर देते हैं। जहां ढांक हैं वहां अधिकतर बसें गिर रही है। जब भी टेंडर लगते हैं तो वह एरिया टैंडर में कवर होता है। आप खलीणी से लेकर ठियोग तक चलें मैं आपको 10-11 स्पोट ऐसे दिखाउंगा जो हार्ड एरिया सपोट है। वे किसी ठेकेदार ने नहीं काटे हैं। डेविएशन सब में होती है लेकिन वह वहां होती है जहां नर्म पोर्शन होता है। जो हार्ड पोर्शन है वह सारा काटने को रहता है। जितने भी ब्लैक स्पोट कांट्रेक्टर द्वारा ठीक किए जा रहे हैं । प्रदेश में जो मेन सड़कें जा रही है उसमें आर.डी. नम्बर लगना चाहिए। आर.डी. नम्बर में जहां का नम्बर लगता है उसे ठेकेदार नहीं लगा रहे हैं। वे सॉफ्ट जगह का नम्बर लगाकर अपना बिल बना देते हैं और उसका पैसा पूरा कवर कर देते हैं।

21-08-2019/1510/डी.सी.-एन.जी./1

मैं आपको शिमला से चौपाल की बीच के ब्लैक स्पोट्स बताउंगा और कम से कम 100 टैण्डर लगे हैं, उनमें से 80 टैण्डर ईज़ी एरिया व 20 टैण्डर हार्ड एरिया के लिए लगे हैं। उपायध्यक्ष महोदय, मुझे विधायक बने हुए साढे 6 साल हो गए और इस अवधि में कुल 11 बस दुर्घटनाएं हुई हैं। इन दुर्घटनाओं में कई जानें गई हैं, हमारे पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री मेहर सिंह चौहान जी की भी बस दुर्घटना में ही मृत्यु हुई। वह बस उस प्वाइंट से गिरी थी जहां पर ब्लैक स्पोट्स भी नहीं था परन्तु रास्ता बहुत तंग था। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पिछले 20-25 सालों में सैंज से फेड़िज पुल तक के रोड़ को चौड़ा करने के लिए बहुत सारे टैण्डर लगे। इस रोड़ में लगभग 200 कर्व है। लेकिन आपको इस बात पर हैरानी होगी कि इन 200 कर्वज़ में से 10 कर्व भी चौड़े नहीं हो पाए। टैण्डर तो लगे और ठेकेदार ने काम भी किया लेकिन उन कर्व पर नहीं किया जहां हार्ड पोर्शन था और सोफ्ट पोर्शन पर ही काम किया। टैण्डर तो हमेशा हार्ड पोर्शन के लिए किया जाता था परन्तु काम हार्ड पोर्शन पर नहीं किया जाता। यदि सैंज से फेड़िज पुल तक रोड़ को चौड़ा करने के टैण्डर में आर.डी. नम्बर अंकित होता है तो विधायक व पंचायत

प्रतिनिधि को ध्यान रहेगा कि इस आर.डी. नम्बर का टैण्डर लगा है और उसकी निगरानी करना आसान हो सकता है।

मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के इंटिरियर में बसें बहुत कम हैं। जिस कारण जीपों में 25-25, 30-30 आदमी आवाजाही कर रहे हैं। यदि आप दुर्घटनाओं को रोकना चाहते हैं तो आप ऐसी व्यवस्था करें की चौपाल जैसे क्षेत्रों में जहां सड़कें तंग है वहां पर 20-25 सीटर या इससे छोटी बसों का प्रावधान किया जाए। यदि ऐसा हो जाए तो इंटिरियर क्षेत्रों के लोगों को इससे बहुत लाभ होने वाला है। इससे दुर्घटनाएं भी कम होंगी और जीपों में हो रही ओवरलोडिंग से भी लोग बच सकेंगे।

उपाध्यक्षः वाईंड अप करें प्लीज।

श्री बलबीर सिंह वर्माः मैं माननीय मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि जितनी भी निजी बसें है उन बसों के ड्राइवर्ज़ के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। चाहे एक महीने की ही ट्रेनिंग करवाएं परन्तु उनकी ट्रेनिंग अवश्य होनी चाहिए और उन चालकों को तब तक हैवी लाइसेंस जारी न किया जाए जब तक वह इस ट्रेनिंग को न करें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राणा जी समय को ध्यान में रखते हुए चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राजेन्द्र राणा (सुजानपुर)ः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यह माननीय सदन नियम-130 के अन्तर्गत बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिती पर विचार कर रहा है और सभी माननीय सदस्यों ने अपने बहुमुल्य सुझाव यहां पर दिए हैं। मैं मानता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हिमाचल प्रदेश में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं जिसमें कई बार परिवारों के परिवार तबाह हो जाते हैं। इन दुर्घटनाओं के क्या कारण है और इन्हें कैसे रोका जा सकता है इसके लिए माननीय सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से अनेक

सुझाव आए हैं। मैं समझता हूं कि सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ रहा है और गाड़ियों की तादाद भी बढ़ रही है और यहां पर सड़कों की जैसी हालत है वह बहुत ही दयनीय स्थिती में हैं। सड़कों की हालत बरसात के कारण लगातार बिगड़ती जा रही है। हमारे साथियों ने यहां ब्लैक स्पोट्स की बात कही है, सड़कें पूरी तरह खराब हैं, सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे है। आप पूरे प्रदेश में जाकर देख सकते हो कि सड़कों की हालत इतनी खराब हो गई है तो दुर्घटनाएं होना स्वभाविक हैं। हमारे साथियों ने सुझाव दिया कि जो लोग शराब पीकर गाडियां चलाते हैं उन पर पुलिस विभाग सख्ती से पेश आए।

आप देख सकते हो कि चण्डीगढ़ में लोग बैल्ट भी लगाते हैं, कोई शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाता क्योंकि लोग जानते हैं कि पुलिस वालों ने आगे नाका लगाया हुआ है। इसलिए लोग या तो ड्राइवर साथ लेकर चलते हैं या टैक्सी लेकर चण्डीगढ़ आते हैं। उनको मालूम है कि नियम का पालन नहीं करेंगे तो 25 हजार रूपये का जुर्माना देना होगा और साथ ही गाड़ी भी जब्त होगी। प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करे

21/08/2019/1515/RG/HK/1

और यह एक ऐसा ड्राईव होना चाहिए कि पूरे प्रदेश में जो गाड़ियां चलाने वाले लोग हैं, उनको यह एक सन्देश जाए कि इस बारे में सरकार और पुलिस विभाग सख्त है, चालान हो रहे हैं और गाड़ियां जब्त हो रही हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारी दुर्घटनाएं जो लोग शराब पीकर गाड़ियां चलाते हैं, उसके कारण होती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हम प्रदेश में निवेश लेकर आएंगे। तो निवेशक तभी आएगा जब आपके यहां सड़कों की स्थिति ठीक होगी। आप पर्यटन की बात करते हैं कि हम पर्यटन लेकर आ रहे हैं, हम होटल लेकर आ रहे हैं, ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, परन्तु ये चीजें तब तक नहीं आएंगी जब तक निवेशक को यह लगेगा कि मैं हिमाचल प्रदेश में जा रहा हूं क्या वहां की सड़कें ठीक हैं? लोगों की आवाजाही के लिए, लोग खुश होकर गाड़ी लेकर यहां आएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले जहां एच.आर.टी.सी. की गाड़ियों को दुरूस्त करने की जरूरत है, वहीं लोक निर्माण विभाग को भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करना चाहिए।

माननीय मुख्य मंत्री जी इस समय सदन में नहीं है, लोक निर्माण विभाग उनके पास ही है। मुझे लगता है कि आज लोक निर्माण विभाग के अधिकारी बहुत सुस्त हो गए हैं। हम लोग भी पूरे प्रदेश में जाते हैं और लोक निर्माण विभाग में कई जगह तो ऐसी स्थिति हो गई है कि दो-अढ़ाई साल हो गए हैं, पैसा भी गया हुआ है, लेकिन वहां काम ही शुरू नहीं हुआ। यहां तक की टैण्डर तक नहीं करते हैं। मैं हमीरपुर की बात बता रहा हूं कि वहां टैण्डर नहीं होते हैं, विधायक पैसे दे रहे हैं, उनके टैण्डर नहीं हो रहे हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि विभाग पर थोड़ी पकड़ रखे और अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि पैसा आया है, सड़क में कोई अड़चन नहीं है या कोई विवाद नहीं है, तो उसका काम शुरू करें।

उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करिए।

श्री राजेन्द्र राणा : उपाध्यक्ष महोदय, जो खड्डे पड़ रहे हैं, सड़कें खराब हो रही हैं, मुझे लगता है कि अभी पठानिया जी ने भी चर्चा की कि बार-बार डंगे एक ही जगह लगाए जाते हैं तो सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बार-बार ऐसा क्यों होता है? सड़कों में जब तक नालियां नहीं बनेंगी, पानी की निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं होगी तब तक सड़कें जल्दी खराब होती रहेंगी। इसलिए नालियों की पूरी व्यवस्था हो और विभाग कोशिश करे कि सड़कों को ठीक रखे।

इसके अतिरिक्त जो बहुत सारे सुझाव हमारे साथियों ने दिए हैं कि दुर्घटनाएं न घटें, उनके लिए प्रकाशन मैयर्ज लिए जाएं। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : धन्यवाद। अब श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी चर्चा में भाग लेंगे। कृपया समय का ध्यान रखें। क्योंकि नियम-130 के अन्तर्गत ही एक अन्य विषय भी लगा है।

श्री मोहन लाल ब्राक्टा(रोहडू) : उपाध्यक्ष महोदय, जो नियम-130 के अन्तर्गत श्री हर्षवर्धन चौहान जी यहां प्रस्ताव लेकर आए हैं कि "प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करे," मैं भी उस सन्दर्भ में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने इस विषय पर विस्तार से चर्चा की है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। जैसे श्री बलबीर वर्मा जी ने भी कहा कि यह विषय केवल ट्रांसपोर्ट से सम्बन्धित नहीं है, इसमें और भी कई विभाग शामिल हैं। जैसे लोक निर्माण विभाग है और मुख्य यही है। वैसे पुलिस विभाग भी इसमें

शामिल है। जैसे यहां सभी जानते हैं कि हमारा प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है। सड़कों की स्थिति आज की तारीख में यहां बहुत दयनीय है। यह ठीक है कि यहां प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं। जैसे आजकल बरसात है, वह एक अलग बात है। लेकिन इसके अलावा भी लोक निर्माण विभाग को ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा, क्योंकि उनके पास लोक निर्माण विभाग भी है, इस ओर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। जैसा यहां पठानिया जी कह रहे थे कि ब्लैक स्पॉट की क्या डेफिनिशियन होनी चाहिए। यह ब्लैक स्पॉट भी आज एक चिन्ता का विषय है। जैसा श्री बलबीर वर्मा जी ने अभी ठीक कहा कि लोक निर्माण विभाग आज की तारीख में क्या करता है कि अपने चहेतों के काम करता है। डंगे कहां लगा रहे हैं, जहां जरूरत नहीं होती, ब्लैक स्पॉट कहां ठीक कर रहे हैं जहां जरूरत नहीं होती, क्रश बैरियर्ज की भी जहां तक बात आती है, तो वे भी वहां लगाते हैं जहां जरूरत नहीं होती। मैं अपने रोहड़ू विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा कि कई ऐसी जगहें हैं जहां आवश्यकता ही नहीं है, वहां क्रश बैरियर्ज लगाए जा रहे हैं और जहां जरूरत है वहां नहीं लगाते। तो यह भी एक चिन्ता का विषय है। इसको किसने देखना है, यह विभाग की भी बहुत लापरवाही है। आज मैं यह बात इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं विपक्ष में हूं। यह हकीकत है और मैं अपने रोहड़ू विधान सभा क्षेत्र की बात कहूंगा कि आज की तारीख में वहां लोक निर्माण विभाग क्या काम कर रहा है,

21/08/2019/1520/MS/AG/1

जहां अपने चहेते ठेकेदार हैं या जहां पार्टी वर्कर हैं, वहीं काम हो रहे हैं बाकी जगह काम ठप्प हैं। हर कहीं पर मशीनें लगाई जा रही हैं। कहीं टैण्डर नहीं हुए, कहीं बजट प्रावधान नहीं है यानी बिना बजट और बिना टैण्डर के काम हो रहे हैं। बिना अलाइनमैंट और बिना सर्वे के कहीं भी सड़कें निकल रही हैं। तो ऐसे में दुर्घटनाएं नहीं होंगी तो और क्या होगा? यह चिन्ता का विषय है।

यहां पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट के बारे में भी बात आई। मैंने यहां विधान सभा में एक प्रश्न भी इस बारे में लगाया था कि हिमाचल प्रदेश में जब से जय राम ठाकुर जी की नई सरकार बनी है तब से कितनी बसें यहां आई हैं, जिसका उत्तर मिला कि यहां पर कोई बस

नहीं आई है। दूसरी इलैक्ट्रिक बसें जरूर आई हैं लेकिन उन्हें भी शिमला में ही लगाया गया है। आज हर जिले में बसों की कमी है और पुरानी बसें चल रही हैं।

जहां तक प्राइवेट बसों की बात है तो इन बसों में चैकिंग का कोई प्रावधान नहीं है। इन बसों में बहुत ओवर लोडिंग होती है। इसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है क्योंकि यह सब सरकार ने ही देखना है। इसमें मेरा सरकार को सुझाव रहेगा कि जहां तक लोक निर्माण विभाग की बात है, यह विभाग अपने अधिकारियों को हिदायत दें कि जहां-जहां ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने या क्रैश बैरियर्ज लगने हैं, उन्हें जहां आवश्यकता हो वहीं लगाया जाए। इसके अलावा सड़कों पर कई जगह स्पीड ब्रेकर लगने हैं लेकिन वे भी नहीं लग रहे हैं और दूसरे ही काम हो रहे हैं। मेरा परिवहन मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि बसों की कमी को देखते हुए नई बसों का प्रावधान करने की जरूरत है और यह प्रावधान जल्दी-से-जल्दी किया जाए। बाकी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें मेरे से पूर्व-वक्ताओं ने कह दी हैं, उन्हें मैं रिपीट नहीं करूंगा। उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब चर्चा में माननीय सदस्य श्री लखविन्द्र सिंह राणा जी भाग लेंगे। माननीय सदस्य मुझे उम्मीद है कि आप 1-2 मिनट बोलकर अपनी बात समाप्त करेंगे।

श्री लखविन्द्र सिंह राणा(नालागढ़)ः उपाध्यक्ष जी, नियम-130 के अंतर्गत हर्षवर्धन चौहान जी ने जो प्रस्ताव प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित इस सदन में लाया है, उस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष जी, हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं बहुत बढ़ चुकी हैं और यह चिन्ता का विषय है। इन्हें रोकने के लिए सरकार को शीघ्र प्रयास करने चाहिए ताकि ये दुर्घटनाएं ज्यादा न बढ़ें। हमारे पक्ष और विपक्ष के बहुत से माननीय सदस्यों ने इस विषय पर यहां गम्भीर चर्चा की और सभी ने कहा कि सड़कों की दयनीय स्थिति ही इन दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। आज हम हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं कि जो हमारी लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय उच्च मार्ग की सड़कें हैं, उनके ऊपर गड्ढे पड़े हुए हैं और जब भी कोई गाड़ी इन गड्ढों के पास से गुजरती है तो वह इन गड्ढों से अपनी गाड़ी को बचाने की कोशिश करते

हुए दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके लिए हमें लोक निर्माण विभाग को चुस्त-दुरूस्त करने की आवश्यकता है।

हमारे नालागढ़ में प्रतिदिन एक्सीडैंट्स का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सड़क दुर्घटना का एक अन्य मुख्य कारण ट्रैफिक पुलिस की कमी भी है। हमारे बी0बी0एन0डी0ए0 क्षेत्र में काफी संख्या में उद्योग हैं और वहां प्रतिदिन कम-से-कम एक व्यक्ति की मृत्यु सड़क दुर्घटना के कारण होती है। वहां पर काफी संख्या में उद्योग/फैक्टरिज होने के कारण लाखों की संख्या में बाहर से लोग आए हुए हैं और निश्चित रूप से उन्होंने अपनी गाड़ियां भी रखी हुई हैं लेकिन उनको कन्ट्रोल करने के लिए वहां पर पुलिस बल बहुत कम है। इसलिए वहां पर पुलिस बल को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि ऐसी दुर्घटनाएं रुक सकें।

उपाध्यक्ष जी, कुछ दिन पहले हमारे किरपालपुर नामक गांव में एक 81 साल के बुजुर्ग को सड़क क्रॉस करते हुए एक कार ने टक्कर मार दी जिससे उस बुजुर्ग की स्पॉट पर ही मृत्यु हो गई। उस कार वाले के पास न तो लाइसैंस था और न ही गाड़ी के कोई कागज़ात थे। वह व्यक्ति उस आदमी के घर अफ़सोस करने भी नहीं आया। यदि हम ऐसे व्यक्तियों के ऊपर सख्ती नहीं करेंगे तो ये दुर्घटनाएं और भी बढ़ती जाएंगी।

इसी तरह से सड़क दुर्घटनाओं का एक और कारण नशा भी है। यहां पर चर्चा की गई कि जो शराब के नशे में होगा उसका पुलिस चालान करेगी और पुलिस के पास उसके लिए उपकरण भी दिए गए हैं। लेकिन अफीम, भुक्की और चिट्टे के नशे को आप कैसे जांचेंगे कि किसी व्यक्ति ने इस तरह का कोई नशा किया हुआ है? उसके लिए हमें कोई सख्त कानून बनाने की जरूरत है ताकि अगर कोई ऐसा व्यक्ति पाया जाता है,

तो उसका लाइसैंस रद्द किया जाना चाहिए। उसको दो या तीन महीने की सजा होनी चाहिए ताकि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध दोबारा न कर सके। इसी तरह से दुर्घटना का एक और कारण है, वह है तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाना। आज हम देख रहे हैं कि हमारी जो नौज़वान पीढ़ी है, बड़ी तेज़ी से बाइक चलाते हैं। रोज़ हमारे क्षेत्र में, वह चाहे हमीरपुर का

है, कांगड़ा का है, बिलासपुर का है या मण्डी का है, वहां पर फैक्टरी में काम करते हैं और वहां पर हर रोज़ मौत हो रही है। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्त रूल्ज़ बनाने की आवश्यकता है। यहां पर कहा गया कि सड़कों की गुणवत्ता ठीक नहीं है। हमारे नालागढ़ में भी आजकल बरसात में बहुत स्लिप्स आए हैं और जो वहां पर पी0डब्ल्यू0डी0 के लोग हैं, उनके बहुत मजे हैं। वहां पर मिट्टटी उठाने के ठेके दिए जा रहे हैं। वहां पर रिटेनिंग वॉल्ज़ लगाई जा रही हैं, जहां पर उनकी जरूरत नहीं हैं। कुछ ठेकेदारों की ठेकेदारी चमकाने के लिए उनको काम दिया जा रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए जो रिटेनिंग वॉल्ज़ लगाई जा रही हैं, उनको वहां पर ही लगाया जाए, जहां पर उनकी जरूरत है।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, प्लीज आप वाइंडअप कर दें। अभी तीन-चार सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री लखविन्द्र सिंह राणाः माननीय उपाध्यक्ष जी, इसी तरह से जो एच0आर0टी0सी0 की बसें और नालागढ़ में प्राइवेट बसिज़ हैं, जो कि 8-8 लाख से भी ज्यादा चल चुकी हैं, वे भी सवारियां ले जा रही हैं। अगर हम उनके ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं तो ये हादसे नहीं रुकेंगे। इसी तरह से जो स्कूल की बसें हैं जितने भी हमारे बी0बी0एन0डी0ए0 में स्कूल हैं, उनमें एक-एक बस में 50-50 बच्चों को भरा जा रहा है। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है।

इसी तरह से एक महत्वपूर्ण बात है कि बी0बी0एन0डी0ए0 में जो उद्योग लगे हैं वहां कर्मचारियों को लाने के लिए और घर छोड़ने के लिए जो बसें लगाई गई हैं, लोग वे बसें पंजाब से सस्ते दामों पर खरीद लेते हैं और हिमाचल प्रदेश में पता नहीं कैसे पास कर दी जाती हैं, कैसे आर0टी0ओ0 और एम0वी0आई0 उनको पास कर देते हैं? वे बसें चलने लायक नहीं होती हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अभी चार सदस्य बोलने के लिए हैं और अभी माननीय मंत्री जी का उत्तर भी आना है। अब चर्चा में श्री प्रकाश राणा जी भाग लेंगे।

श्री प्रकाश राणा (जोगिन्द्रनगर)ः आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अन्तर्गत प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर जो विचार सदन में चल रहा है, उसमें आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह काफी गम्भीरता का विषय है। अगर सर्वे के आधार पर आंकड़ों को देखा जाए तो हर साल दुर्घटनाओं की बढ़ौत्तरी होती जा रही है। हमारे हिमाचल का दुर्भाग्य भी रहा है कि यहां पर एअर व रेल कनैक्टिविटी न के बराबर है। मुझे लगता है कि आजादी के बाद इसमें हम असफल रहे हैं। इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि रेल जहां पर रुकी थी, मुझे नहीं लगता कि वहां से आज़ादी के बाद 100 मीटर भी आगे बढ़ी हो। हम लोग रोड़ कनैक्टिविटी पर डिपैंड हैं। जैसे कि हमारे भाई होशयार सिंह जी ने भी बताया है कि I think over 11,000 people have died in road accidents in Himachal Pradesh in past ten years. अगर देखा जाए तो हर साल 1100 या 1200 तक लोगों की मौतें हो रही हैं।

21.08.2019/1530/SS-YK/1

और अगर हमारे प्रदेश की पापुलेशन को देखा जाए, उसके आधार पर अगर 1100-1200 डैथ्स प्रत्येक साल हो रही हैं तो यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। सोचने का विषय है कि इसमें प्रत्येक साल बढ़ोत्तरी हो रही है तो इसको कैसे रोका जाए। हमारे सभी सदस्य अपनी बात रख रहे थे, मैं उनको सुन रहा था। लेकिन मैं तो यह भी मानता हूं कि जो हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि यहां पर बैठे हैं इसका कुछ कारण हम भी रहे हैं। अब जैसे सर्वे के हिसाब से 80 परसैंट एक्सीडैंट्स ड्राईवर की गलती से होते हैं। 15 परसैंट एक्सीडैंट्स रोड खराब होने की वजह से होते हैं और 5 परसैंट टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। मेन तो 80 परसैंट है। रोडों की बात हम कर ही रहे हैं। 80 परसैंट एक्सीडैंट्स जो हो रहे हैं उसमें ड्राईवर्ज़ जिम्मेवार हैं। वह क्यों हो रहा है? होता क्या है कि अगर मैं अपने विधान क्षेत्र की

बात करूं या हम सब अपने-अपने क्षेत्रों की बात करें तो प्रशासन को जिम्मेवार बना रहे हैं। मैं तो नहीं सोचता हूं कि इसके लिए प्रशासन या पुलिस ही जिम्मेवार है। हम भी उसके गुनाहगार हैं। कोई भी आदमी जब शराब पिये हुए पकड़ा जाता है या उसके पास लाइसैंस नहीं है या ऑवर-स्पीड ड्राइविंग में पकड़ा गया --(व्यवधान)-- उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि मुझे बोलते हुए एक ही मिनट हुआ है।

उपाध्यक्षः आप बहुत स्लो चले हुए हैं, दुबई की तरह गाड़ी बढ़ाओ।

श्री प्रकाश राणाः तो सोचने की बात यह है कि जैसे ही वह पकड़ा जाता है तो चुने हुए प्रतिनिधि का फोन जाता है कि भई इसको छोड़ दो, दूसरी बार गलती करेगा तो देख लेना। मैं भी फोन करता हूं। पहले जो सिस्टम बना हुआ है वह एकदम कैसे खराब होगा! हम सब लोगों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। हम सिर्फ प्रशासन को ही जिम्मेवार ठहराएं, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं। आप अपनी गलती तो मानो कि आप कहां पर गलत हैं। मैं भी फोन करता हूं क्योंकि वह सिस्टम बन गया है। पहले तो हम यहां पर इस चीज़ को एक्सैप्ट करें, अगर आप चाहते हैं कि रोड एक्सीडैंट्स न हों तो हम आगे ऐसा न करें। अगर आप लोग फोन नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूंगा। अगर आप रोड एक्सीडैंट्स को रोकना चाहते हैं तो पहले आप 80 परसैंट वाले कॉज को रोको, जिसकी वजह से एक्सीडैंटस होते हैं। दूसरा, रोड सेफ्टी का विषय है। एक तो जब हम बोलने लगते हैं तो पहले ही घंटी बज जाती है।

उपाध्यक्षः राणा जी, आप पांच मिनट बोल लिये हैं। आप थोड़े स्लो चले हुए हैं। --(व्यवधान)-- ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। यह पहली बार नहीं बोल रहे हैं। मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि कृपया शांति बनाए रखें। माननीय प्रकाश राणा जी, आप अपनी बात जारी रखें।

श्री प्रकाश राणाः मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पहले हम इस पर ध्यान दें कि हम आगे के लिए ऐसी गलती न करें। मैं अपने सभी सदस्यों से यही चाहता हूं कि हम इस बात को एक्सैप्ट करें। एक्सैप्ट करेंगे तो आगे चलेंगे। दूसरी, मेन प्रॉब्लम क्रैश बैरियर न होने के कारण आ रही है। हमारे जो क्रैश बैरियर लगे हैं वे ज्यादातर सीमेंट के पैरापिट हैं। वे कहां से गाड़ी को रोकेंगे, जब बारिश हो रही है तो वे खुद ही बहे जा रहे हैं तो वे गाड़ी की हिट्स

को क्या रोक सकते हैं? उसमें सीमेंट कम और मिट्टी ज्यादा लगी हुई है। आजकल जो thrie beam crash barriers आये हुए हैं उसके बारे में मैंने थोड़ी स्टडी की थी। जब उनको हिट करते हैं तो वे कार को पीछे को पुश करते हैं। हमने पढ़ा था कि केन्द्र सरकार ने 39.47 करोड़ उसके लिए पहली किस्त जारी की है। मैं चाहूंगा कि अगर हम इस तरह के क्रैश बैरियर बनायेंगे तो हम एक्सीडैंट्स रोकने में सफल हो सकते हैं। --(व्यवधान)--

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने नहीं देना है।

उपाध्यक्षः अगर आपके और सुझाव होंगे तो आप उन्हें लिखित रूप में माननीय मंत्री जी को दे देना। ऐसा मुझे विश्वास है कि आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं।

श्री प्रकाश राणाः उपाध्यक्ष महोदय, बोलने के लिए बहुत कुछ बाकी था, लेकिन फिर भी मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने मौका दिया।

उपाध्यक्षः धन्यवाद। अब माननीय सदस्य, आदरणीय राम लाल ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे। कृपया समय का ध्यान रखें।

21.08.2019/1535/केएस/एजी/1

श्री राम लाल ठाकुर (श्री नैना देवीजी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 130 के अन्तर्गत हो रही चर्चा पर एक-दो सुझाव दूंगा और आपकी घण्टी बजने से पहले अपनी वाणी को विराम दूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर चर्चा हुई कि मोटर व्हीकल एक्ट के अधीन जो गल्तियां ड्राइवर करता है, उसके बारे में सरकार सख्त कदम उठाएं लेकिन गडकरी साहब तो पार्लियामेंट में संशोधन ले कर आ गए हैं। अब तो उसमें सभी फंसेंगे और यहां पर अब चिंतित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर सैंटर गवर्नमैंट ने सख्त प्रावधान किए हैं। दूसरे मैं कहना चाहूंगा कि यह जो ब्लैक स्पॉट की बात आई है, यह भी गडकरी साहब की घोषणा थी, लेकिन यहां पर हो यह रहा है कि इसके लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट के ड्राइवरों को नहीं पूछा जाता बल्कि कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो

एक्सिअन और एस.ई. के पीछे भागकर ब्लैक स्पॉट के नाम से इधर-उधर पैसा खर्च कर रहे हैं जो कि ठीक ढंग से खर्च नहीं हो रहा है। मैं यह भी कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में सड़कों के अलावा यहां पर हवाई जहाज नहीं चल सकते, वाटर वे नहीं हैं, रेल की सुविधा यहां पर नहीं है तो हमारी सड़कें ही हमारी भाग्य रेखाएं हैं। एक्सिडैंट्स इसलिए भी ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि हमारा पहाड़ी प्रदेश है। सड़कों की वजह से आज हालत यह है कि अगर हम कहीं बात करें कि यह नेशनल हाइवे का है तो वहां से जवाब मिलता है कि एक भी पैसा नेशनल हाइवे की तरफ से नहीं मिला है। अगर नेशनल हाइवे से बात करें, मैं अपने बिलासपुर की बात कर रहा हूं, जहां पर बहुत से एक्सिडैंट्स होते हैं, बहुत सी गाड़ियां चल रही हैं लेकिन उत्तर यह मिलता है कि नेशनल हाइवे की तरफ से कोई पैसा नहीं है क्योंकि सड़क NHAI को ट्रांसफर हो गई है। अब ऐसे केसिज़ में हम क्या करेंगें, कैसे सड़कें ठीक होंगी?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्किंग सीज़न की भी बात है, क्योंकि जब बरसात होगी, उसके बाद जब सर्दी आएगी तो कुछ एरियाज़ में वर्किंग सीज़न ही कम है और सड़कों की हालत इसलिए भी बिगड़ती है। मेरा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से एक निवेदन है कि जो आपके करने का है, आप करें । मैं कहूंगा कि ह्यूमैन फेल्योर से ज्यादा मैकेनिकल फैल्योर से ये सारी चीजें हो रही हैं। अगर आपकी पुरानी गाड़ियां जो पांच-पांच, छः-छः लाख किलोमीटर चली हैं, उन्हीं को ठीक करके चलाएंगे तो ज्यादा एक्सिडैंट होने की सम्भावना है इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार नई गाड़ियां लें और पुरानी गाड़ियों को कन्डम कर दें।

माननीय उपाध्यक्ष जी, कहा गया कि एक्सिडैंट हुए इसलिए ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए। जिस सड़क से स्कूल और कॉलेज के बच्चे जा रहे हैं, उनके पासिज़ बने हुए हैं, जहां पर ढाई-तीन सौ यात्री जाने हैं, आपने कह दिया कि ओवरलोडिंग पर ड्राइवर को एक हजार रुपये फाइन होगा। एक हजार वह कहां से देगा? या तो हम वहां पर और गाड़ियां भेजें। स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए भी वहां गाड़ियां जाएं, जहां 300 यात्री

रोज़ यात्रा करते हैं ,वहां पर आप कह रहे हैं कि बस में 42 से ज्यादा यात्री आएं तो एक हजार रुपये ड्राइवर को फाइन होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि स्टाफ की कमी को पूरा करना पड़ेगा। अगर ड्राइवर की आठ-आठ घंटे ज्यादा आप डियूटी लेंगे तो उससे ज्यादा एक्सिडैंट होते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो पोस्टें खाली पड़ी हैं, उनको भरा जाए ताकि ड्राइवरों को आठ-आठ घंटे ज्यादा डियूटी न देनी पड़े। स्टाफ के बारे में कुछ करने की जरूरत है ताकि एक्सिडैंट कम हों।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह कर समाप्त करना चाहूंगा एक तो हैं हमारी बसें, दूसरे हैं हमारे सीमेंट प्लांट। कुल्लू , मनाली , मण्डी, लाहौल स्पिति या दूसरे जिलों से

21.8.2019/1540/av/AG/1

ट्रक सेब व सब्जियां ला रहे हैं; इनके बारे में जैसे मेरे दूसरे साथियों ने भी कहा तो इस संदर्भ में भी कुछ सख्त कानून बनने चाहिए। यहां पर कह दिया कि पुलिस वाले चैक करते हैं और यदि शराब की मुश्क आ रही हो तो उनको पकड़ते हैं। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि पुकी वाले को कौन पकड़ेगा? इसको ड्राइवर खुद राजस्थान से लेकर आते हैं। राजस्थान में ठेके बने हैं और वहां सड़कों के किनारे भी पुकी बेचने वाले होते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सूंघने से काम नहीं चलेगा बल्कि यह देखना पड़ेगा कि क्या कनज्यूम किया है। ड्राइवर लोग जो पुकी लेते हैं उनकी गाड़ी चलाते वक्त आंखें खुली होती हैं मगर असल में वे सोये होते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरफ भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री विक्रमादित्य सिंह चर्चा में भाग लेंगे।

Shri Vikramaditya Singh (Shimla Rural): Hon'ble Deputy Speaker, Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on the Motion under Rule 130 brought by Shri Harshwardhan Chauhan Ji regarding road and safety in the State.

I would not take lot of time. Large numbers of accidents have occurred in Himachal Pradesh over a period of time, the statics of which have already been stated by my fellow colleagues. I would not like to repeat all those issues. As has been said by one of the Hon'ble Members, around 11000 people in the last ten year i.e. over a decade have passed away. Various issues such as rash driving, drugs, alcohol, slippery road and bad weather have been brought forward. I would only like to bring two specific conditions into the notice of the Hon'ble Transport Minister.

First is regarding proper use of technology. We have been advancing towards artificial technology and Global Positioning System technology but the right use of the same technology in countering accidents in the State is limited. I would like to request the Hon'ble Minister that HRTC buses which are operating on nearly 2850 routes in the State - I am not talking about the private sector - and has full strength of around 3130 buses, the major reason that was seen for the accidents in the State was black spot. We should have some kind of technological modus operandi i.e. use of GPS system and artificial technology under which these black spots can be identified. The artificial intelligence technology can be linked to the various GPS models in the States. We see that lot of people coming into the State; whether they are tourists or anybody else, they are using the GPS technology. So the identification of the black spot is one part and working on them by the HPPWD is another part. If we know the data then why should we not make the commuters available with this data? When we

have technology with us then we should make full use of that. It should definitely be done in the times to come.

Second is regarding faulty and lack of availability of parking space. I know this issue is not directly linked with this. I wanted to speak on this on some other occasion also but I didn't get an opportunity. In one of the recent accidents that happened in Shimla few months ago HRTC bus went down the hill and few students passed away in that. Lack of parking space in Shimla was primarily the reason for that. I am not only talking about the Shimla town but we have to take a holistic view in this. Lack of parking spaces in various urban areas is causing these accidents on a rising scale. If we talk about Shimla there are around 32228 number of vehicles

21.08.2019/1545/टी.सी.वी./डी.सी.-1

in 2005. This number has gone upto 80,000 in 2018. The lack of parking spaces in the State is definitely a major cause of concern. If we talk about the National Highways in Shimla, the major illegal parking is happening in the periphery of around 17 kilometers stretch of the National Highways. HRTC owns around 505 busses in Shimla. All the private Volvo busses and taxies that come into Shimla are forced to park on the National Highway peripheries. It has become one of the reasons for growing number of accidents. This point has already been brought up by other MLAs'. It is not concerning only one department but it is an inter-departmental issue, whether it is PWD Department or Transport Department. I request the Hon'ble Minister to have some kind of inter- coordination department mechanism under which regular stock taking and auditing is undertaken as to know the number of accidents and to prevent them in the future. As I said earlier I don't want to repeat the

issues that have already been taken up. I thought these two issues were very important so I have brought them into the notice of the Hon'ble Minister. Thank you.

उपाध्यक्षः इससे पहले कि माननीय परिवहन मंत्री जी उत्तर दें, एक अन्य व़क्ता बोलने को शेष है। दूसरा, माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार जी का विषय 'हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की कार्य प्रणाली एवं वित्तीय स्थिति में सुधार' भी इसमें क्लब हुआ है। माननीय मंत्री जी कृपया जब उत्तर देंगे तो इसका उत्तर भी साथ ही दे दें।

श्री अरुण कुमार (नगरोटा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम-130 के तहत एक बहुत अहम विषय सदन में आया है और मैं सदन से यह अपेक्षा करता हूं कि यदि इस विषय में इतनी गम्भीरता है तो हमें भी अपने आप में कुछ बदलाव लाने होंगे। क्योंकि बहुत-सारी अनियमिततायें तभी बरती जाती है, जब उसमें हमारी भागीदारी या सिफारिश शामिल होती है या कुछ पैसों का लेनदेन होता है। आज मेरा इस बारे में एक प्रश्न भी लगा था। उसमें मैंने मौजूदा समय में बस दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बस पासिंग प्रक्रिया के बारे में पूछा था क्योंकि बसों की पासिंग में इतनी अनियमिततायें बरती जाती है कि उसमें या तो सिफारिश आ जाती है या फिर पैसों का लेनदेन होता है। इसलिए मैंने अतारांकित प्रश्न लगाया था लेकिन उसका जवाब पूरा नहीं आया। सरकार ने बसों की दुघटनाओं को रोकने के लिए वर्ष 2018 में अथोराइज्ड टैस्टिंग स्टेशन खोलने के लिए लोगों से निविदाएं मांगी थीं। मेरा सुझाव है कि वे लोग ही बसों की पासिंग करें जो मोटर व्हीकल के तहत नॉर्मज़ को पूरा करते हों क्योंकि जब बसों की पासिंग की जाती है, उस समय बसों की अंदरुनी हालत नहीं देखी जाती है। मैं जिस विधान सभा चुनाव क्षेत्र से हूं, वहां से पूर्व परिवहन मंत्री भी रहे हैं और मैंने अक्सर देखा है कि कुछ प्राइवेट बसों की पासिंग सिफारिश पर घर से बैठकर की जाती थी।

21-08-2019/1550/NS/DC/1

दूसरा, आज हमारी सड़कें बड़ी संकीर्ण हो गई हैं क्योंकि अवैध कब्जाधारी इन सड़कों पर बैठ करके सब्जी आदि बेच रहे हैं। सरकार को इसके लिए सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा। सरकार जब भी सख्ती करती है तो इसमें हम माननीयों की सिफारिश ही उन अधिकारियों को काम करने से रोकती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिए समय थोड़ा कम दिया है। मेरे पास इसके लिए काफी सुझाव हैं लेकिन समय की कमी के कारण मैं माननीय मंत्री जी को लिखित में ये सुझाव दे दूंगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब माननीय वन मंत्री जी इस चर्चा का उत्तर देंगे और दोनों विषयों को ध्यान में रख कर उत्तर देंगे।

वन मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज नियम-130 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री हर्षवर्धन चौहान जी जोकि इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं और इन्होंने बहुत सामयिक और महत्वपूर्ण विषय यहां लाया है। मैं सभी माननीय सदस्यों का अभिनंदन करता हूं। इस विषय पर 15 माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। एक-से-एक बढ़ कर नए सुझाव हमारे ध्यान में आए हैं। कुछ बातें हमारे ध्यान में थी लेकिन बहुत सी नई जानकारी हमें सभी माननीय सदस्यों से प्राप्त हुई है जिससे हम और अच्छा काम करने में सफल होंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि इस माननीय सदन में बात करने का आनंद तभी आता है जब विपक्ष सामने बैठा होता है। विपक्ष के बिना यहां बात करते हुए हमें बड़े सूना लगता है। इसलिए आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है और यहां आपके महत्वपूर्ण सुझाव भी आए हैं। माननीय सदस्यों ने कहा है कि रोड सेफ्टी के संबंध में विभिन्न विभागों का सामंजस्य है। बहत सारे माननीय सदस्यों को कहना था कि माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं इसका उत्तर दें। माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं आए और सारी चर्चा इन्होंने सुनी है। प्रदेश हित में जो भी उपयुक्त होगा और इसके लिए पूरे माननीय सदन का जो विचार होगा, उसी पर चलेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है। हमारे पास टोटल व्हीकल 16,54,326 हैं जिनमें से ट्रांसपोर्ट व्हीकल 2,67,826 और नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल 13,86,500 हैं। हमारे प्रदेश में 80,000 गाड़ियां प्रति वर्ष बढ़ रही हैं। हिमाचल प्रदेश की वास्तविक स्थिति यह है कि यातायात के लिए हमारे पास सबसे बड़ा साधन केवल सड़क मार्ग ही है। प्रदेश की जनता को सड़क की सुविधाएं प्रदान करना और अच्छी सेवा देना हमारी जिम्मेदारी है। माननीय सदस्य जगत सिंह नेगी जी कह रहे थे कि अभी थल में नहीं चले और जल भी शुरू हो गया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केंद्र में माननीय नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री बने हैं तो उनके नेतृत्व में यहां विकास होगा। माननीय सदस्य राम लाल ठाकुर जी ने कहा कि श्री नितिन गडकरी जी ने मोटर व्हीकल एक्ट अच्छा बना दिया है। इसके लिए मैं माननीय राम लाल ठाकुर जी को धन्यवाद देता हूं। आप विश्वास रखें केंद्र में मोदी जी और नितिन गडकरी जी हैं तथा प्रदेश में जय राम ठाकुर जी मुख्य मंत्री हैं तो ये थल में भी अच्छे से चलेंगे, जल और वायु में भी अच्छे से चलेंगे और

21.08.2019/1555/RKS/HK-1

और हर जगह नये-नये इनिशिएटिव्स लेकर आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार तेज उड़ान से चलेगी। हिमाचल प्रदेश में गत 1 अगस्त, 2015 से 16 अगस्त, 2019 तक 12,475 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें मानव कारकों के कारण 11,859 यानी 95.06 प्रतिशत दुर्घटनाएं हुई हैं। इन चार सालों का विश्लेषण यह कहता है कि 95.06 प्रतिशत दुर्घटनाएं मानवीय गलती से हुई हैं। वर्ष 2017 में जनवरी से अगस्त तक लगभग 1,888 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 779 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। वर्ष 2018 में जनवरी से अगस्त तक 1,937 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 754 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इसी तरह वर्ष 2019 में जनवरी से अगस्त तक 1,753 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 688 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। ये दुर्घटनाएं पहले की बजाय कम हुई हैं लेकिन भगवान कृपा बनाए रखे की ये दुर्घटनाएं न घटें। दुर्घटना व मृत्यु दर में वर्ष 2018 की अपेक्षा वर्ष 2019 में लगभग 9.49 प्रतिशत व 8.70 प्रतिशत की कमी आई है। ओवर स्पीड के कारण 51.45 प्रतिशत दुर्घटनाएं हुई हैं, Turning

without care 16.88%, Dangerous driving 9.58%, Dangerous overtaking 6.4%, Not respect of rights of way rules 4.6%, Suspected drugs/alcohol 3.89%, Changed lanes without care 1.51% and Driving against flow of traffic 1.19% दुर्घटनाएं हुई हैं इस तरह यह आंकड़ा 95.06 प्रतिशत बनता है। इसके अलावा 4.50 प्रतिशत दुर्घटनाएं अन्य कारणों से होती हैं जैसे कोई गाड़ी खराब हो गई, टायर पंचर हो गया, ब्रेक फेल हो गई या कहीं कोई पहाड़ अचानक गिर गया या कोई डंगा बैठ गया या खराब मौसम के कारण कोई दुर्घटना हो गई ऐसे कई कारण हैं। ये दुर्घटनाएं जब होती हैं तो इन दुर्घटनाओं के कारण सारे इलाके में रोष पैदा होता है। जिस परिवार में दुर्घटना होती है वह परिवार पूरी तरह टूट जाता है। यह सब नहीं होना चाहिए और इसके लिए हमें जागरूक रहना चाहिए। जहां तक Motor Vehicle Act की बात है तो हम सब लोग यहां बैठकर इसके लिए नियम बनाते हैं। इन नियमों को स्ट्रिक्ट व प्रभावी तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी भी हम सब लोगों की होनी चाहिए। मेरा माननीय सदन से निवेदन है कि यदि हम यहां पर कुछ बातों को निश्चित करके चलेंगे तो इस प्रदेश को एक अच्छा संदेश जाएगा। Motor Vehicle Act में अगर बैल्ट लगाने का प्रावधान है तो माननीय मुख्य मंत्री सहित हम सभी सदस्य को बैल्ट लगाकर चलना चाहिए, जिससे प्रदेश की जनता को एक अच्छा संदेश जाएगा।

21.08.2019/1600/बी0एस0/एस0के0-1

जब हम सब-के-सब कहेंगे कि ओवर स्पीड नहीं चलना है, मुझे कोई वी.वी.आई.पीज. बनकर अपनी गाड़ी को गलत जगह पार्क नहीं करना है तो इससे एक अच्छा संदेश जाएगा और व्यवस्था में सुधार होगा। झंझीड़ी की बस दुर्घटना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां पर बहुत संख्या में लोगों की गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी थी। उस बस में चालक बहुत अच्छा था लेकिन तब भी दो बच्चों की जान चली गई। यदि हम स्वयं यह तय करें कि हमें ओवर स्पीड नहीं चलना है, हमें बिना कारण ओवर टेक नहीं करना है, नशा करके हमें

गाड़ी नहीं चलानी है तो इन चीजों से बहुत सुधार होगा । हमारे बच्चे जो स्कूल, कालेजों में पढ़ते हैं क्या वे हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं? जब हम इन बातों को तय करेंगे तो मुझे लगता है कि यह संदेश नीचे तक जाएगा। कोई भी देश कानून द्वारा तरक्की नहीं करता इसमें लोगों की भागीदारी भी जरूरी है। जब आम जनता को लगे कि जो कानून बनाने वाले लोग हैं वे भी इन बातों पर अमल करते हैं तो जनता अवश्य कानून का पालन करेगी। हम सभी लोग जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं सबकी नज़र हम पर रहती है। हमें लगता है कि हम सबको देख रहे हैं परंतु यह लोकतंत्र में गलत फहमी है। जनता बहुत बड़ी जज है वह हमारी एक-एक चीज को देखती है और जो उसे सही लगे उसे ही वह करती है। इसलिए समाज के प्रति यह सबकी चिंता है और मैं सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करता हूं कि इन बातों पर अमल किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सड़क सुरक्षा के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं बहुत संवेदनशील रहते हैं। इन्होंने सरकार के बनते ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की मीटिंग परिवहन मंत्री तो करते ही हैं परंतु हमारे मुख्य सचिव भी हर तीन महीने बाद उस कमेटी की मीटिंग को करते हैं जिसकी कार्यवाही की पूरी जानकारी माननीय मुख्य मंत्री लेते हैं। जिसमें लोक निर्माण विभाग, गृह विभाग,परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग भी शामिल हैं। माननीय राकेश पठानिया जी ने भी एक बात कही है, मैं भी माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उस विषय को भी इसमें सम्मिलित करें।

(माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

एक रिपोर्ट जो कांगड़ा बस दुर्घटना के बारे में है उसमें जो दोषी व्यक्ति था उसके विरुद्ध हमने तुरंत कार्रवाई की है। उसमें जो न्यायिक जांच रिपोर्ट आई है जिसे माननीय मुख्य मंत्री जी को भी भेजा गया है उसमें लिखा है कि "One child about ten years of age who survived the accident who was sitting on the right side window seat (in middle of the bus) divulged that a motorcyclist came from opposite direction

and bus rolled down. Since no independent eye witness of the bus accident is found in this case it may be believed that just to save the motorcyclist, the driver in a reflex action had negotiated the bus to the right hand side misjudging the space on the right hand side road and could not control the bus which resultantly rolled down." अब वह स्कूल तो बंद कर दिया गया है। लेकिन जब मेरी व्यक्तिगत तौर से माननीय सदस्य और अधिकारियों के साथ बात-चीत हुई तो उन्होंने एक और कारण बताया कि वहां पर सड़क के एक तरफ आवारा पशु बैठे थे। जब मोटर साइकिल आई तो पशुओं को भी बचाना था और मोटर साइकिल वाले को भी बचाना था। इस कारण से हमारे 26 बच्चों की दुःखद मृत्यु हो गई और 10 उसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। जब भी हमारी आगामी बैठकें होंगी उसमें हमारी एम.सीज. और ग्राम पंचायतें हैं इनकों भी इसमें शामिल करना पड़ेगा ताकि वे भी सड़कों को खाली करवाने की दिशा में कदम उठा सकें। पशुपालन विभाग ने इस दिशा में बहुत कार्य किया, विभाग ने गो-सदन भी खोले हैं लेकिन सड़क सुरक्षा के लिए इस चर्चा को हम और भी आगे बढ़ा सकते हैं। हमने रोड एक्सिडेंट डाटा मैनेजमेंट सिस्टम प्रारम्भ किया है। इसमें सड़क दुर्घटना की जितनी भी सूचनाएं है उसकी रिकोर्डिंग और रिपोर्टिंग में मदद मिल रही है।

21-08-2019/1605/डी0टी0/वाइ0के0/1

हम इसके कारण साईंटिफिक-वे से काम कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाल ही में झंझीड़ी और बंजार बस हादसे हुए हैं और न्यायिक जांच की रिपोर्ट आई है। इसकी जांच ए0डी0एम0,एस0डी0एम0 और अन्य लोग करते हैं लेकिन हमारे पास इसके ऐक्सपर्टीज़ नहीं है। इसलिए हमने तय किया है कि सी0आई0आर0टी0 को उनसे कंस्लटैंसी पर लेंगे। इस वर्ष जो बड़े हादसे हुए हैं इनकी जांच का जिम्मा इनको देंगे ताकि यह पता चल सके कि वास्तविक कारण क्या रहे हैं? जब हमारे पास ऐक्सपर्टीज नहीं होंगे तो कई जगहों पर रिपोर्ट भी ठीक नहीं आती है। इसलिए हमने ऐसा करने का फैसला किया है। Asian Institute of Transport Development, Noida माननीय सदस्यों ने यहां पर बात कही है कि सड़कों में ब्लैक स्पॉट्स का कैसे चयन किया जाता है, ड्रेनेज के लिए क्या सिस्टम है और काम कैसे किया जाता है? मैं माननीय

सदस्यों को बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने Asian Institute of Transport Development, Noida के लिए लोक निर्माण विभाग के 19 इंजीनियरों को इसी काम की ट्रेनिंग करने के लिए भेजा गया है। प्रदेश की सड़कों का सर्कल लैवल पर ऑडिट और संचालन करने के लिए स्पैशल ऑफिसर लगाए जाएं ताकि यह पता चल सके कि ब्लैक स्पॉट और ड्रेनेज सिस्टम को कैसे दुरूस्त करना है और सड़कों की लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? यह सब सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। वैसे तो यह विषय लोक निर्माण विभाग का है लेकिन यह विषय सबकी चिंता का है। कई बार कहा जाता है कि हमने टैंडर कर दिया है और काम अवार्ड हो गया है लेकिन ठेकेदार ने एक साल से ब्लैक स्पॉट ठीक नहीं किया है। हमने कहा है कि जहां टैंडर अवार्ड हो गया है, 5-6 महीने से वहां पर काम नहीं हो रहा है और अगर वहां पर कोई दुर्घटना हो जाती है तो लोक निर्माण विभाग के उस ठेकेदार पर जवाबदेही होनी चाहिए कि उसने यह काम क्यों नहीं किया? हम इस पर विचार करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ एक मीटिंग की थी और उसमें चर्चा हुई थी कि हमें ब्लैक स्पॉट्स की परिभाषा को बदलने की जरुरत है। हम कहते हैं कि जिस जगह पर दो-चार बार दुर्घटना हुई हो और किसी की मृत्यु हुई हो तब वह ब्लैक स्पॉट होगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है और यहां पर अगर हम कहीं पर भी जाएं तो हमें पता चलता है कि इस जगह पर दुर्घटना हो सकती है। उस जगह को वल्नरेबल स्पॉट घोषित किया जाए ताकि दुर्घटना होने से बच जाए। हम केवलमात्र ब्लैक स्पॉट के लिए इस बात का इंतजार नहीं कर सकते कि दुर्घटना होगी और किसी की मौत होगी तभी जा करके हम दो दिन के बाद ब्लैक स्पॉट घोषित करेंगे। बंजार बस हादसे से एक बात सामने आई कि जहां से यह बस गिरी वहां पर ब्लैक स्पॉट नहीं था, ब्लैक स्पॉट दाएं-बाएं था। यानी वह वल्नरेबल था और क्यों था? क्योंकि हमने उसको समय रहते चैक नहीं किया था। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सबकी जिम्मेदारियां तय करने की आवश्यकता है। अभी जो बंजार बस हादसा हुआ वह बहुत दुःखद घटना है। इसमें कई कारण रहे हैं। इसकी जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि Overloading. It was carrying 87 passengers against the seating capacity

of 44. अभी देखिए इसके पीछे बहुत बड़ी गलती और क्या है? जिसको चैक करना हमारी जिम्मेदारी है और वे जवाबदेही तय करें।

21-08-2019/1610/वाई.के.-एन.जी./1

इस बस से पूर्व इसी कम्पनी की दो बसें और चलती थी, एक 01.30 बजे और एक 02.30 बजे और इस बस का समय 03.15 बजे था। यदि 01.30 बजे और 02.30 बजे वाली बस टाईम पर चलती तो इन दोनो बसों का प्रेशर इस 03.15 बजे वाली बस पर नहीं होता और इसमें 87 लोग सवार नहीं होते। इस सबका मतलब है कि कहीं-न-कहीं हमारे सिस्टम में कमी रह गई और हमने उसे चैक नहीं किया। इसलिए जो कार्रवाई इस मामले पर की जानी चाहिए थी वह हमने पूरी पारदर्शिता के साथ की है। All the witnesses including injured and eye-witnesses, have stated that while negotiating the steep uphill curve, the bus suddenly stopped and come back slowly, after that it rolled down that deep gorge and fell into the "Jibhi-khud".

अध्यक्ष महोदय, हमने रिपोर्ट में कहा है कि वहां steep graded था तो लोक निर्माण विभाग और नैश्नल हाईवे विभाग ने उसे पहले क्यों चैक नहीं किया? इन दुर्घटनाओं के अनेक कारण है और इसके लिए सभी की जिम्मेदारियां फिक्स करने की आवश्यक्ता है। उस दुर्घटना के बाद हमने परमिट इत्यादि कैंसल करना था वो सब भी किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए क्योंकि बाद में कहने के लिए तो हम कुछ भी कह सकते हैं। इसलिए यह दुर्घटना होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे माननीय सदस्य जिन बातों के लिए चिन्तित हैं उनमें से एक ब्लैक स्पोट्स को चिन्हित करना है। हम चाहते हैं कि जन प्रतिनिधि और पंचायत के लोगों की भी भागीदारी इसमें सुनिश्चित होनी चाहिए क्योंकि कई बार सरकारी सिस्टम को मालूम नहीं होता परन्तु स्थानीय लोगों को मालूम होता है कि कौन सा मोड़ खतरनाक है।

अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष सरकार ने कुछ वैज्ञानिक उपकरण पुलिस विभाग को आवंटित किए हैं जिससे हम ट्रैफिक कंट्रोल इत्यादि में लाभ ले सकते हैं, जैसे 453 Alco-Sensor, 63 Laser Speed Gun, 2115 Body Worn Camera etc. जिस कारण शराब पीकर और तेज गती से गाड़ी चलाने वालों को कंट्रोल करने में लाभ मिला है। पुलिस विभाग को ई-चालान करने के लिए भी 750 मोबाईल फोन उपलब्ध करवाए गए है, जिस कारण बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वालों का लाइसेंस भी निलंबित कर सकते हैं। इसके अलावा लोकल पुलिस थाने के स्तर पर सड़क सुरक्षा क्लब बनाए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों की एक चिन्ता बिलकुल वाज़िफ है। हिमाचल प्रदेश में गाडियों की संख्या अधिक करना और ओवर लोडिंग की समस्या से निजात दिलाना इसकी बहुत आवश्यक्ता है। ट्रांसपोर्ट विभाग ने जिला शिमला, सोलन, बिलासपुर, कुल्लु, चम्बा, मण्डी और सिरमौर में 124 नए रूट चिन्हित किए है जिन्हें निजी ऑप्रेटरों को आवंटित करने का आदेश सम्बन्धित आर0टी0ओ0 को दे दिए गए हैं और उनके द्वारा इन रूटस को नोटिफाई किया जा रहा है। इसके इलावा जिला स्तर पर बद्दी, ऊना, मण्डी, सोलन, कांगड़ा, बिलासपुर और चम्बा में भी 251 नए स्टेज कैरेज रूट चिन्हित किए गए हैं। चौपाल से माननीय सदस्य श्री बलबीर वर्मा जी ने कहा कि कुछ ऐसे छोटे गांव हैं और हमसे छूट गए हैं जिनके लिए हम 42 सीटर बस नहीं भेज सकते। उन छोटे गावों से 10 बच्चे स्कूल के लिए और 10 लोग घर का राशन लेने के लिए शहर आते हैं तो ऐसे गावों के लिए हमने विचार किया है कि जैसा शिमला में एक एच0आर0टी0सी0 का मॉडल है और वह बहुत ही सफल रहा है उसी की तर्ज पर हम 15-20 सीटर वाले छोटे वाहन चलाएंगे और

21/08/2019/1615/RG/AG/1

हम 15-20 सीटर वाले छोटे वाहन के लिए स्थानीय लोगों के नाम पर उनका टैण्डर करें ताकि स्थानीय व्यक्ति जितने चक्कर लगाए, वह गांव से शहर आए। इससे रोजगार भी

बढ़ेगा और जनता को सुविधा भी मिलेगी, लेकिन वे गाड़ियां एच.आर.टी.सी. के नाम पर चलेंगी ताकि वे कानून वैध हों और इससे हम लोगों को सुविधा भी प्रदान कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी भी गांवों में गए हैं और इन्होंने भी इस बात को कहा है कि एच.आर.टी.सी. को हमें स्ट्रैन्थन करने की आवश्यकता है। क्योंकि हिमाचल पथ परिवहन निगम केवल मात्र निगम नहीं बल्कि लोगों के प्रति यह हमारा सामाजिक दायित्व है। हमें लोगों को सेवा देनी है, लोगों को गाड़ी मिले, स्कूल के बच्चे फ्री आते हैं और कई पास वाले यात्री भी इन बसों में सफर करते हैं। इसलिए इसको स्ट्रैन्थन करने के लिए आवश्यकतानुसार हमने नई गाड़ियां खरीदने के लिए भी प्रपोजल बना रखी है। उससे पहले एक काम हमने और किया है कि डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इण्डस्ट्रीज के अन्तर्गत फेम-II में सौ नई इलैक्ट्रिक बसों का प्रोजैक्ट हमें मंजूर हो गया और सौ अतिरिक्त बसें आने वाली हैं। इसी के साथ अन्य बसें भी हम खरीदेंगे ताकि जहां हमें लगता है कि इस बस को चेन्ज करना चाहिए तो हम उसको चेन्ज भी करेंगे। इसलिए बसों की इस फ्लीट को बढ़ाना हम सबके लिए आवश्यक है और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, एच.आर.टी.सी. में मैं देख रहा था और वास्तव में प्रदेश के समक्ष कुछ बातें रखनी चाहिए। हम यह देख रहे थे कि आखिरकार हमें नई गाड़ियां खरीदना चाहिए। लेकिन वर्ष 2014-15 में हिमाचल प्रदेश में एक नया रिवाज़ चला था और वह क्या था कि वर्ष 2014-15 से पहले जब भी हिमाचल पथ परिवहन निगम बसें खरीदता था, प्रदेश सरकार जो अपनी ग्रांट देती है, उससे प्रतिवर्ष वह 200-300 बसें खरीदती थी। यानि हिमाचल पथ परिवहन निगम कभी भी कर्ज लेकर बसें नहीं खरीदता था। लेकिन एक नया रिवाज़ चला और उस समय से लेकर 260 करोड़ रुपये का बैंकों से लोन लिया और जब पूर्व सरकार रही, उसके समय में 71.32 करोड़ रुपये उस समय चुकता किया और उसके ऊपर 27.31 प्रतिशत ब्याज है। इस प्रकार से बैलेन्स लोन 190 करोड़ रुपये के लगभग है। अब उसमें से 73 करोड़ रुपये की अदायगी अभी इस सरकार में हमने की और 19 करोड़ रुपये ब्याज का उसमें से दिया। तो इस प्रकार अब कुल 91.62 करोड़ रुपये की अदायगी अभी-अभी की।

116.16 करोड़ रुपये जो उस समय लोन लिया, वह भी था। अब इस समय हमारे पास 130 करोड़ रुपये देने के लिए हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि इसमें एक नया रिवाज़ प्रारम्भ किया। लेकिन इन सारी चुनौतियों के बावजूद जब से श्री जय राम ठाकुर जी की वर्तमान सरकार बनी तब से लेकर हिमाचल प्रदेश में एच.आर.टी.सी. का छोटा कर्मचारी, चाहे वह मैकेनिक, ड्राईवर या कन्डैक्टर है, उनके डियुज हमने नहीं रोके, लगभग सब क्लीयर हैं। इस डेढ़ वर्ष में पेन्शन-होल्डर्ज का या डी.सी.आर.जी. वगेरह कोई भी पैसा हमने नहीं रोका और सबका हम देते गए। उसके साथ-साथ हमने वर्ष 2016 से लेकर डी.सी.आर.जी. ये सारी ग्रांट्स दी हैं। इसके अतिरिक्त अभी हमने एक नया प्रयोग यह किया कि जो 6,361 के लगभग रिटायर्ड लोग हैं, जिनके खाते में वर्ष 2016 से लेकर पेन्शन नहीं गई थी और डी.सी.आर.जी. भी नहीं गया था, तब हमने सोचा कि इसका क्या तरीका निकालें? तो हमने यह तरीका निकाला कि हमारी कुल जितनी सेल होती है, मार्च, 2019 से रोज उसके 7 प्रतिशत के हिसाब से एक अलग से किटी बनाई और उसमें पैसा डालना प्रारम्भ किया। प्रसन्नता की बात यह है कि 17.94 करोड़ रुपये अब हमारे पास जमा हो गया। जिसमें से हमने पेन्शन-होल्डर्ज के खाते में 11.60 करोड़ रुपये के लगभग ट्रांसफर कर दिया है। हमारा यह लक्ष्य है कि

21/08/2019/1620/MS/AG/1

यह जो 130 करोड़ रुपये का लोन है इसको भी वर्ष 2020 तक चुकता कर देंगे। यहां पर चालकों और परिचालकों की कमी की बात भी की गई। मैं बताना चाहता हूं कि इस सरकार ने राजनीति से आगे एक नई संस्कृति को जन्म दिया है कि हम लोकतन्त्र में चुनकर आए हैं लेकिन बदले की भावना से कोई काम नहीं करेंगे। जहां पर हमें लगता है कि कोई चीज ठीक हुई है तो उसमें हम अपनी स्वीकृति देंगे। आपको जानकारी होगी कि पिछली सरकार के समय में टी0एम0पी0एच0 की एक लिखित परीक्षा हुई थी जिसमें 1047 कैंडीडेट अपीयर हुए थे। उसके बारे में बहुत से लोगों ने कहा कि इसमें कोई गलती हुई है या नहीं हुई है, चलो, जो भी कहा लेकिन जब जय राम ठाकुर जी की सरकार बनी तो हमने उसका ठीक तरह से अध्ययन किया और पाया कि बच्चों ने मैरिट पर पेपर दिया है। उस समय आचार संहिता लगने वाली थी। हमने रिजल्ट के मुताबिक सभी 1047 कैंडीडेट्स को लगा दिया।

अभी भी जो चालकों और परिचालकों के बारे में चर्चा हुई। इसमें मैं कहना चाहता हूं कि चालकों की हमारे पास जितनी वैकेन्सीज हैं, हम टोटल चालकों के रिक्त पदों को भर रहे हैं। यह प्रोसैस हमने आचार संहिता से पहले प्रारम्भ कर दिया था। हिमाचल प्रदेश में चालकों के लिए 674 लोग फाइनल पास करके आए हैं जिनमें से 38 लोग एक्स-सर्विसमैन में से आए हैं। 186 एक्स-सर्विसमैन की सीटें हमारे पास हैं लेकिन 186 में से केवलमात्र 38 लोगों ने एप्लाई किया। अभी हमने फिर से पूर्व सैनिक कल्याण निगम को लिखा है कि और नाम भेजें। इसी तरह से 35 और सीटें हमारे पास स्पोर्ट्स कोटे के चालकों की हैं और अब 35 में से वहां से केवल 4-5 के नाम भेजे गए हैं। हमने दुबारा से स्पोर्ट्स डिपार्टमैंट को लिखा है कि और नाम भेजिए। अगर वहां से नाम नहीं आते हैं तो उन पदों को भी हम जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर सकते हैं, वह हमें अधिकार है लेकिन हम चालकों के पद पूरे करेंगे।

जहां तक परिचालकों की कमी की बात है, हम लगभग 693 परिचालकों की भर्ती बहुत जल्दी करने वाले हैं और मार्च, 2020 से पहले-पहले हम इनकी भर्ती कर देंगे। उसकी प्रक्रिया की आप सभी को जानकारी है और हमने कहा है कि पदों को भरने में पारदर्शिता रहे। इसलिए एच0आर0टी0सी0 स्वयं लिखित परीक्षा नहीं करवाएगी बल्कि उसको किसी एजैंसी, यूनिवर्सिटी या बोर्ड के माध्यम से करवाएगी ताकि मैरिट वाले बच्चे आएं।

माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर कई चालक और परिचालक ऐसे हैं जो कई वर्षों से बस अड्डों पर बैठे हुए हैं जिसके कारण बसों को चलाने में कठिनाई आती है। ऐसे लगभग 600-700 चालक/परिचालक हैं लेकिन जब इनके बारे में पूछा गया कि ये वहां क्यों बैठे हैं जबकि इनका दूसरा काम है तो बताया गया कि उनमें से 50 प्रतिशत मेडिकली अनफिट या अन्य कारणों की वजह से वहां पर पोस्टिड थे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी वहां पर आवश्यकता थी क्योंकि कई सालों से कैशियर, क्लर्क और चौकीदारों की भर्ती नहीं हुई। इसलिए हर काम पर चालक और परिचालक ही लगते रहे। **अब इन सभी खाली पदों को भरने के लिए बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्ज ने परमिशन दे दी है और हम इनको भर देंगे ताकि जो चालक और परिचालक ठीक हैं तथा बस चला सकते हैं, उनको उन कामों से बाहर निकाल सकें। इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं।**

माननीय अध्यक्ष जी, रोड सैफ्टी के संबंध में जो चिन्ता व्यक्त की गई है, इसमें सरकार के स्तर पर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। इसमें ऐसा है कि एच0आर0टी0सी0 के ड्राइवर का टैस्ट पहले डिवीजन लैवल पर होगा, फिर शिमला और फिर एक बार उसके लगने के बाद डेढ़ महीने की दुबारा से तारादेवी में ट्रेनिंग होगी, तब वह बस में चढ़ सकता है। अब हमने कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के चालकों की भी प्रौपर ट्रेनिंग करवाएंगे और साथ में रोड सैफ्टी और इन सबके संबंध में जितने स्टेक होल्डर्ज हैं, चाहे वह हिमाचल प्रदेश का टैक्सी, बाइक, निजी बस, ट्रक, जीप या सरकारी क्षेत्र में ऑपरेटर हैं, सभी चालकों के समय-समय पर ऐसे रिफ्रैशर कोर्स लगवाए जाएंगे ताकि ऐसी दुर्घटनाएं न हों।

21.08.2019/1625/जेके/डीसी/1

क्योंकि इसमें हम ज़ीरो टोलरैंस रखेंगे। अभी माननीय सदस्य, अरूण कुमार ने भी ड्राइविंग ट्रेनिंग के बारे में कहा, उस पर हमने कहा कि उसको बहुत अच्छे से करेंगे। बस पास करने का हमारे पास कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं था कि बस के अन्दर जा कर आर0टी0ओ0 और एम0वी0आई0 चैक कर सकता है। अभी हमने कंसल्टैंसी के लिए भी लिखा है । हमने कहा International Centre for Automotive Technology अब इनको हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है। जो रिपोर्ट इन्होंने हमें भेजी है, 14 स्थान और उसके बाद बाकी भी करेंगे। उन 14 स्थानों में से सतीवाला नाहन, बिलासपुर, हमीरपुर, बड़सर, नादौन, चम्बा, डलहौजी, सुन्दरनगर, मनाली, हरोली, सिद्धवाड़ी, दहन, ओच्छघाट और सोलन, अभी हम और भी कहां-कहां इसको कर सकते हैं और जो ड्राइविंग ट्रेनिंग, जितने हमारे स्कूल हैं, उन सबको भी अच्छी तरह से हाई टैक करने की दिशा में काम होना है। ....(व्यवधान)....

माननीय अध्यक्ष जी, इस बार मुख्य मंत्री जी का बजट में आश्वासन था कि राज्य में लाईसैंसिंग अधिकारियों द्वारा ड्राइवरों की आंकांक्षा के प्रशिक्षिक एक उद्देश्य की वैज्ञानिक प्रणाली पर मानक स्थापित करेंगे और उसके लिए अभी बद्दी, सोलन और जस्सूर (कांगड़ा) में स्वचालित चालक प्रशिक्षण ट्रैक स्थापित करने की प्रक्रिया विभाग ने शुरू कर

दी है। इस प्रयोजन के लिए सी0आई0आर0टी0 को ड्राइविंग लाईसैंस जारी करने के केन्द्र की स्थापना के लिए परिवहन विभाग ने कंसल्टैंसी प्रदान करने के लिए लिखा है और उनको हमने कंसल्टैंट नियुक्त किया है। इसी के साथ सरकाघाट में Art Institute of Driving Training and Research का एक बड़ा आधुनिक राज्य का एच0आर0टी0सी0 द्वारा भारत सरकार की वित्तीय सहायता के साथ यह सेन्टर भी स्थापित किया जा रहा है, जो लगभग तैयारी पर है और बहुत जल्द माननीय मुख्य मंत्री द्वारा इसे लोकार्पित किया जाएगा। इसके साथ ही the work of Installation of Vehicle Tracking Device will also be done. इसको भी हमने अब vehicle location tracking जो डिवाइस सिस्टम है। ....(व्यवधान).... माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके प्रश्नों के उत्तर भी हमने दे दिए हैं। इसके साथ ही हमारी सरकार ने इस सारे क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है, आपको विश्वास दिलाते हैं कि यह सरकार इतनी संवेदनशीलता से काम करेगी सड़क दुर्घटनाएं न हों, हम उन्हें रोकें और इसी के साथ हमने यह भी कहा है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में सड़क, सुरक्षा सम्बन्धी नियमों का पालन करने के लिए जागरुकता अभियान प्रारम्भ किया है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार अभी जागरुकता अभियान हुआ है। आज तक का सारा रिकॉर्ड तलाश कर लें, पहली बार जो रिज मैदान पर हुआ, 2000 लोगों ने उस मैराथन में रोड़ सेफ्टी के लिए भाग लिया जबकि पिछले साल 700 लोग थे। स्कूल क्या, कॉलेज क्या, पंचायत क्या, हर स्तर पर रोड़ सेफ्टी हम सभी की आदत बनें, हमारी संस्कृति बनें, यह हमारी कोशिश है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यहां पर लगभग सभी की बातें रखीं लेकिन मुझे लगता है कि इनको सुनने की आदत कम है। आप लोग सभी बैठे रहे, बहुत अच्छा लगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे यहां पर बात रखने व ज़वाब देने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री हर्षवर्धन चौहान जी कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन इसमें स्पष्टीकरण नहीं होता है।

श्री हर्षवर्धन चौहानः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने लिप सर्विस तो बहुत अच्छी की है और हम जानते हैं कि ये लिप सर्विस में बहुत अच्छे हैं।

21.08.2019/1630/SS-DC/1

मगर आप यह बताएं कि जब से आपकी सरकार सत्ता में आई है आपने कितनी नई बसें ली हैं? मैंने आपसे यह प्रश्न पूछा था। आप बताओ कि आपने कितनी नई बसें लीं? आपके जवाब में था कि 50 इलैक्ट्रिक बसें आपने लीं, जिनमें से 30 आई हैं और वे शिमला शहर में लगाई गई हैं। पिछले पौने दो साल में आपने एच0आर0टी0सी0 की कितनी बसें खरीदीं?

दूसरी बात यह है कि आपने कितने ब्लैक स्पॉटस आइडेंटीफाई किये हैं और उसमें से कितने ब्लैक स्पॉटस रैक्टिफाई किये हैं?

अध्यक्षः काफी विस्तृत जानकारी दी है। इसमें स्पष्टीकरण नहीं होता है। फिर भी मंत्री जी जो आपके पास उत्तर है वह दीजिए।

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने इनके सामने बहुत स्पष्ट स्थिति रखी है। जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है हम 75 नई इलैक्ट्रिक बसें लेकर आये हैं और 100 नयी बसें फेस-2 में स्वीकृत हुई हैं। हमने कहा है कि अब हम इसके अतिरिक्त 200 नई बसें खरीदने का प्रॅपोजल तैयार कर रहे हैं।

आपने ब्लैक स्पॉटस के बारे में भी जानना चाहा है। 2019 तक विभाग ने 4115 सम्भावित ब्लैक स्पॉटस में सुधार किया है। आप सुन लो, जो आपने पूछा है। उसके अंतर्गत 32056 आर0एम0टी0 रिटेनिंग/ब्रैस्ट दीवारों का निर्माण, 111776 आर0एम0टी0 सड़कों के मोड़ों का सुधार और 205787 आर0एम0टी0 क्रैश बैरियर का निर्माण किया गया। --(व्यवधान)-- आपने पूछा और मैंने ब्लैक स्पॉटस के बारे में बता दिया है। हम उसमें सुधार कर रहे हैं। --(व्यवधान)-- देखिये, एक चीज़ और है। मुकेश जी, हमने कहा है कि ये सारे ब्लैक स्पॉटस एक साल में दुरूस्त करके दे रहे हैं और पब्लिक डोमेन में भी डाल रहे हैं। साथ में हमने vulnerable spots अलग से दुरूस्त किये हैं।

अध्यक्षः अब नियम-130 के अंतर्गत माननीय नरेन्द्र ठाकुर जी अपना विषय उठायेंगे।

उससे पहले मैं सदन की एक अनुमति चाहता हूं। विधान सभा सचिवालय की ओर से अब तक प्रतिदिन एक फाइल सभी माननीय सदस्यों को दी जाती रही है जिसमें मुद्रित प्रश्न व उस दिन की कार्यसूची होती है। मगर माननीय सदस्यों को स्वीकार हो तो कल दिनांक 22.08.2019 से प्रश्नों व कार्यसूची संबंधी यह फाइल देना बन्द कर दिया जाएगा। नोट पैड तो रहेगा, मैं तो केवल क्वैश्चन और एजैंडे की बात कर रहा हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, कुछ कहना चाहते हैं।

शिक्षा मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव सिर्फ इतना है कि अगर किसी को हार्ड कॉपी चाहिए हो तो वे अलग से मांग सकते हैं।

अध्यक्षः सभापटल पर इसकी दो-चार हार्ड कॉपीज़ रखेंगे, माननीय सदस्य वहां से ले सकते हैं। एक और व्यवस्था करेंगे कि दो-चार दिन के लिए चार-पांच टेक्निकल असिस्टैंटस खड़े रखेंगे, तब तक माननीय सदस्यों को अभ्यास हो जायेगा। --(व्यवधान)-- ठाकुर जी, एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दें। इस विषय में बोलने वालों में मेरे पास सर्वश्री बिक्रम सिंह जरियाल, परमजीत सिंह, जीत राम कटवाल, राजेन्द्र गर्ग के नाम आए हैं। हम यह समझते हैं कि नरेन्द्र ठाकुर जी अपना विषय प्रस्तुत करें। कल तो प्राइवेट मेम्बर डे है, उससे अगले दिन हम इस विषय को मॉर्निंग में टेक अप करेंगे। इतना कहते हुए, मैं चाहूंगा कि नरेन्द्र ठाकुर जी अपनी बात कहें।

श्री नरेन्द्र ठाकुर (हमीरपुर): आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम-130 के अंतर्गत सरकार द्वारा चलाई जा रही हिम केयर व सहारा योजनाओं पर प्रस्ताव पेश करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

21.08.2019/1635/केएस/एचके/1

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से केन्द्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से हमारी सरकार हर व्यक्ति को प्रॉपर हैल्थ मिले, इसके लिए बड़ी

संवेदनशील रही है। मैं माननीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने वर्ष 2018 में माननीय नड्डा जी के साथ प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आयुष्मान भारत योजना भी कहते हैं, लाँच की और उसके बाद जो परिवार इस योजना के अंतर्गत छूट गए, हमारी प्रदेश सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की। आने वाले समय में हमारे प्रदेश में ऐसा कोई भी गरीब परिवार या व्यक्ति नहीं बचेगा जिसको पांच लाख रुपये तक प्रतिवर्ष मैडिकल चिकित्सा फ्री में न मिले।

माननीय अध्यक्ष जी, हम सभी जानते हैं कि आज के जमाने में मैडिकल ट्रीटमैंट कितना महंगा है। आम आदमी या जो बी.पी.एल. परिवार के लोग हैं, उनके बस की बात नहीं थी कि वे अपनी बीमारी का प्रॉपर उपचार अच्छे हॉस्पिटल में करवा सके। हमने ऐसे सैंकड़ों लोग स्वयं देखे हैं जो पैसे न होने की वजह से अपनी बीमारी का उपचार नहीं करवा सकते थे और अपने आप को उस बीमारी के लिए सरेंडर कर गए क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वे अपना प्रॉपर उपचार करवा सके।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी व नड्डा जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस सिचुएशन को देखा और हर व्यक्ति को चाहे वह कितनी भी गम्भीर बीमारी से ग्रस्त हो, उसका प्रॉपर उपचार हो और पेसे के बिना वह अपने आप को बीमारी के लिए सरेंडर न करें, आयुष्मान भारत योजना का श्रीगणेश किया। इस योजना का शुभारम्भ दिनांकः 23.09.2018 को हुआ। हमारे प्रदेश के लगभग 22 लाख लोग इस योजना के अंतर्गत कवर होंगे जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमैंट दिया जाएगा। इसमें परिवार की संख्या की भी कोई लिमिट नहीं है। परिवार की संख्या पांच मैम्बर्ज़ से भी ज्यादा है, तो भी वे इस योजना के तहत कवर हो जाते हैं और लगभग पूरे देश में 200 रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्ज़ में उनका उपचार होगा और 52 ऐसे प्राइवेट रेकोग्नाइज्ड हॉस्पिटल्ज़ में भी वे अपना उपचार करवा सकते हैं। यह बहुत ही सरल योजना है। इसमें रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में जा कर या लोक मित्र केन्द्रों से कार्ड बनवा सकते हैं। लगभग हर बीमारी का उपचार इस योजना के तहत मरीज का होगा।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक सूचना देना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 4,83,643 परिवार इस योजना के तहत आए हैं ओर आज तक लगभग 7.63 लाख लोगों को यह कार्ड जारी हो चुका है और 26,813 मरीजों को इसका लाभ पहुंचा है। लगभग 27.34 करोड़ रुपये इस योजना के तहत केन्द्र सरकार हिमाचल प्रदेश में खर्च कर चुकी है

21.8.2019/1640/av/YK/1

इस योजना से वंचित रहे बाकी परिवारों के लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने दिनांक 1 जनवरी, 2019 को प्रदेश में 'हिम केयर' योजना शुरू की तथा इस योजना के तहत हमारे प्रदेश में हर परिवार जो किसी और योजना के अंतर्गत कवर नहीं होते; इसके तहत कवर होंगे। 'आयुष्मान भारत' योजना के तहत पूरे देश में लगभग 200 होस्पिटल चिन्हित किए हैं उनमें कोई भी व्यक्ति या परिवार 5 लाख रुपये तक अपना फ्री ट्रीटमैंट करवा सकता है। इसमें एक लिमिट भी रखी गई है और वह यह है कि अगर किसी परिवार की संख्या 5 से ज्यादा है तो उसको एक और कार्ड बनाना पड़ेगा। 'प्रीमियम' योजना में कुछ केटेगरीज़ जैसे बी0पी0एल0, मनरेगा, रेहड़ी-फड़ी वाले वर्कर्ज़ हैं उनकी रजिस्ट्रेशन फ्री में होगी तथा उन्हें कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त एकल नारी, 70 वर्ष से अधिक आयु और आंगनवाड़ी से संबंधित वर्कर्ज़ इत्यादि को सालाना 365 रुपये का प्रीमियम देना पड़ेगा तथा बाकी केटेगरीज़ को साल का एक हजार रुपये प्रीमियम देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन्हें कोई और औपचारिकता पूरी नहीं करनी पड़ेगी तथा वे अपना ईलाज लगभग फ्री में करवा सकेंगे। जब से यह योजना लाँच हुई है इसके अंतर्गत लगभग 6.43 लाख लोग रजिस्टर किए जा चुके हैं। दिनांक 1.2.2019 से 16.8.2019 तक लगभग 31109 लोग इसका लाभ ले चुके हैं तथा इस पर प्रदेश सरकार द्वारा करीब 32.54 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है। आज से पहले कितनी ही सरकारें आईं और गईं मगर आम व्यक्ति जो पैसे की दिक्कत की वजह से अपना प्रोपर ईलाज नहीं करवा सकता था; इन योजनाओं के तहत आने वाले समय में हर

व्यक्ति अपना ईलाज बिना किसी मुश्किल के करवा सकता है। हमारी प्रदेश सरकार यहीं तक सीमित नहीं रही। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी बजट स्पीच में 'मुख्य मंत्री चिकित्सा सहायता कोष' का भी जिक्र किया था और उसका गठन कर दिया है।

इसके अलावा मुख्य मंत्री जी ने अपनी बजट स्पीच में 'सहारा' योजना का भी जिक्र किया था। मुख्य मंत्री चिकित्सा सहायता कोष के अंतर्गत डेढ़ लाख रुपये से कम इनकम वाले गम्भीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को जिनका कोई सहारा नहीं है उसका ईलाज भी करवाया जायेगा। प्रदेश सरकार अभी तक इस योजना के तहत 3.24 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है।

21.08.2019/1645/टी.सी.वी./वाई.के.-1

'सहारा योजना' के तहत जो लोग गम्भीर बीमारियों जैसे Malignant Cancer Disease, Parkinson's, Paralysis Disease, permanent disability से पीड़ित हैं, उनके अकाउंट में हर महीने 2,000/- रुपये ट्रांसफर किये जाएगें ताकि वे बिना किसी दिक्कत के अपना इलाज यहां पर करवा सकें। इस योजना के तहत 6000 लोगों का चयन किया गया है और इसके लिए 14.54 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि हिमकेयर योजना में थोड़ी-सी दिक्कत आ रही है और इसके लिए मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा। जब पेशैंट अस्पताल में कार्ड बनाने के लिए जाता है तो वहां पर बहुत समय लग जाता है। इसके लिए एक अलग विंडो खोली जाये और एक हेल्प सेंटर खोला जाये ताकि जब पेशैंट्स अस्पताल में जाएं तो उनका कार्ड उसी दिन बन जाये। हमें ऐसी बहुत-सी शिकायतें मिली हैं कि एक कार्ड बनाने के लिए बार-बार पेशैंट्स को अस्पताल जाना पड़ता है जिसके कारण पेशैंट्स को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसमें कुछ बीमारियां छूट गई है। इसलिए जो सीरियस बीमारियां हैं, उनको भी हिमकेयर योजना में कवर किया जाये। इसके अलावा जो पेशैंट्स अस्पताल में एडमिट हैं, यह

योजना उनके लिए ही लागू होती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो एडमिटिड पेशैंट्स हैं और बाद में उसी बीमारी के लिए उसको रेग्युलर हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उनको भी इस योजना में शामिल किया जाये। इस योजना के प्रचार में भी थोड़ी कमी आ रही है। इसलिए पंचायतों में प्रधानों व सचिवों को इसके प्रचार हेतु निर्देश दिए जायें ताकि कोई भी इस योजना के लाभ से वंचित न रहें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी बहुत ही संवेदनशील हैं और उन्होंने डेढ़ साल में जिस ढंग से लोगों को प्रोपर हेल्थ ट्रीटमेंट देने के लिए योजना का प्रावधान किया है, वह एक बहुत ही असाधारण उपलब्धि है। इसके लिए मैं इनका एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द, जय भारत ।

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक वीरवार, 22 अगस्त, 2019 के 11.00 बज़े पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

दिनांक 21.08.2019 **यशपाल शर्मा,**
शिमला-171004. **सचिव।**

****